लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 12 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price: Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 30, मंगलवार, 4 अप्रैल, 1978/14 चैत्र, 1900 (शक)
No. 30, *Tuesday, April* 4, 1978/*Chaitra* 14, 1900 (*Saka*)

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGE
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	1–5
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	Oral Answers to Questions:	5–18
तारांकित प्रश्न संख्या 574 से 578	Starred Questions Nos. 574 to 578	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	Written Answers to Questions:	19–129
तारांकित प्रश्न संख्या 579 स 591 और 593	Starred Questions Nos. 579 to 591 and 593	
अतारांकित प्रश्न संख्या 5414 से. 5450, 5452 से 5514 और 5517 से 5602	Unstarred Questions Nos. 5414 to 5450, 5452 to 5514 and 5517 to 5602	
अतारांकित प्रश्न संख्या 14 दिनांक 21-2-1978 के उत्तर का शुद्धि करने वाला विवरण	Statement correcting Answer to USQ No. 14 dated 21-2-1978	129–130
हैदराबाद तथा सम्भल (मोरादाबाद) की घटनाओं के बारे में	*Re.* Incidents in Hyderabad and Sambhal (Moradabad)	130–132
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	132–134
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	134
68वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश–प्रस्तुत किया गया ।	Sixty-eighth report presented	134
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	135
11वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत किया गया	Eleventh Report and Minutes presented	135
अधीनस्थ विधान समिति—	Committee on Subordinate Legislation—	135
7वां प्रतिवेदन	Seventh Report presented	135
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters under Rule 377—	135–141
(i) गर्भ निरोधक टीके— सौगत राय	(i) Anti pregnancy vaccine— Shri Saugata Roy	135 135
(ii) दूर तक भार करनेवाले विमान को खरीद के बारे में समाचार— श्री श्याम नन्दन मिश्र	(ii) Press Reports about purchase of deep penetration aircraft— Shri Shyamnandan Mishra	136–139 136–138

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGE
(iii) सम्भल (मोरादाबाद) में हाल ही में हुये साम्प्रदायिक झगड़ों के समाचार का मामला	(iii) Reported recent communal clashes in Sambhal (Moradabad)—	139–141
श्री मोहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	139–140
अनुदानों की मांगें, 1978–79—	Demands for Grants, 1978-79—	141–160
सूचना और प्रसारण मंत्रालय—	Ministry of Information and Broadcasting—	141–156
श्री उग्रसेन	Shri Ugrasen	141–142
श्री राम अवधेश सिंह	Shri Ram Awadhesh Singh	142–143
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	143–144
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	144–145
श्री पूर्ण सिन्हा	Shri Purna Sinha	145–146
श्री के० लक्कप्पा	Shri K. Lakkappa	146
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar	146–147
श्री नवाब सिंह चौहान	Shri Nawab Singh Chauhan	147–148
श्री अमर राय प्रधान	Shri Amar Roy Pradhan	148–149
श्री राघवजी	Shri Raghavji	149
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar	149–150
श्री बी० पी० मंडल	Shri B. P. Mandal	150
श्री लाल कृष्ण अडवानी	Shri L. K. Advani	150–156
निर्माण और आवास मंत्रालय तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय—	Ministry of works and Housing and Ministry of Supply and Rehabilitation—	156–160
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	156–158
चौधरी ब्रह्म प्रकाश	Chaudhury Brahm Perkash	158–159
श्री युवराज	Shri Yuvraj	159–160
हरिजनों पर अत्याचारों के बारे में प्रस्ताव—	Motion *re.* Atrocities on Harijans—	160–166
श्री राम विलास पासवान	Shri Ram Vilas Paswan	160–161
श्री राम अवधेश सिंह	Shri Ram Awadhesh Singh	161–162
श्री पी० वेंकटासुबैया	Shri P. Venkatasubbaiah	162
श्रीमती मृणाल गोरे	Shrimati Mrunal Gore	162–163
श्री के० लक्कप्पा	Shri K. Lakkappa	163–164
श्री शरद यादव	Shri Sharad Yadav	164–165
श्री राम धन	Shri Ram Dhan	165–166

लोक सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 4 अप्रैल, 1978/14 चैत्र, 1900 (शक)

Tuesday, April 4, 1978/*Chaitra* 14, 1900 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह दुखद समाचार देना है कि डा० हृदयनाथ कुन्जरु का 91 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल, 1978 को आगरा मे देहान्त हो गया है ।

डा० कुन्जरु एक वयोवृद्ध सांसद थे । उन्होंने अपना संसदीय जीवन 1921 से आरंभ किया जब वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य बने । वहां दो वर्ष तक कार्य करने के उपरान्त 1926 में वे केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य बने और 1930 तक रहे। 1946 में वे संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए और बाद में 1952 तक अन्तरिय संसद के सदस्य रहे । तत्पश्चात् वे राज्य सभा के सदस्य चुने गए और 1962 तक सदस्य रहे। मुझे 1952 से 1957 तक उनके साथ राज्य सभा में काम करने का मोका मिला था । वह मेरे परम मित्र थे। 1919 में भारतीय संविधान सम्बन्धी सुधारों के बारे में ब्रिटेन को भेजे गए लिबरल पार्टी शिष्टमण्डल के वे सदस्य थे । सिडनी में 1938 में सम्पन्न द्वितीय ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल संबंध सम्मेलन के लिए भेजे गए भारतीय शिष्टमण्डल का उन्होंने नेतृत्व किया। 1945 में अमरीका में हुए पैसोफिक रिसेशन्स संस्थान सम्मेलन के लिए भज गए शिष्टमण्डल के सदस्य रहे तथा मलेशिया में भारतीयों की स्थिति का अध्ययन करने के हेतु 1946 में मलेशिया को भेजे गए सरकारी शिष्टमण्डल के सदस्य रहे ।

डा० कुन्जरु ने अनेक देशों का भ्रमण किया। उन्होंने विदेशों में बसे भारतीयों की दशा का अध्ययन करने में विशेष रूचि ली ।

उन्होंने 1946-47 में राष्ट्रीय कैडिट कोर समिति के सभापति के रूप के कार्य किया और 1947 में उ० प्र० विश्वविद्यालय अनुदान समिति के सभापति रहे। वह 1946-47 में सशस्त्र बल पुणर्गठन समिति के सदस्य थे, वह रेल जांच समिति के सभापति भी थे ।

1950-57 के दौरान सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसियेशन के मुख्य कमीशनर तथा भारत स्काउट्स और गाइड्स के राष्ट्रीय कमीशनर रहे ।

वह बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् के सदस्य थे ।

डा० कुन्जरु ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डाक्टरेक्ट आफ लॉ तथा अलीगढ़ और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयों से डाक्टरेक्ट आफ लिटरेचर की उपाधियां ली ।

उनमें विद्वता और संस्कृति कूटकूट कर भरी हुई थी। अपने इन ऋणों के कारण ही वह अपने संसदीय जीवन में बहुत लोकप्रिय हुए और एक एसे संसदविश बने जिन्हें सभी बड़े सम्मान से सुना करते थे।

वह 1909 में सर्वेन्ट्स आफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य बने और 1936 में इसके अध्यक्ष की हैसियत तक पहुंचे ।

डा० कुन्जरु ने अपने जीवन का अधिकांश भाग विश्व मामलों की भारतीय परिषद् के निर्माण और सर्वेन्ट्स आफ इंडिया सोसाइटी को चलाने में लगाया ।

उन्होंने इन संस्थानों के लिए पूरे दिल से काम किया और आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान को हमेशा याद करेंगी।

उन्हें संसदीय कार्य, शिक्षा और अन्तराष्ट्रीय मामलों में गहन रूचि थी उन्होंने देश की अनेक क्षेत्रों में सेवा की और अपने लिए विशिष्ट स्थान बनाया ।

हम भारत के इस महानसपूत के निधन पर गहरा दु:ख प्रकट करते हैं और निश्चय ही सभा के सभी सदस्य इसमें शामिल हैं ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं डा० कुन्जरु को एक व्यक्तित्व के रूप में जानता हूं । वह एक अद्वितीय व्यक्तित्व था। उन्होंने अपने भाइयों, देश और विश्व के लिए अपने को अर्पित किया। उनका व्यक्तित्व कर्तव्य और जनसेवा के प्रतिनिष्ठा का एक अद्वितीय उदाहरण था । जैसा कि महोदय आपने कहा है उनका कार्यक्षेत्र इतना विविध था कि उसका बखान करना कठिण है और उनके ये सभी कार्य मानव समाज की उन्नति के लिए लाभदायक थे। वह रागद्वेष से परे थे और हर पहलू को उद्देश्यपरक दृष्टि से देखते थे। वह एक ऐसे विद्वान और सुलझे हुए व्यक्ति थे कि उनके तर्क में दोष निकलना कठिण होता था ।

न केवल ससद में अपितु बाहर भी उनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला। मैंने उनके सामाजिक कार्य देखे। वह अपनी मृत्यू तक आदिम जाति सेवक संघ के उपाध्यक्ष रहे। वहीं मैंने देखा कि वह आदिवासियों के विकास में कितनी रुचि रखते थे। ऐसे निष्काम भाव वाले ईमानदार व्यक्ति समाज में बहुत कम होते हैं। उन्होंने कभी भी लोकप्रियता प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। उनका जीवन बड़ा ही सादा था। वह सर्वेन्ट आफ इण्डिया सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे और कई वर्ष तक उसके अध्यक्ष रहे ।

हमने भारत के एक ऐसे महान सपूत को खो दिया है जो न केवल भारत के लिए अपितु विश्व के लिए सोचा करता था। हम उनके निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त करते हैं और मैं अपनी तथा सभा की ओर से शोकसंतप्त परिवार को अपनी संवेदना भेजते ह ।

श्री जे० रामेश्वर राव (महबूब नगर) : महोदय, दुर्भाग्य से हमारे नेता श्री यशवन्तराव चव्हाण यहां इस अवसर पर उपस्थित न हो सके। मैं उनकी ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से पंडित हृदयनाथ कुन्जरु के निधन पर संवेदना व्यक्त करता हूं। पंडित कुन्जरु हमारे गणतंत्र के संस्थापकों में से थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। वह महात्मा गांधी और नेहरू के निकट सहयोगी थे। श्री गोपाल कृष्ण गोखले, तेजबहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय और श्रीनिवास शास्त्री की भांति श्री कुन्जरु एक महान विद्वान, मृदुभाषी, दयालू, नम्र सुझाव व्यक्ति थे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं पंडित कुन्जरु को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। स्वतंत्रता के तुरन्त बाद जब मैं विदेश सेवा में आया तो मुझे अफ्रीका भेजा जा रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुझ से कहा था "Do you know Pt. Kunjru; meet him; what he knows about Africa, only a fewpeople know." मैं गया और उनसे मिला। व्यस्त होने पर भी उन्होंने मेरे लिए समय निकाला। उन्होंने मुझे अफ्रीका, अफ्रीका की समस्याओं, भारत की विदेश नीति तथा हमारी गुट-निरपेक्ष नीति के बारे में बहुत कुछ बताया, अन्त में कहा कि मुझे खेद है कि म इस बारे में अधिक जानकारी नहीं रखता और आपको और अधिक नहीं बता सकता। मैं उनकी विद्वता और नम्रता से बहुत अधिक प्रभावित हुआ ।

हममें से जो पंडित कुन्जरु को जानते हैं वे इस बात से खुश होंगे कि जब उनकी मृत्यू हुई तो वह यह अच्छी प्रकार जानते थे कि हमारे राष्ट्र के निर्माताओं के आदर्शों का इस देश के लोग आज भी उतना ही आदर करते है। अब हम यही कह सकते ह कि हमारे समय की एक महान आत्मा अब एक एतिहासिक तथ्य बन चुकी है और उनके आदर्शों का अनुसरण करके ही हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजली अरपि्त कर सकते हैं ।

श्री सी० एम० स्टीफन (इडुक्की) : मैं और मेरी पार्टी पंडति कुन्जरु के निधन पर जो भाव यहां व्यक्त किये गए हैं उनमें आपके साथ हैं। आपने उनके विशिष्ट कार्यों का पहले ही उल्लेख कर दिया है। उनके क्रियाकलाप इतने विविध और बहुमुखी थ कि उनका वर्णन करना सम्भव नही है। हमारे देश में इनका उद्भव एक विशेष अवधि में हुआ जबकि राष्ट्र को ऐसे सपूतों की जरूरत थी।

वह एक उद्भट विद्वान, एक जानेमाने सांसद्, महान देशभक्त थे, उनकी जिज्ञासा उर्दू और आदिवासियों की समस्याओं से लेकर अन्तरराष्ट्रीय समस्याओं तक फैली हुई थी। ऐसे व्यक्ति कभी कभार ही जन्म लेते हैं ।

सन् 1909 से जब वह सर्वेन्ट्स सोसाइटी आफ इण्डिया सोसाइटी में थे, 10 वर्ष की अवधि का समय भारत के इतिहास में एक शानदार समय रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया और 1919 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सम्बन्ध रहे। पर उदार विचारों के होने के कारण, जब राष्ट्रीय कांग्रस ने व्यापक अन्दोलन आरम्भ किया तो उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया। तब से देश में दो अलग-अलग धाराएं बहने लगी। एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो ब्रिटिश शासन से अपने, देश को मुक्त करने के व्यापक अंदोलनों में जुटी हुई थी और दूसरी उन उदार विचारों वाले व्यक्तियों

के नेतृत्व में जो इसके सीधे भाग नहीं लेते थे, पर उसे मार्ग दर्शन देते थे, उसका मुल्यांकन करते थे, बौद्धिक स्तर पर उसकी सहायता करते थ। पंडित कुन्जरु और सप्रू आदि इसी धारा के व्यक्ति थे। इन दोनों धाराओं ने देश को प्रगति में काफी योगदान किया।

आजादी के बाद पंडित कुन्जरु ने देश में लोकतंत्रात्म परम्पराओं के विकास के लिये काम किया। सांसदविश के रुप में वह अपने आपम एक वर्ग थे, वह संसद में अपने विचार बड़े तर्क से पेश करते थें। वह भावावेश की अपेक्षा तर्क पर विश्वास करते थे। वह बौद्धिक स्तर के तर्क पेश करते थे।

म यह कामना करता हूं कि देश में संसदोय इतिहास में यह परम्परा पुन: जोवित हो उठे। मैं जब इस महान आत्मा को जिनका भारत पर काफी प्रभाव रहा और योगदान रहा अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तो मैं केवल यहीं कामना करता हूं कि हम संसद को गतिविधियां में उस परम्परा को पुनर्जीवित कर सकें। हम इस सम्बन्ध में इतना ही योगदान दे सकते हैं। मैं इस देश के इस महान सपूत के स्मृति में नत-मस्तक होता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे भावनाओं को संतप्त परिवार को पहुंचा दे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं अपने दल और अपनी ओर से भारत के इस महान सपूत को सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सदन के नेता, आपके और अन्य माननीय सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त भावनाओं के साथ स्वयं को सम्बन्ध करता हूं।

पंडित कुंजरू ने इस देश के लिये अपना जीवन समर्पित कर दिया था और वह देश और लोगों के सच्चे सेवक थ। वह बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे और संविधान सभा की कार्यवाही पर उनकी विद्व ता और पांडित्य की गहरी छाप है। वह वास्तव में हमारे संविधान निर्माताओं में एक थे।

उनकी मृत्यु से देश से एक ऐसा नेता खो दिया है जिसने इस देश के लोगों के लिये अपना जीवन समर्पित कर दिया था। म आपसे अनुरोध करता हूं कि आप संतप्त परिवार के सदस्यों को हमारी भावनाएं पहुंचा दोजिये।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं सदन के नेता और सदन के अन्य सदस्य के साथ पंडित एच० एन० कुंजरू के दु:खद निधन पर शोक प्रकट करता हूं।

वह एक विद्वान, और पंडित्यपूर्ण व्यक्ति थे। वह एक गम्भीर सांसद थे और उन्होंने जीवन भर दूसरें देशो के लीगों की बीच मैत्री भाव बनाने का प्रयास किया जिसने उन्होंने न केवल इस देश के लोगों की बल्कि मानवता की सेवा की है। उन्होंने विशेषकर पददलितों की सेवा की है। हम, संसद सदस्य उस परम्परा से प्रेरणा ले सकते हैं जिसका उन्होंने निर्माण किया और जिस ढंग से वह जिये और देश का कार्य किया।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारी संवेदनाएं संतप्त परिवार को पहुंचा दे।

श्री के० मायाधेवर (डिंडीगुल) : मैं आल इंडिया अन्ना डी० एम० के० की ओर से और अपनी ओर से मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह हमारी भावनाएं संतप्त परिवार को पहुंचा दे।

हमने इस धरती और राष्ट्र के एक महान सपूत को खो दिया है। वह सामाजिक, अर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में अग्रणी और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वह देश की स्वतंत्रता के लिये भी लड़े। उन्होंने

डा० अम्बेडकर के साथ मिल कर भारतीय संविधान का प्रारम्भ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परमात्मा उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे।

प्रो० पी०जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मैं माननीय प्रधान मंत्री और अन्य आदरणीय सहयोगियों के साथ मिल कर पंडित एच० एन० कुंजरू के दुःखद निधन पर शोक व्यक्त करता हूं।

वह एक स्वतंत्र व्यक्ति और अच्छे संसद विद् थे और बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति थे। उनके भाषण न केवल तथ्यों पर आधारित होते थे अपितु उससे उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व और चरित्र की महानता का पता चलता था। इसी कारण से सभी उनके भाषणों को ध्यानपूर्वक और आदर से सुनते थे। इसी कारण पंडित नेहरू उन्हे संसद में लाये थे यद्यपि वह किसी दल से सम्बद्ध नहीं थे।

वह एक महान व्यक्ति थे और उन्होंने सार्वजनिक जीवन में आध्यात्मिक आदर्श लाने चाहते थे। हमें आशा है कि आज और भविष्य में हमारे जन-जीवन में ऐसे महान व्यक्तियों की कमी नहीं रहेगी।

उनकी पत्नी और उनके पुत्र का कई वर्ष पहले ही निधन हो गया था अतः उनका कोई अपना परिवार तो नहीं था किन्तु हम लोग उनके लिये परिवार के सदस्य तरह थे। उनके निधन से हम सब को दुःख हुआ है। भगवान हमें शक्ति देगा कि हम जन-जीवन, संसदीय जीवन अथवा सर्वेन्ट आफ इंडिया सोसाइटी अथवा स्काऊटस् और गाइड्स आंदोलन के सम्बन्ध में दिखाये गये मार्ग पर चलने का प्रयास कर सकेंगे। उन्हे अनुशासन में विश्वास था। मेरे विचार से उनमें जो गुण थे उनकी आज बहुत आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा शोक व्यक्त करने के लिये थोड़ी देर के लिये मौन खड़ी रहेगी।

तत्पश्चात्, सदस्य थोड़ी देर के लिये मौन खड़े रहे।

The Members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को दिये गये चन्दे

*574. **डा० रामजी सिंह :**
श्री जी० एम० बनतवाला :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर सरकारी फर्मों द्वारा राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले चंदों पर रोक लगाने का विचार कर रही ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) और (ख) : कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों या राजनीतिक उद्देश्यों के लिये चन्दा देने पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा

293क के अन्तर्गत प्रतिबन्ध है । अगर माननीय सदस्यों द्वारा प्रयुक्त "प्राइवेट फर्मों" का अर्थ विनिगमित कम्पनियों की अपेक्षा अन्य व्यापारिक संगठनों से है, तो तब से प्रकार की फर्मों द्वारा राजनीतिक दलों को चन्दा देने पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

Dr. Ramji Singh : Mr. Speaker Sir, Everyone is aware of how the politics of money is corrupting our republic. Mr. Speaker Sir, many honourable members have asked many questions in this regard but the minister has replied that he has no definite information. In reply to USQ No. 2741 of Shri Arjun Singh Bhadoria he said that he had no information. It was also asked in a starred question of Madhavrao Scindia how much money was given by the proprietors of the sugar mills and to whom but he has said that he did not know it. He has also not told anything in response to an USQ No. 2730 of Shri Kanwarlal Gupta as to how much money was received from foreign countries and by whom ?

Similar questions were asked in USQ No. 6706 by Dr. Karan Singh. It seems from this that Government do not have information as to what extent these business magnates are corrupting our republic and how much money is being given by them. Mr. Speaker Sir, I want to know whether any changes are to be made in the companies Act because there are many loopholes in it in this regard ?

Mr. Speaker Sir, there may be ban on company donations but a huge sum of rupees 9½ crores was given to congress for advertisements. So when there is direct ban on company donation but loopholes are present under the Act which do not curb indirect company donations. In view of this, is there no need for bringing about necessary changes in the Act.

Shri Shanti Bhushan : Mr. Speaker, Sir, it is provided under the Company Act that donations are not allowed. But I have already given information about the amount of rupees 9½ crores that certain political parties brought out sovenirs and they published some advertisement in them, that money was given for advertisements. Whether it is covered under the term "donations" it is a separate matter. It depends upon the fact whether it is covered by "donations".

As far as money given by business magnates to the political parties is concerned, it is not covered under the companies Act. The provisions of the companies Act are not meant for business magnates, it is concerned with companies. Some poor person gives one rupee but some rich person give hundred rupees but there is no restriction on this under the companies Act. Contributions to political parties by rich persons cannot be banned under the companies Act. The question of giving contributions during elections is a separate question and there is proposal under consideration for bringing about electoral reforms in this regard.

Dr. Ramji Singh : Mr. Speaker, Sir, it is correct that electoral reforms will be brought about. In countries like Federal Republic of Germany and in Japan, accounts are maintained of the donations given to the political parties. Janata Party has promised in its election manifesto that a law will be passed for banning company donations to political parties. Will the Law Minister bring forward a legislative measure for the purpose to provide clean administration.

Shri Shanti Bhushan : As I have already said that the question of banning of company donations to political parties and maintaining of accounts for such donations falls within the ambit of electoral reforms. Many aspects are receiving consideration and after some-time, Government will put forward suggestions and consult the other political parties on the question.

श्री जी० एम० बनतवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री ने सदन को स्मरण दिलाया है कि राजनीतिक दलों को चन्दे के सम्बन्ध में कम्पनी कानून में उपबन्ध है। जब एक ओर तो इसमें कम्पनियों द्वारा चन्दा देने पर मनाही है किन्तु दूसरी ओर निजी बिजनस गृहों द्वारा राजनीतिक दलों को चन्दा देने पर मनाही नहीं है, क्या इससे यह बात साफ नहीं हो जाती कि इस सम्बन्ध में असंगति बनी हुई है और इसे दूर किया जाना चाहिये और अन्याय को मिटाया जाना चाहिये।

श्री शांति भूषण : बड़े बिजनस गृहों का अर्थ वह एकाधिकार अथवा बड़े औद्योगिक गृह है जिनका एकाधिकार अधिनियम में उल्लेख है और यह वह औद्योगिक गृह हैं जिनकी कुल आस्तियां 20 करोड़ रुपये से अधिक है। यदि ऐसा है तो मैं यह यह कहना चाहूंगा कि यह गृह कम्पनियों के साथ भी सम्बन्धित हैं और उनमें से अधिकांश आस्तियां कम्पनियों के पास है। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जिस पर उनका नियन्त्रण है। जहां तक कम्पनियों का सम्बन्ध है उनके द्वारा राजनीतिक दलों को चन्दा देने पर प्रतिबन्ध है किन्तु जहां तक व्यक्तियों का सम्बन्ध है, इस समय इसके बारे में कोई उपबन्ध नहीं है अत: वह राजनीतिक दलों को चन्दा दे सकते है।

डॉ० कर्ण सिंह : इस बात को सभी जानते हैं कि चुनाव एक महंगी चीज है। फिर भी हमारी राजनीतिक प्रक्रियाओं के विशद और जटिल होने के कारण व्यय में कमी की जा सकती है। अत: मंत्री महोदय कह सकते हैं कि कम्पनी चन्दों पर कानून की दृष्टि से तो प्रतिबन्ध है किन्तु हो क्या रहा है? चुनाव में होने वाले व्यय में कमी नहीं आ रही है। सभी राजनीतिक दल गैर कानूनी ढंग से चन्दे वसूल करते हैं। अत: क्या मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि वह ऐसे कौन से कदम उठा रहे हैं जो बड़ी बड़ी धनराशियां गैर कानूनी ढंग से चुनावों के लिये प्राप्त की जाती हैं। उन्हें कानूनी ढंग से प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए। या तो यह धनराशि सरकार वाहन करे अथवा कोई और व्यवस्था की जाये। नहीं तो यह कैसे हो सकता है कि जैसे मेरा निर्वाचन क्षेत्र 7000 वर्ग मील में फैला हुआ है। यदि मैं उसका दौरा नहीं करता तो मैं चुनाव कैसे लड़ सकता हूं। अत: उन्होंने चुनाव सुधारों का उल्लेख किया है। क्या वह सदन को अवगत करायेंगे कि वह सदन के सामने अब ठोस प्रस्ताव लेकर आयेंगे।

यह बहुत पहले होना चाहिए था। स्वतन्त्रता प्राप्त किये हुए 30 वर्ष बीत चुके हैं। क्या आप नहीं समझते कि इस मामले में सुधार करने का अब समय आ गया है?

श्री शान्ति भूषण : पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य कर्ण सिंह, जिनका मैं अत्यधिक सम्मान करता हूं, 30 वर्ष के विलम्ब के लिए मुझे दोषी ठहराने में जरा अनुचित बात कर रहे हैं, क्योंकि वह अच्छी तरह जानते हैं कि मैं यहां...

अध्यक्ष महोदय : वह 31 वें वर्ष के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री शान्ति भूषण : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हमें आशा है कि कुछेक महीनों के भीतर जनता के समक्ष, राजनीतिक दलों, आदि के समक्ष कतिपय प्रस्ताव लाये जायेंगे। माननीय सदस्य ने यह उल्लेख किया है कि चुनावों का खर्चा सरकार द्वारा दिय

जाये । मुझे यह कहने में खुशी होती है कि इस सम्बध में एक प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है । एक बात और है। जहां तक गैर कानूनी ढंग से पैसा इकट्ठा करने का सवाल है, माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि मानों चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों को जो कुछ पैसा मिलता है वह 293क का उल्लंघन करके नाजायज तरीके से आता है, आर्थात् कम्पनियों से काला धन लिया जाता है। मैं कहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। मैं इससे इनकार नहीं करता । हो भी सकता है, क्योंकि हमारे लिए यह जानना संभव नहीं है कि किसी ने अतीत में गैर कानूनी ढंग से पैसा लिया हो। परन्तु जनता राजनितिक दलों को काफी चंदा देती रही है। गत वर्ष का हमरा अनुभव तो यह है कि जनता ने पिछले लोक सभा चुनावों के दौरान बहुत से लोगों से दान के रूप में थोड़ा पैसा लिया था और यह तो गरीब लोगों के उत्साह का परिणाम था... **(व्यवधान)**

लकड़ी के स्लीपरों को बदलना

*575. **श्री के० राममूर्ति :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लकड़ी और लोहे के स्लीपरों को प्रबलित कंक्रीट स्लीपरों में बदलना कहां तक किफायती है;

(ख) हमारी रेलवे की कुल लम्बाई में से कितने किलोमीटर लम्बाई में कंक्रीट स्लीपरों को लगाया गया है और इनको बदलने का चरणबद्ध कार्यक्रम क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कक्रीट स्लीपरों से रख-रखाव लागत एक तिहाई हो जाती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसके कारण गैंग मजदूरों की कोई छंटनी होगी ?

रेल मंत्री (प्रोफसर मधु दंडवते) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) लकड़ी और लोहे के स्लीपरों के बदले प्रचलित कंक्रीट स्लीपरों की व्यवस्था मितव्ययता के दृष्टिकोण से नहीं की जा रही है क्योंकि कंक्रीट स्लीपर लकड़ी और लोहे के स्लीपरों के मुकाबले महंगे होते हैं। रेलवे का एक ऐसा कार्यक्रम है कि यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और सुरक्षा के हित में तेज रफ्तार तथा अत्यधिक घनत्व वाले ट्रंक मार्गों पर जहां लम्बी झली हुई पटरिया इस्तेमाल की जाती है, कंक्रीट स्लीपर बिछाये जायें । इस प्रकार के मार्ग का अनुरक्षण कार्य भी आखीर में ज्यादा बेहतर पाया गया है।

(ख) अब तक, लगभग 225 कि० मी० लम्बे रेल मार्ग पर कंक्रीट के स्लीपर बिछाये गये हैं। फिलहाल प्रति वर्ष लगभग 120 कि० मी० लम्बे मार्ग पर कंक्रीट के स्लीपर बिछाये जाते हैं। अगले 5 स 6 वर्ष की अवधि में कंक्रीट के स्लीपर बिछाने के काम के क्रमिक रूप से बढ़कर प्रतिवर्ष लगभग 500 कि० मी० तक पहुंच जाने की सम्भावना है।

(ग) लोहे और लकड़ी के स्लीपरों वाले उसी प्रकार के परम्परागत रेल मार्ग की तुलना में कंक्रीट के स्लीपरों वाले रेल मार्ग की अनुरक्षण लागत लगभग 40 से 50 प्रतिशत तक कम हो जाने की संभावना है।

(घ) कंक्रीट के स्लीपरों के अपनाने से गैंगमैनों की कोई तात्कालिक छंटनी नहीं होगी । गैंग-कर्मचारियों की संख्या में कमी सेवा निवृत्तियों, स्थानान्तरणों, पदोन्नतियों आदि द्वारा धीरे-धीरे की जायेगी ।

श्री के० राममूर्ति : मेरा आशय तो माननीय मंत्री जी से यह जानकारी प्राप्त करना है कि क्या लकड़ी और लोहे के स्लीपरों को कुछ और अधिक किलोमीटर तक प्रबलित कंक्रीट स्लीपरों में बदलने का कार्य और आगे बढाया जायेगा ? जिससे सुरक्षा, गाड़ियों का सुचारु रूप से चलना और इसका स्थायित्व सुनिश्चित किया जाये ।

दूसरे मुझे आशंका है कि इन स्लीपरों को कंक्रीट स्लीपरों में बदलने से गैंग मजदूरों की बड़े पैमाने पर छंटनी हो जाएगी । इसका उत्तर मंत्री जी ने दिया है कि अब तक लगभग 225 कि० मी० लम्बे रेल मार्ग पर कंक्रीट के स्लीपर बिछाये गये हैं। फिलहाल प्रतिवर्ष लगभग 120 कि० मी० लम्बे मार्ग पर कंक्रीट के स्लीपर बिछाये जाते हैं। अगले 5 से 6 वर्षों की अवधि में 500 कि० मी० तक बिछा दिये जायेंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि 225 कि० मी० लम्बे रेल मार्ग में कंक्रीट के स्लीपर बिछाने से वहां से कितने गैंग मजदूरों की छंटनी की गयी है ?

प्रो० मधु दंडवते : मैं पहले अंतिम भाग का उत्तर दूंगा । इसका उल्लेख विवरण के भाग (घ) में पहले ही किया जा चुका है। समूचा कार्य इस तरह से किया जाएगा कि गैंग मैनों की छंटनी न हो। धीरे-धीरे सेवा निवृत्ति, स्थानान्तरणों अथा अन्य कार्यों में लगा करके ऐसा किया जाएगा।

पहला भाग कार्य के सम्बन्ध में है कि कितना कार्य किया जाना है। आज की स्थिति यह है कि 32,000 कि० मी० झली हुई पटरी के मार्ग का उपयोग किया जाता है। झली हुई पटरियों में फिश प्लेटों की आवश्यकता न रहे तो उस हद तक तोड़-फोड़ की कोशिश भी नहीं होगी । कठिनाई यह है कि जहां भी झली हुई पटरियां हैं, वहां गर्मीयो के कारण उनके बढ़ जाने की भी संभावना है। क्योंकि दो पटरियों के बीच में हवा का स्थान नहीं है। यदि पटरियां कंक्रीट स्लीपरों में जोड़ी जायेंगी तो गर्मी के कारण होने वाली क्षति भी नहीं होगी । इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से भी कंक्रीट के स्लीपरों का होना आवश्यक है ।

श्री के० राममूर्ति : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। चूंकि 225 कि० मी० रेल मार्ग में कंक्रीट स्लीपरों के बिछा देने से कितने गैंग मजदूरों की छंटनी की गई है।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है कि एक भी गैंगमैन की छंटनी न तो की गयी है और न की जाएगी ।

श्री के० राममूर्ति : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है। माननीय मंत्री इस बात से सहमत हैं कि छंटनी शीघ्र नहीं होगी । इसका मतलब है भविष्य में इस कारण छंटनी होगी। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि इस कारण किसी गैंग मजदूर की छंटनी

नहीं होगी । दूसरे, सुरक्षा और स्थायित्व के कारण क्या मंत्रालय एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में बड़े पैमाने पर इन्हें कंक्रीट स्लीपरों में बदलने का कार्य शीघ्र आरंभ करेगा ?

प्रो० मधु दंडवते : पहले यह समझने की कोशिश करिए कि जब कंक्रीट के स्लीपर होंगे तो कम गैंगमैनों की आवश्यकता क्यों होगी ? आम तौर पर गैंग मेन का एक कार्य हाथ से गिट्टी का कार्य करना होता है परन्तु जब कंक्रीट के स्लीपर होंगे तब गिट्टी का काम हाथ से न किया जाकर मशीनों द्वारा किया जाना होगा । इसलिए कम गैंगमैनों की जरूरत रह जाएगी ।

भाग (घ) में मैंने बताया है कि छंटनी का कोई प्रश्न ही नहीं है । धीरे-धीरे ज्योंही कंक्रीट के स्लीपरों की व्यवस्था हो जाएगी, त्योंही कम गैंगमैनों की आवश्यकता रह जाएगी । परन्तु कार्य इस तरह से किया जाएगा कि जब कोई गैंगमैन अवकाश प्राप्त करेगा तो कोई नए गैंगमैन नहीं होंगे । अत: नए पद नहीं बनाए जायेंगे परन्तु नए तरह के यांत्रिक पद बनाए जायेंगे ।

दूसरे, कुछ स्थानान्तरण होंगे और जो वर्तमान गैंगमैन हैं, उनको दूसरा काम दिया जाएगा । इस तरह से छंटनी बिलकुल नहीं होगी । अभी तक किसी गैंगमैन की छंटनी नहीं की गई है और न ही भविष्य में की जाएगी ।

एक अन्य भाग का उत्तर यह है कि 225 कि० मी० तक काम पूरा हो चुका है और हमें आशा है कि 5 या 6 वर्षों में 500 कि० मी० प्रतिवर्ष के हिसाब से काम होगा और इस हिसाब से बेहतर ढलो हुई पटरियों और कंक्रीट स्लीपरों से अधिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी ।

श्री के० मालन्ना : विवरण में यह बताया गया है कि लकड़ी और लोहे के स्लीपरों के बदले प्रबलित कंक्रीट स्लीपरों की व्यवस्था मितव्ययता के दृष्टिकोण से नहीं की जा रही है, क्योंकि कंक्रीट के स्लीपर लकड़ी और लोहे के स्लीपरों के मुकाबले महंगे होते हैं । विवरण के भाग (ग) में यह बताया गया है कि लोहे और लकड़ी के स्लीपरों वाले उसी प्रकार के परम्परागत रेल मार्ग की तुलना में कंक्रीट के स्लीपरों वाले रेल मार्ग की अनुरक्षण लागत लगभग 40 से 50 प्रतिशत तक कम हो जाने की संभावना है । क्या मैं मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या कंक्रीट के स्लीपर या लकड़ी और लोहे के स्लीपर अधिक उपयुक्त और कम खर्ची के है ?

प्रो० मधु दंडवते : जहां तक मितव्ययता पहलू का सम्बन्ध है, इसमें दो मुख्य बातें हैं एक अल्पकालिक है और दूसरा दीर्घकालिक । अल्पकालिक के सम्बन्ध में आरंभ में लगायी जानेवाली पूंजी के बारे में मैं यहां पर तीन प्रकार के आकड़े दे रहा हूं जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि लकड़ी के स्लीपर कम खर्चीले हैं । एक कंक्रीट के स्लीपर पर हमें 270 रुपये खर्च करने पडेंगे जबकि लोहे के स्लीपर पर 204 रुपए और लकड़ी के स्लीपर पर 233 रुपए । इस तरह कंक्रीट का स्लीपर अधिक महंगा है क्योंकि इसकी कीमत 270 रुपए है परन्तु यह अल्पकालिक पहलू है । विद्युतीकरण की तरह, दीर्घकालिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है और हम देखते हैं कि भविष्य में कंक्रीट के स्लीपरों की व्यवस्था हो जाएगी । यद्यपि प्रारंभ में हमें अधिक खर्च करना पड़ेगा, परन्तु सुविधा यह होगी कि जहां लकड़ी का स्लीपर 20 वर्ष चलेगा, वहां कंक्रीट का स्लीपर 50 वर्ष चलेगा । जहां तक रख-रखाव का सम्बन्ध है, हमें भविष्य में पटरियों के

रख-रखाव पर 40% से 50% तक कम खर्च करना पड़ेगा और दीर्घकालिक दृष्टि से कंक्रीट के स्लीपर कम खर्चीले होंगे ।

एकाधिकार गृहों का विस्तार

*576. **श्री वयालार रवि :**
श्री एन० श्रीकान्तन नायर

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1975 से एकाधिकार गृहों ने अपना विस्तार किया है तथा नयी कम्पनियों तथा इन कम्पनियों की सहायक कम्पनियां बनाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह विस्तार किस सीमा तक हुआ है तथा किन-किन एकाधिकार गृहों ने यह लाभ उठाया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) और (ख): आवश्यक ब्यौरे कम्पनी रजिस्ट्रारों से जहां तक सांविधिक रिकार्डों में उपलब्ध हैं, सुनिश्चित किये जाएंगे और सदन के पटल पर प्रस्तुत किए जाएंगे ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : यह सभी जानते हैं कि एकाधिकार गृहों ने अपनी सम्पत्ति 500 से 1000 गुना बढा ली है। कुछ ऐसे भी एकाधिकार गृह हैं जिन्होंने अपना काम 20,000 रु० की पूंजी से आरम्भ किया था । क्या सरकार कोई ऐसा कदम उठाना चाहती है जिससे इन गृहों की शक्ति और न बढ पायें ?

श्री शांति भूषण : एकाधिकार और निर्धनधारी व्यापार व्यवहार अधिनियम में कुछ उपबन्ध हैं। इनका उद्देश्य बड़े व्यापार गृहों के असीमित विकास पर प्रतिबन्ध लगाना है। इनके अनुसार 25 प्रतिशत से अधिक के विस्तार के लिए सरकार की अनुमति चाहिए। यह सिध्दान्त है कि जनहित विरोधी आर्थिक संकेन्द्रण स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और इस प्रकार के सिध्दान्त को लागू करने के लिए उक्त आधार पर विचार किया जाता है। इस अधिनियम के उपबन्धों की समीक्षा करने के लिए न्यायमूर्ति राजेन्द्र सचर समिति बनाई गई है। जैसे ही इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाएगा, सरकार उस पर विचार करेगी ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : एकाधिकार गृह बोनस शेयर जारी करके तथा अन्य युक्तियों अपना कर अपनी पूंजी का विस्तार करते हैं । क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में केवल इक्वीटी शेयरों पर ही लाभांश दिया जाये, न कि बोनस और अन्य शेयरों पर ।

श्री शांति भूषण : यदि आपका आशय यह है कि केवल मूल इक्विटी शेयरों पर ही लाभांश दिया जाना चाहिए और बोनस शेयरों पर, जिन्हें मूल शेयरधारियों को दिया जाता है लाभांश नहीं दिया जाना चाहिए तो मैं नहीं समझता कि यह सम्भव होगा ।

श्री एन० श्रीकान्त नायर : बोनस शेयरों पर बराबर का लाभांश देने से पूंजी में वृद्धि होती है अन्यथा उन्हें यह सरकारी प्रतिभूतियों में लगानी पड़ेगी । क्या सरकार का इस प्रकार की कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चूका है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आशंका यह है कि अधिनियम के उपबन्धों को लागू नहीं किया जा रहा है, तो क्या इन उपबन्धों को कड़ाई से लागू किया जा रहा है? सरकार को इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना चाहिए था, इस प्रश्न की सूचना बहुत पहले दी जा चुकी थी। हम चाहते हैं कि आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रण नहीं होना चाहिए और एकाधिकार गृहों का विस्तार नही होने देना चाहिए।

श्री शांति भूषण : नई कम्पनियां खोलने के बारे में एकाधिकार और निर्बन्धनकारी व्यापार व्यवहार अधिनियम में कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं। यदि नई कम्पनियां निवेश कम्पनियां हैं तो उसके लिए सरकार की अनुमति की जरुरत नहीं है। उत्पादन, पूर्ति और वितरण के कामों में लगी कम्पनियां खोले जाने के मामलों में ही उक्त अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हैं। इनका पालन किया जा रहा है। जब कभी इस बारे में कोई आवेदन प्राप्त होता है तो उसकी उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जांच की जाती है। अधिनियम में यह व्यवस्था नहीं है कि विस्तार या नई कम्पनी खोलने के लिए प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों को स्वीकार ही कर लिया जाए या उनको रद्द कर दिया जाए। प्रत्येक आवेदनपत्र पर अधिनियम में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर विचार किया जाता है।

श्री बेदव्रत बरुआ : हमारे एकाधिकार सम्बन्धी अधिनियम में कम्पनियों के आकार के प्रति कुछ पक्षपात किया गया है। बड़े व्यापार गृहों की सतत् वृद्धि के बारे में सरकार की क्या नीति है? 20 करोड़ की सीमा के बारे में क्या स्थिति है? यह अफवाह है कि इस सीमा को बढ़ा कर 50 करोड़ किया जा रहा है। क्या इस वृद्धि के बारे में सरकार का कोई प्रस्ताव है?

श्री शांति भूषण : जनता पार्टी संविधान में दिए गए निर्देशक सिद्धान्तों के अनुरूप ही आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण के विरुद्ध है। इन सिन्धान्तों की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। 20 करोड़ की सीमा को बढ़ाने के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या राजेन्द्र सचर समिति उन मामलों की भी जांच करेगी जिन में नौकरशाही की मदद से उक्त अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है।

श्री शांति भूषण : राजेन्द्र सचर समिति कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार और निर्बन्धनकारी व्यापार व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों की जांच कर रही है।

जहाँ तक अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन का प्रश्न है, ऐसे मामलों की जांच करना इस समिति का काम नहीं है। यदि आप मेरे ध्यान में कोई विशिष्ट मामला लाए तो मैं उसकी जांच करुंगा।

श्री कृष्ण कान्त : क्या आप जानते हैं कि एकाधिकार और निर्बन्धनकारी व्यापार व्यवहार अधिनियम में एकाधिकार गृहों को विभाजित करने का उपबन्ध है, पर पिछली सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की? क्या वर्तमान सरकार एकाधिकार आयोग को निदेश देगी कि वह एकाधिकार गृहों के विभाजन के लिए कार्यवाही करे तथा अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करे?

श्री शांति भूषण : बड़े औद्योगिक गृह केवल एक कम्पनी नहीं हैं। वास्तव में सभी अन्तर-सम्बद्ध कम्पनियों को एक ही बड़े औद्योगिक गृह का अंश माना जाता है। मेरे विचार से एक कम्पनी को कई कम्पनियों में विभाजित कर देने से उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 577—श्री मावलंकर।

श्री कृष्ण कांत: उन्होंने पूरा उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि कम्पनी को विभाजित करने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती।

श्री कृष्ण कांत: मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है उससे यह स्पष्ट होता है कि कानून बेकार है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान आप इस विषय पर बहस कर सकते हैं।

राज्य सड़क परिवहन निगमों की पूंजी की आवश्यकताएं

*577. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सड़क परिवहन निगमों की पूंजी की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार के बीच सहमति क्रमानुसार 2 : 1 के अनुपात में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली पूंजी के लिए समुचित अंशदान देती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1971-72 तक गुजरात सरकार को दिया गया उपयुक्त केन्द्रीय अंशदान नियमित था और इसके बाद वार्षिक बकाया राशि जमा हो गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों को उनका उचित भाग न देने के क्या कारण है ;

(घ) गुजरात राज्य सरकार को इस बारे में अब तक कुल कितनी बकाया राशि का भुगतान किया जाना है; और

(ङ) क्या सरकार गुजरात राज्य को उक्त बकाया राशि का यथाशीघ्र भुगतान करेगी ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) से (ङ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) केन्द्र सरकार रेलों के माध्यम से 14 राज्य सड़क परिवहन निगमों को समुचित पूंजी अंशदान की व्यवस्था करती है जो सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा की गयी पूंजी व्यवस्था का 50% तक होता है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) : अनुबन्ध '1' के रूप में एक विवरण संलग्न है जिसमें योजना आयोग द्वारा अनुमोदित पूंजी परिव्यय, राज्य सरकारों द्वारा दी गयी वास्तविक राशि और केन्द्र सरकार (रेलों) द्वारा अंशदान के रूप में दी गयी रकम दिखायी गयी है।

1971–72 तक केन्द्र सरकार के अंशदान में कोई गिरावट नहीं आई थी ।

राज्य सड़क परिवहन निगमों को पूंजी अंशदान के लिए धन की व्यवस्था योजना आयोग द्वारा की जाती है । जैसा कि अनुबन्ध 'I' से पता चलेगा, कि कुछ विशेष वर्षों में गुजरात राज्य सरकार ने अपने राज्य सड़क परिवहन निगम में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित पूंजी से अधिक पूंजी का निवेश किया है । जिस के फलस्वरूप केन्द्र सरकार के अंशदान में तदनुरूपी गिरावट आई है । चौथी योजना के अन्तिम वर्ष 1973-74 में योजना आयोग द्वारा धन की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी । इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 1978 तक केन्द्र सरकार के अंशदान में 332.80 लाख रुपये की संचयी गिरावट आई है ।

(ङ) योजना आयोग से पर्याप्त धन उपलब्ध होने पर बकाया राशि का हिसाब साफ कर दिया जायेगा ।

अनुबन्ध I

गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम

1971-72 से 1977-78 तक की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली वार्षिक बजट में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित लागत पूंजी, केन्द्र सरकार द्वारा देय रकम, व्यवस्था की गयी राशि और बकाया राशि

(लाख रुपयों में)

वर्ष	योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय जो राज्य सरकार द्वारा अंशदान के रूप में दिया जाना है	वास्तविक राशि जिसकी राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था की गयी थी	केन्द्र सरकार (रेलवे) द्वारा देय रकम	रकम जिसकी वास्तव में व्यवस्था की गयी थी	बकाया राशि	निगम को देय केन्द्र सरकार के अंशदान की संचयी बकाया रकम
1971–72	100.00	100.00	50.00	50.00	कुछ नहीं	कुछ नहीं
1972–73	122.00	150.00	75.00	61.00	—14.00	—14.00
1973–74	166.00	166.00	83.00	कुछ नहीं	—83.00	—97.00
1974–75	168.00	168.00	84.00	27.11	—56.89	—153.89
1975–76	कुछ नही	282.00	141.00	129.59	—11.41	—165.30
1976–77	458.00	443.00	221.50	141.00	—80.50	—245.80
1977–78	279.00	534.00	267.00	180.00	—87.00	—332.80

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मेरे मित्र, माननीय रेल मंत्री ने एक लम्बा विवरण प्रस्तुत किया है जिसमें परिशिष्ट I भी शामिल है । किन्तु आप देखेंगे कि मेरे प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर उन्होंने इस लम्बे विवरण में बडा ही संक्षिप्त दिया है ।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि रेल संत्रालय 322.80 लाख रूपये की बकाया राशि का भुगतान क्यों नहीं कर रहा है । इस सम्बन्ध में कोई कारण नहीं बताया गया है । उन्होंने कहा है कि योजना आयोग झुक नहीं रहा है और उसके बाद वह कहते हैं...

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि गुजरात सरकार ने योजना आयोग से स्वीकृत राशि से अधिक व्यय कर लिया गया है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : इस सम्बन्ध में कोई नियम है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता हूं ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : यदि गुजरात सरकार ने अधिक धनराशि व्यय की है तो इसके लिये उनकी प्रशंसा की जानी चाहिये । इसके लिये उन्हें दण्ड दिया जा रहा है और इसके लिये कोई कारण नहीं दिया गया है । उन्होंने मात्र यह कह दिया है कि यदि योजना आयोग देता है तो मैं भी दे दूंगा । मेरे प्रश्न का उन्होंने यहीं उत्तर दिया है ।

मेरा पहला प्रश्न यह है कि 1969 तक गुजरात में भी महाराष्ट्र की भांति राज्य मार्ग परिवहन का 100 प्रतिशत राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था – माननीय मंत्री जानते है कि वहां 100 प्रतिशत राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है और इस बात को ध्यान में रखते हुये गुजरात की राज्य परिवहन अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहती है विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में और अधिक बसें और सड़कों की व्यवस्था करना चाहती है और यह तभी हो सकता है जबकि अतिरिक्त बसें उपलब्ध हों जिसके लिये धनराशि दिल्ली से आनी चाहिये कम-से-कम एक-तिहाई राशि दिल्ली से आनी चाहिये । क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में आश्वासन देंगे कि वह बजट में इसके लिये अधिक धनराशि की व्यवस्था करेंगे कमसे कम उन राज्यों के लिये तो यह व्यवस्था की ही जानी चाहिये जहां परिवहन का 100 प्रतिशत राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है ?

प्रो० मधु दंडवते : उत्तर देने से पहले मैं माननीय सदस्य के मन में बैठी गलत फहमी को दूर करना चाहता हूं । जहां तक रेल मंत्रालय का सम्बन्ध है हम तो योजना आयोग द्वारा स्वीकृत राशि को पहुंचाने वाले है । हम इसे रेल वेगनों पर लगा देते है और उन्हें मार्ग परिवहन निगम की ओर भेज दिया जाता ... मैं एक बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है हम तो आबंटित राशि को पहुंचाने वाले है और उसे राज्य मार्ग परिवहन निगमों को दे दिया जाता है ।

दूसरे, उन्होंने यह शिकायत की है कि मैंने जो उत्तर दिया है उसमें यह कारण नहीं बताया गया है कि भुगतान क्यों नहीं किया गया है और अभाव क्यों हैं । वास्तव में विवरण के प्रमुख भाग में बात को बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया है अगर इसमें दिये

2—123 LSS/ND/78

गये तथ्यों और आंकड़ों को देखा जायेगा तो इस बात का पता चलेगा । स्पष्टीकरण देने के दो तरीका है या तो एक बड़ा विवरण प्रस्तुत करें अथवा श्री म.वलंकर जैसे व्यक्ति के लिये एक तालिका प्रस्तुत कर दो । दूसरे स्तम्भ में दी गई तालिका से यह पता चलता है कि योजना आयोग द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई है । दूसरे स्तम्भ में यह दिखाया गया है कि अन्तर कितना है ? मैं यह स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि 1970-77 से 1977-78 तक योजना आयोग द्वारा आबंटित धनराशि 12.92 करोड़ रूपये बनती है । इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमने उन्हें 588 करोड़ रुपये की धनराशि दी है । वास्तव में दोनों का अन्तर 57 लाख रुपये हैं और 332.80 लाख रुपये नहीं है जैसे कि राज्य सरकार ने दावा किया है ।

दूसरी बात यह है कि योजना आयोग से हम बराबर मांग करते आ रहे हैं कि हम राज्य परिवहन से अच्छे सम्बन्ध चाहते हैं अतः अच्छा होगा कि राज्य परिवहन के लिये आबंटन की राशि बढ़ा दी जाये । कुछ सीमा तक तो हमें सफलता मिली है और कुछ वर्षों की अपेक्षा कुछ अधिक आबंटन हुआ है । अतः हम इस बात को समझें कि हमने योजना आयोग पर अपना प्रभाव ड़ाल कर आबंटन की राशि में कुछ वृद्धि करा दी है ।

अन्त में मैं आपको सन्तोषजनक उत्तर देकर समाप्त करना चाहता हूं । आपको जान कर हर्ष होगा कि इस वित्तीय वर्ष में योजना आयोग ने 15 राज्य निगमों के लिये 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है और उसका बड़ा भाग अर्थात् 2 करोड़ रुपया हमने गुजरात राज्य को दिया है । यह कहा गया है भेदभाव किया गया है यह तीन करोड़ नहीं 2 करोड़ रुपये हैं ।

इस बात पर अधिक जोर क्यों दिया गया है इसका उत्तर माननीय सदस्य ने स्वयं ही उत्तर दे दिया है कि यह उन राज्यों में से एक हैं जहां पर 100 प्रतिशत राष्ट्रीय-करण हो गया है । मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि 2 करोड़ रुपया दे दिया गया है तो जिसमें 55 लाख रूपये देना बाकी है तो हम बकाया राशि का भुगतान कर सकेंगे ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : उन्होंने प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में 50 प्रतिशत का आंकड़ा दिखाया है और विभिन्न राज्य निगमों के लिये केन्द्रीय सहायता 50 प्रतिशत है । उन्होंने स्वयं कहा है कि गुजरात में 100 प्रतिशत राष्ट्रीयकरण हो गया है और अब केवल दो राज्य हैं । क्या वह यह सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्रीय सरकार, रेल मंत्रालय और योजना आयोग ऐसे निगमों को वित्तीय सहायता दे ताकि वह उससे अधिक बसें खरीद सकें । अब जीवन बीमा निगम और भारतीय औद्योगिक विकास बैंकों को राज्य परिवहन निगमों को ऋण देने की अनुमति नहीं है । इसलिये मैं यह कह रहा हूं कि वह इन दोनों संस्थाओं को कह देंगे कि वह ऋण-सुविधाओं की व्यवस्था करें क्योंकि राज्य परिवहन निगम रोजगार के अवसर उपलब्ध करती हैं। अच्छी सुविधायें, अच्छे संचार साधन और आर्थिक विकास में सहायता करती हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अनुपात 2 और 1 अथवा 50 प्रतिशत एक ही बात है इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है ।

प्रो० पी०जी० मावलंकर : मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक अनुपात का सम्बन्ध है यह न वे रेल मंत्रालय ने ही और न ही योजना आयोग ने यह अनुपात निश्चित किया है । यह परिवहन विकास परिषद ने निश्चित किया है । इसके विपरीत, पेपसु के मामले में यह अनुपात 2 और एक का न हो कर चार और 2 का है । सौभाग्य से, गुजरात उन 14 राज्यों में से एक है जो जहां का अनुपात 2 और एक का है । और उन्हें इस बात से संतुष्ट होना चाहिये । मैंने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है । जहां तक उस समस्या का सम्बन्ध है, हम निर्णय नहीं कर सकते क्योंकि निर्णय परिवहन विकास परिषद द्वारा लिया गया है और अगर वह यह सोचते है कि इस सुझाव के सन्दर्भ में उस पर पुनः विचार किया जा सकता है और हम उन प्रस्तावों को स्वीकार कर सकते हैं ।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : मैं माननीय रेल मंत्री से यह सुन कर प्रसन्न हुआ हूं कि गुजरात राज्य परिवहन निगम को काफी राशि आबंटित की गई है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है कि रेलवे के माध्यम से भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले पूंजी अंशदान के सम्बन्ध में नवम्बर, 1977 में गुजरात राज्य मार्ग परिवहन निगम के वित्तीय आयुक्त, सभापति, उप-सभापति और महाप्रबन्धक के साथ बातचीत हुई थी और उसके पश्चात माननीय मंत्री और निगम के चैयरमैन के बीच एक बैठक हुई थी । उस सम्बन्ध में क्या कार्य किया गया और उस सम्बन्ध में योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि बकाया राशि का भुगतान कब किया जायेगा ?

प्रो० मधु दंडवते : मैंने जो भी उत्तर दिया है वह उस चर्चा के आधार पर दिया है जिसको श्री प्रसन्नभाई मेहता ने उल्लेख किया है ।

ट्रेन एग्जामिनरों के प्रशिक्षण की अवधि

***578. श्री बलदेवसिंह जसरोतियां :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रेन एक्जा मिनरों क मामलों में प्रशिक्षण की अवधि चार्ज-मेनों की तुलना में अधिक है यद्यपि इनकी भर्ती की अर्हतायें चार्जमैनों के समान ही है;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त स्थिति के बावजूद ट्रेन एग्जामिनरों की पदोन्नति की संभावनायें चार्जमैनों की तुलना में बहुत कम है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार इस असंगति को दूर करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) से (ङ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) भर्ती के लिए प्रशिक्षण की अवधि और अर्हताएं एक समान है ।

(ख) से (ङ) : सभी कोटि क कर्मचारियों की पदोन्नति की संभावनाएं अनिवार्य रूप से एक सी नहीं हैं । इस कोटि के पदोन्नति मार्गों में सुधार करने के लिए समय-समय पर उनके संवर्ग में निम्नलिखित परिवर्तन किए गये :—

संशोधन से पूर्व की वेतन संरचना में :—

(i) 1972 म 180-240 रुपये के 1000 पदों को 205-280 रुपये के वेतनमान के साथ मिला दिया गया था ; और

(ii) 1974 में 205-280 रुपये के 900 पदों और 250-380 रुपये के 200 पदों के ग्रेड बढ़ाकर क्रमश: 250-380 रुपये और 335-425 रुपये कर दिये गये थे ।

संशोधीत वेतन संरचना में :—

(i) 1976 में 425-700 रुपये के 217 पदों का ग्रेड बढ़ाकर 550-750 कर दिया गया था ; और

(ii) 1978 में 425-700 रुपये के 1011 और 185 पदों का ग्रेड बढाकर क्रमश: 550-750 रुपये और 700-900 रुपये कर दिया गया था ।

श्री बलदेवसिंह जसरोतिया : तथा-कथित ग्रेड़ बढ़ाने के बावजूद भी जहां तक रेलवे में 80 प्रतिशत ट्रेन एग्जामिनरों का सम्बन्ध है वह 20 वर्ष से भी अधिक अवधि तक उसी ग्रेड़ में रहे हैं । अगर ऐसा है तो मंत्रालय इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है ।

श्री मधु दंडवते : जहां तक पहली दो श्रेणियों का सम्बन्ध है उनमें विभिन्न प्रकार का कार्य है — पहली श्रेणी के ट्रेन एग्जामिनर वेगनों की छोटी मोटी मरम्मत करते है जब कि दूसरी श्रेणी में उन्हें बड़ी मरम्मत का कार्य करना पड़ता है । इस सीमा तक इन दोनो श्रेणियों के कर्मचारियों में अन्तर है । किन्तु ऐसा होते हुए भी पिछले अनेक वर्षों में इस सम्बन्ध में प्रयास किये गये है कि वेतनमानों को बढाया जाये और इन वेतनमानों में इस प्रकार का संशोधन किया गया है कि वेतन आयोग ने जो सिफारिशें की थी रेल मंत्रालय ने उससे भी अधिक वेतनमानों में वृद्धि की है । मेरे विचार में उस सीमा तक तो ट्रेन एग्जामिनर संतुष्ट होंगे क्योंकि जहां तक रेल मंत्रालय का सम्बन्ध है उसने उन्हें काफी अधिक लाभ पहुंचाया है ।

श्री बलदेवसिंह जसरोतिया : क्या माननीय रेल मंत्री इन ट्रेन एग्जामिनरों से मिलेंगे क्योंकि विभाग में सबसे अधिक इन्हीं को हानि हो रही है ।

प्रो० मधु दंडवते : जब हमने कार्य कर दिया है तो बैठक आदि करने का क्या लाभ है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
ANSWERS TO WRITTEN QUESTIONS

भारतीय उर्वरक निगम का विभाजन

*579. **श्री ए० के० राय** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के विभाजन की प्रस्तावित योजना का हाल में कड़ा विरोध किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि विरोध को देखते हुए विभाजन की मूल योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार भारतीय उर्वरक निगम का पुनर्गठन करने से पूर्व श्रमिकों से परामर्श करना चाहेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (जनेश्वर मिश्र) : (क) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि० के पुनर्गठन की प्रस्तावित योजना के विरोध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

(ख) और (ग) : सरकार ने जून, 1977 में एफ० सी० आई० और एन० एफ० एल० को 4 कम्पनियों में पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था । पुनर्गठन से संबंधित कानूनी, वित्तीय, वैयक्तिक और अन्य पहलुओं के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक कार्यकारी दल गठित किया गया था । कार्यकारी दल की सिफारिशों को ध्यान में रख कर और कर्मचारी संघों तथा अन्य संबंधित संगठनों के विचारों को ध्यान में रख कर सरकार के जून, 1978 के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए अनेक निर्णय लिये गये हैं । डा० होमी सेठना की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने एक अलग इंजीनियरिंग कम्पनी की स्थापना का भी निर्णय लिया, जिसमें मुख्य रूप से एफ० सी० आई० का सिन्दरी स्थित योजना और विकास प्रभाग शामिल है । सरकार ने अपने पूर्व निर्णय में कोई संशोधन नहीं किया है और पुनर्गठन 1 अप्रैल, 1978 से लागू हो गया है, परिणामस्वरूप एफ० सी० आई० और एन० एफ० एल० को निम्नलिखित 5 कम्पनियों में पुनर्गठित किया गया है :—

1. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०
2. नेशनल फर्टिलाईजर्स लि०
3. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि०
4. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लि०
5. फर्टिलाइजर (योजना और विकास) इंडिया लि० ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि पुनर्गठन 1 अप्रैल 1978 से लागू हो गया है ।

Construction and removal of Stations

*580. **Shri Bhanu Kumar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the expenditure incurred by the Ministry on the construction and removal of Jagabor, Shamlaroad and Viravada stations between Udaipur and Himatnagar ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): Approximate cost of construction of the three stations and their subsequent down-grading from 'B' class to Halt is as followss :

Jagabor . .	. Rs. 2·00 lakhs
Shamlaji Road	. Rs. 3·50 lakhs
Viravada .	. Rs. 1·30 lakhs

रेल सेवाओं की सुरक्षा के बारे में दक्षिण-पूर्व रेलवे मैन युनियन से सुझाव

*581. **श्री के० प्रधानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेल सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों के बारे में क्षिण पूर्व रेलवे मैन यूनियन से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने उस बारे में क्या उपाय किये है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी हां ।

(ख) ये सुझाव रेल पथ के अनुरक्षण, सिगनल परिचालन, रनिंग कर्मचारियों की समस्याओं, छूट्टी एवजियों तथा सवारी डिब्बों और रेल इंजनों की छोटी-मोटी मरम्मत के बारे में हैं ।

(ग) इन सुझावों की जांच कर ली गयी है और आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है ।

भविष्य में स्थापित किये जाने वाले उर्वरक संयंत्र के लिए प्रदूषण विशेषज्ञों द्वारा स्वीकृति

*582. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उत्पादकता परिषद (दिल्ली प्रोडक्टोविटी कौन्सिल) द्वारा आयोजित एक बैठक में उन्होंने कहा था कि भविष्य में स्थापित किये जाने वाले उर्वरक संयंत्रों के लिए प्रदूषण विशेषज्ञों की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी उर्वरक संयंत्रों के लिए अवशिष्टों को प्रदूषण रहित करना अनिवार्य बनाया जायेगा ; और

(ग) क्या उर्वरक उत्पादन में नई प्रौद्योगिकी का पता लगाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं जिससे वातावरण कम से कम विषाक्त हो ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) : जी, हां । उर्वरक प्रायोजनाओं अथवा उनकी निर्माण सुविधाओं के लिये यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि उनके आस-पास कोई प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो । जल प्रदूषण को नियमित और नियंत्रित करने के लिये पहले से ही कानून लागू है । वायू प्रदूषण को नियमित करने के लिये भी कानून बनाने का प्रस्ताव है ।

अत: प्रत्येक उर्वरक प्रायोजना को पूर्व-उपचार सहित आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे ताकि कारखाने के निस्राव के कारण होने वाले प्रदूषण को अनुमेद स्तर तक रखा जा सके ।

हमेशा यह प्रयास किया जाता है कि प्रौद्योगिकी में सुधार हो और उसमें वृद्धि हो ताकि वातावरण को कम से कम खतरा हो ।

रेलवे में तोड़ फोड़ के पीछे संगठित गिरोह

*583. **श्री यशवन्त बोरोले :**

श्री आर०वी० स्वामीनाथन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 मार्च, 1978 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के मुख पृष्ट पर प्रकाशित सूचना के अनुसार वर्ष 1977 में रेलवे में हुई 120 तोड़ फोड़ की घटनाओं के पीछे किसी संगठित गिरोह का हाथ होने का सरकार को पता चला है ;

(ख) ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सरकार के पास क्या कारण है; और

(ग) इन तोडफोड की कोशिशों के लिए कौनसा संगठित गिरोह जिम्मेदार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) से (ग) : रेलों की तोड़-फोड़ की घटनाओं के पीछे निश्चित रूप से संगठित किसी एजेंसी का हाथ होने की बात अभी तक सिद्ध नहीं हो पायी है, हालांकि प्राय: सभी घटनाओं का स्वरूप एक जसा होने के कारण इस बात का सन्देह बना हुआ है ।

कैरिज एण्ड वैगन वर्कशाप, आलमबाग, लखनऊ में नैमित्तिक श्रमिक

*584. **श्री आर० एल० कुरील** : क्या **रेल** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैरिज एण्ड वैगन वर्कशाप, आलमबाग, लखनऊ में नैमित्तिक श्रमिकों और तदर्थ कर्मचारियों सहित सभी श्रेणियों के ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें पहली मार्च, 1971 के पश्चात् पदोन्नत किया गया है ;

(ख) सभी श्रेणियों के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियोंके ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें पहली मार्च, 1977 से आज तक पदोन्नत किया गया है ; और

(ग) नैमित्तिक श्रमिकों और तदर्थ कर्मचारियों सहित सभी श्रेणियो के पदावनत किये गये, बर्खास्त किये गये अथवा सेवा से हटाए गये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 429 ।

(ख) 146

(ग) तीन कर्मचारियों को पदावनत कर दिया गया था ।

कोरवा में विस्फोटक बनाने का संयंत्र

*585. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डपों बर्मा पेट्रोलियम कंपनी/बामर लारी ग्रुप द्वारा कोरवा में विस्फोटक बनाने के एक संयंत्र की स्थापना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो संयंत्र को चालू करने के लिए मूल लक्षित तिथि संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस बारे में क्या नीति है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : औद्योगिक विस्फोटकों के निर्माण हेतु इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड ने कोरवा में एक संयंत्र स्थापित किया है । शुरु शुरू में इस संयंत्र के दिसम्बर, 1976 में काम आरंभ करने की संभावना थी ; परन्तु कुछ आयातित सामान और विवेचित मद्दों के प्राप्त होने में तथा सिविल निर्माण कार्य के पूरा होने में कुछ विलम्ब हो जाने के कारण इस संयंत्र ने वास्तविक रुप से दिसम्बर, 1977 में कार्य आरम्भ किया ।

भारतीय उर्वरक निगम का पुनर्गठन

*586. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के संगठनात्मक पुनर्गठन के परिणामस्वरुप कुछ दुरुह समस्याएं पैदा हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे देखते हुए मंत्रालय सैद्धातिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर पहिले किये गये कुछ निर्णयों को बदलने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ;

(ग) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं और पहिले लिये गये कितने निर्णयों को बदला जा रहा हैं ;

(घ) भारतीय उर्वरक निगम के पुनर्गठन के लिये अब किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ;

(ङ) उसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(च) इससे निगम को किस सीमा तक सहायता मिलेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) : सरकारने 1–4–1978 से फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया और नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० का निम्नलिखित 5 कम्पनियों के रुप में पुनर्गठन कर दिया है :—

कम्पनी का नाम	एकक/प्रभाग
1. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	सिन्दरी (सिन्दरी आधुनिकीकरण और सिन्दरी सुव्यवस्थीकरण सहित), गोरखपुर, लालचर, रामागुण्डम और कोरबा ।
2. नेशनल फर्टिलाइज़र्स लि०	नंगल, भटिण्डा और पानीपत ।
3. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि०	नामरुप, हल्दिया, बरौनी और दूर्गापुर ।
4. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	ट्राम्बे के समस्त एकक और दक्षिण बम्बई के गैस पर आधारित संयंत्र ।
5. फर्टिलाइज़र्स (योजना एवं विकास) इंडिया लि०	एफ० सी० आई० का योजना और विकास प्रभाग ।

(च) पुनर्गठन का उद्देश्य निर्णायक अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करना है । इससे संयंत्रों के कार्य संचालन में सुधार होगा ।

आयातित अपरिष्कृत तेल (क्रुड) को मोटर स्पीरीट में बदलना

***587. श्री सरत कार :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने प्रतिशत आयातित अपरिष्कृत तेल को मोटर स्पीरिट में बदला जा रहा है ;

(ख) इस समय खुदरा में बेचे जा रहे मोटर स्पीरिट के मूल्य में कर की प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने गत एक वर्ष के दौरान अपनी नीति का पुनर्विलोकन किया है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) उन शोधनशालाओं में, जो मुख्य रुप से आयातित अशोधित तेल को साफ कर रही हैं, मोटर स्पिरिट के उत्पादन की प्रतिशतता साफ किये गय आयातित कच्चे तेल का लगभग 4 से 5 प्रतिशत है ।

(ख) पेट्रोल के बिक्री मूल्य पर उत्पादन शुल्क समान है । तथापि, बिक्री कर, चुंगी कर आदि एक स्थान से दूसरे पर भिन्न भिन्न हैं । बम्बई में पेट्रोल के फुटकर बिक्री मूल्य का लगभग 74% भाग शुल्क और कर है ।

(ग) आयातित कच्चे तेल में औसतन 8% की वृद्धि के बावजूद पिछले वित्त वर्ष के दौरान मोटर स्पिरिट के मूल सीमित बिक्री मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

पेट्रोलियम (पेट्रोल सहित) उत्पादों को मूल्य निर्धारण नीति सरकार द्वारा यथा स्वीकृत दिनांक 16 दिसम्बर, 1977 से लागू तेल मूल्य समिति (नवम्बर, 1976) की अन्तिम रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित है ।

पेट्रोल पथा पेट्रोलियम उत्पादों में अपमिश्रण

*588. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों में व्यापारियों द्वारा अपमिश्रण किये जाने और जनता द्वारा प्रायः उसकी शिकायत की जाने के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कोई जांच की जाती है कि व्यापारियों द्वारा लोगों को बिक्री किये गये पेट्रोलियम उत्पादों का उचित गुण नियंत्रण किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या है ; और

(घ) वर्ष 1977 के दौरान भारतीय तेल निगम को इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और संबंधित व्यापारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) पेट्रोलियम उत्पादों में तथाकथित मिलावट के बारे में कुछ शिकायतें हैं ।

(ख) और (ग): पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट से बचने के लिए तेल कम्पनियां निम्नलिखित कदम उठाती हैं :—

(i) फुटकर पेट्रोल पम्पों पर कोटि नियंत्रण उपाय लागू करना ;

(ii) सप्लाई करने वाले भंडार केन्द्रों पर पेट्रोलियम उत्पादों को ले जाने वाले टैंक-ट्रकों को सील-बन्द करना ;

(iii) इन उत्पादों की कोटि को सुनिश्चित करने के लिए टैंक-ट्रक चालकों को सावधान करना ;

(iv) तेल कम्पनियों के क्षेत्र के काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा फुटकर पेट्रोल पम्पों का नियमित निरीक्षण करना ;

(v) वितरण पम्पों के योगमापी यंत्र की रीडिंग (पठन पाठन) सहित विक्रेताओं के पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार का वास्तविक जांच करना ;

(vi) पेट्रोल में सम्भावी मिलावट के मामलों का पता लगाने के लिए फिल्टर पेपर टेस्ट को अपनाना ;

(vii) प्रयोगशाला परीक्षण के लिए फुटकर पेट्रोल पम्पों से नमूने लेना ,

फिर भी राज्य सरकारों को भी इस बात को सुनिश्चित करने के लिये यह सलाह दी गई है कि वे

समय समय पर फुटकर पेट्रोल पम्पों से बेचे गये पेट्रोल के नमूनों का निरीक्षण करें और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई करें ।

(घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे डाक डिब्बे

*589. **श्री डी० वी० चन्द्र गौडा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चल रही गाड़ियों में रेलवे डाक सेवा के डिब्बों में डाक की छंटाई के समुचित प्रबन्ध नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुविधा उपलब्ध करने के लिये इन डिब्बों का डिजाइन फिर से तैयार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) और (ख) : रेलवे डाक सेवा के डिब्बे डाक विभाग द्वारा बतायी गयी जरुरतों और नक्शों के अनुसार मानक डिजाइन के बनाये जाते हैं ।

मध्य प्रदेश को पैराफीन मोम का आबंटन

*590 **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश को वर्ष 1977 के लिए पैराफीन मोम की निर्धारित मात्रा दिसम्बर, 1977 में उपलब्ध की जा सकी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं । मध्य प्रदेश में पैराफीन मोम की सप्लाई वर्ष भर प्राप्त होती रही । ऐसी सूचना के अनुसार संकेत मिलता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोचीन-मदुरै लाइन

*591 **श्री जार्ज मैथ्यु :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय बरास्ता, मुवतुपुझा प्रस्तावित कोचीन-मदुरै रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कार्य आरम्भ करने के लिये तैयार है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस बारे में कम से कम क्या कार्य किया जाना है और

(ग) सर्वेक्षण कार्य कब आरम्भ किया जायगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग): कोचिन-मदुरै रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है । यह लाइन पश्चिमी

ाट पर काफी दूरी तक जायेगी और यह क्षेत्र ऐसा है कि इस पर लाइन के निर्माण पर अत्यधिक र्च बैठेगा। सीमित संसाधनों के कारण फिलहाल इस लाइन के निर्माण पर विचार करना सम्भव हीं है ।

पड़ोसी देशों में संयुक्त उद्यम उर्वरक परियोजनाएं

*593. **श्री पी० राजगोपाल नायडु :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह ताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पडौसी देशों में वहां उपलब्ध हाइड्रोकार्बन फीडस्टाक का उपयोग करके युक्त उद्यम उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने की सम्भावना का पता लगाया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य देशों में उपर्युक्त परियोजनाएं स्थापित की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख): सरकार ड़ी मात्रा में हैड्रोकार्बन संभरण सामग्री की सप्लाई वाले देशों में संयुक्त उद्यम उर्वरक परियोजनाएं थापित करने की संभावनाओं का पता लगा रही है । इस संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं लया गया है ।

सानकोले, गोवा स्थित मैसर्स जुअरी एग्रो केमिकल्सद्वारा दूषण की स्थिति पैदा किया जाना

5414. **श्री अमृत कासर :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने ी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने सानकोले, गोवा स्थित मैसर्स जूअरी एग्रो कोमिकल्स वारा दूषण की स्थिति पैदा किए जाने की जांच करने हेतु एक अधिकारी को भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उस जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) क्या सरकार जांच प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) : ,अरी एग्रो केमिकल्स के प्रदूषण निस्राव के कारण पाईम क्रीक में प्रदूषण तथा उसके त्स्वरुप मछलियों के मरने सम्बन्धी सूचना गोआ प्रशासन से प्राप्त करने पर, जल प्रदुषण नियंत्रण या रोक-थाम के लिए केन्द्रीय बोर्ड का एक अधिकारी 2 मार्च 1978 को स्थल पर गये । बाद 13 मार्च 1978 को बोर्ड के सदस्य-सचिव भी स्थल पर गये। अधिकारियों के मुख्य निष्कर्ष म्न प्रकार है :--

1. एच० पी० डी० ई० निस्राव पाइपलाइन में पाइप क्रीक के उपरी तट पर पर्याप्त रिसाव (लीक्स) हो गये और इसलिए निस्राव क्रीक पानी में निकलने लगा ।
2. क्रीक पानी समुद्र के पानी के साथ नही है, पहले वाला पूर्णत: भूमि पर रहने वाला जल है। इसलिए समुद्र जल के साथ मिलने तथा तथा प्रदूषण फैलाने की सम्भावना नही थी।
3. 21-1-78 से 20-2-78 तक अनुरक्षण के लिए बन्द होंने के पश्चात फेक्टरी 21-2-78 को दुबारा चालू को गई थी। विश्वास किया जाता है कि विभिन्न उत्पादन संयंत्र तथा

निस्राव उपचार संयंत्र अर्थात् अमोनिया स्ट्राइपर अपेक्षित क्षमता के अनुसार काम नहं कर रहे थे तथा इसलिए निस्राव की क्वालिटी स्वीकृत निर्धारित स्टेडर्ड की नहीं थी

4. मुल रुप से, योजना जेक फेक्टरी के अवशिष्टों के निपटान तथा उपचार के प्रदूषण को पूर्णरु से नि त्रण करने के लिए डिजायन की गई है। इफ्लायूऐंट केरिअर पाइपलाइन म रिस्त्राव (लीकेज) से हुए निस्राव फलस्वरुप प्रदूषण तथा मछलियों क मरने से बिक स्थिति पैदा हो सकती है ।

5. पाइपलाइन तथा अमोनिया स्ट्राइपर के काम पर कड़ी सर्तकता रखने से एसा आकस्मिः प्रदूषण को रोका जा सकता था ।

भविष्य में ऐसी घटनाओं न हो इस को सूनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय बोर्ड ने सभी स्तर प जल निस्राव की कड़ी देख-रेख करने सम्बन्धी कार्रवाई की है । गोआ में केन्द्रीय बोर्ड के क्षेत्रीः कार्यालय की स्थापना को आस्थगित रखते हुए, बोर्ड का वाटर प्रीवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल आफ पोलयूशः अधिनियम 1974 के अन्तर्गत सम्बन्धित शक्तियों को उन अधिकारियों को प्रदत्त करने का विचा है जिन्हें गोआ प्रशासन द्वारा प्रदुशण के नियंत्रण के बारे उद्योग के निष्पादन को प्रभावी रुप से देख-रेख करने के लिए पदस्थ किया गया है ।

बोर्ड के अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति जो 2–3–1978 को गोवा गये थे संलग्न है । **[ग्रंथालय म रखा गया । दखिये संख्या एल०टी० 2015/78]**

भारतीय तेल निगम द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का विकास

5415. **श्री धर्मवीर वशिष्ट** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान फरीदाबाद स्थित भारतीय तेल निगः के अनुसंधान तथा विकास केन्द्र में पेट्रोलियम उत्पाद तथा विशेषकर लुब्रीकेन्ट, ग्रीस तथा संसाधन के परीक्षण के क्षेत्र में कोई नई सफलता मिली है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या तेल निगम ने द्रव पेट्रोलियम गैस की घरेलू मांग की पूरा किया है ; यदि नहीं, त इसके क्या कारण हैं और उपभोक्ता वितस्क, उत्पाद आवंटन के राज्यवार आंकड़े क्या हैं और

(ग) द्रव पेट्रोलियम गैस की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी; हां । इंडियन आयल कारपोरेशन के अनुसंधान और विकास केन्द्र ने आटोमोटिव लुब्रीकेंटों, औद्योगिक स्नेहक तेलों विशिष्ट तेलों और कुछ रक्षा उत्पादों के कुछ ग्रेडों को पूर्ण रुपेण विकसित किया है जिन्हें ग्राहकों द्वारा इनका सन्तोष जनक ढंग से परीक्षण करने के पश्चात् स्वीकार कर लिया गया है । इस केन्द्र ने आटोमोटिव लुब्रीकेंटों, समुद्री लुब्रीकेंटों, विशिष्ट तेलों, रक्षा उत्पादों आदि के कुछ अन्य ग्रेडों का मूल्यांकन किया है, जिनका परीक्षण किया जा रहा है/किया जाना है ।

(ख) और (ग) : खाना पकाने की गैस के सीमित मात्रा में उपलब्ध होने से, देश के सभी से इस उत्पाद के विपणन का विस्तार करना सम्भव नहीं हो पाया है । वर्ष 1980 से देश में खाना पकाने की गैस की उपलब्धता में बड़े पैमाने पर प्रत्याशित वृद्धि हो जाने से, इस उत्पाद के विपण

हीं निम्नलिखित बातों के आधार पर यथा समय छोटे छोटे कस्बो और ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करन सम्भव हो सकेगा :—

(i) प्रत्याशित ग्राहकों की सम्भावना ;

(ii) पूर्ति संसाधन से बाजार के समीप ;

(iii) सुरक्षित/सुविधाजनक परिवहन साधन की उपलब्धता ;

(iv) वित्तरण उपकरणों का अधिकतम उपयोग करना ; और

(v) कार्यसंचालनों में व्यवहार्यता ।

दिनांक 31-12-1977 को यथा-स्थिति के अनुसार इंडियन आयल कारपोरेशन के खाना पकाने की गैस के उपभोक्ताओं, वितरकों और खाना पकाने की गैस की खपत सम्बन्धी राज्यवार स्थिति विवरण में दी गई है ।

विवरण

	राज्य/संघ शासित प्रदेश	वितरकों की संख्या	31-12-1977 की यथा स्थिति के अनुसार उपभोक्ताओं की कुल संख्या	अनुमानित खपत 1977-78 (मी० टन में)
1.	असम	9	23,320	2,820
2.	आन्ध्र प्रदेश	25	51,100	5,130
3.	बिहार	31	88,940	8,170
4.	चण्डीगढ़	3	19,930	2,590
5.	दिल्ली	44	215,620	29,360
6.	गुजरात	47	214,230	23,250
7.	हरियाणा	14	44,500	4,960
8.	हिमाचल प्रदेश	1	3,530	400
9.	करनाटक	27	59,330	8,670
10.	केरला	23	54,110	7,490
11.	मध्य प्रदेश	20	79,710	7,210
12.	मनिपुर	1	1,130	130
13.	मिजोराम	1	900	100
14.	मेघालया	2	3,490	360
15.	नागालैंड	2	1,070	90
16.	उड़िसा	8	13,270	2,840
17.	पंजाब	10	41,470	6,900
18.	पांडिचेरी	2	4,100	460
19.	राजस्थान	8	41,030	4,490
20.	सिक्कम	1	1,150	110
21.	तामिलनाडू	71	191,760	30,210
22.	त्रिपुरा	1	710	70
23.	उत्तर प्रदेश	52	248,280	25,740
24.	पश्चिम बंगाल	41	111,000	11,770
		444	15,13,680	1,83,320

लुधियाना के एक प्राध्यापक द्वारा दुर्घटनायें रोकने के लिए बनाया गया यंत्र

5416. **श्री महेन्द्र सिंह सैयावाला :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लुधियाना के एक प्राध्यापक द्वारा एक स्वचालित इलेक्ट्रो-मैकेनिकल यंत्र बनाये जाने के बारे में 13 मार्च, 1978 'इंण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित समाचार की ओर उनका ध्यान गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : लुधियाना के श्री वी० एन० कौशल ने अप्रैल 1973 में अपना प्रस्ताव रेलवे को प्रस्तुत किया था । इसकी भारतीय रेलों के अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन द्वारा विस्तृत रुप से जांच की गयी थी । भारतीय रेलों के लिए इसकी कोई व्यावहारिक उपयोगिता नहीं पायी गयी ।

रासायनिक वस्तुओं का निर्यात

5417. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों के दौरान वर्ष वार कितने मूल्य की रासायनिक वस्तुओं का निर्यात हुआ ;

(ख) किन वस्तुओं का निर्यात हुआ ; और

(ग) किन-किन देशों को इनका निर्यात किया गया ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) : रसायनों के मदवार और देश-वार निर्यात के आंकडे मन्थली स्टेटिस्टिक आफ फारेन ट्रेड आफ इंडिया–खण्ड–1 में प्रकाशित किये जाते हैं। निर्यात और पुनर्निर्यात के आंकड़ो को वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय कलकत्ता द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

Stoppage of Trains at Kalana Station in Rajasthan

†5418. **Shri Bega Ram Chauhan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether four trains do not stop at Kalana railway station in Shri Ganga Nagar in Rajasthan; and

(b) whether it is a fact that Kalana village which is near Kalana railway station is bigger than many towns and is equal to a town and the people of the village are facing a lot of inconvenience due to non-stoppage of trains there and whether all the trains passing through this station would stop for two minutes there ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes. Out of four pairs of trains, two pairs are not scheduled to stop at Kalana.

(b) No.

कोयम्बत्तूर तूतीकोरिन एक्सप्रेस रेलगाड़ी का विलम्ब से चलना

5419. **श्री के० ए० राजू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि कोयम्बत्तूर-रामेश्वरम् और कोयम्बत्तूर-तूतीकोरिन एक्स्प्रेस रेलगाड़ियां लगभग सभी दिन बहुत ही विलम्ब से चल रही है ;

(ख) यदि हां तो महत्वपूर्ण नगरों और तीर्थस्थानों को मिलाने वाली इन रेल गाड़ियों की समय पाबन्दी को बनाए रखने के लिए क्या प्रस्ताव है; और

(ग) क्या समय पाबन्दी लाने के लिए इन रेलगाड़ियों में डीजल के इंजन लगाने और इन रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) अक्तूबर तथा नवम्बर 1977 के दौरान कोयम्बत्तूर-रामेश्वरम एक्सप्रेस सं० 165/166 का समय पालन भारी वर्षा तथा तूफान के कारण असंतोषप्रद रहा । तब से हालत में सुधार हुआ है । दिसम्बर 1977 से मार्च 1978 (20-3-78) तक के दौरान 149/150 कोयम्बत्तूर-तुतिकोरन एक्सप्रेस तथा 165/166 कोयम्बत्तूर-रामेश्वरम एक्सप्रेस का समय पालन संतोषप्रद पाया गया है ।

(ख) रेलों द्वारा इन गाडियों के समय पालन पर निगाह रखी जा रही है तथा इन गाड़ियों के समय पर चलने की सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किये जाते है ।

(ग) लम्बी दूरी के भीड़ भाड़ वाली डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों का डीजलीकरण **चयनात्मक** आधार पर डीजल इंजनों, जो कि मुख्यतः माल यातायात के संचलन के लिए अपेक्षित हैं, की उपलब्धता पर किया जाता है । इस समय इन गाड़ियों के डीजलीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Railway Hospital in Gangapur City

†5420. **Shri Meetha Lal Patel:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a large number of Railway employees is residing in Gangapur city (Western Railway, Kota);

(b) whether the daily number of patients in the local railway hospital there is very high;

(c) whether in the absence of an ambulance, railway employees are experiencing great difficulty; and

(d) if so, whether arrangement for ambulance is proposed to be made and if so, when and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) & (b) : Yes.

(c) No.

(d) Does not arise.

दिल्ली के लिये तीसरा रेलवे टर्मिनल

5421. * **एस० एस० सोमानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के अध्ययन दल ने दिल्ली महानगर में एक तीसरे रेलवे टर्मिनल के लिये एक आदर्श स्थल के रूप में बरार स्क्वेयर (दिल्ली छावनी) की सिफारिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये हैं कि यह स्थल निकट भविष्य में ही एक सम्पूर्ण टर्मिनल बन जायें ;

(ग) क्या यह सच है कि इस टर्मिनल के न होने से पश्चिम दिल्ली तथा दक्षिण दिल्ली की अनेक बस्तियां, जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है, परिवहन की भारी समस्याओं का सामना कर रही हैं ; और

(घ) बरार स्क्वेयर में तीसरा टर्मिनल बनने तक इस समस्या पर काबू पाने के लिये सरकार का विचार क्या वैकल्पिक उपाय करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : बरार स्क्वेयर में तीसरे टर्मिनल की स्थापना की सम्भावनाओं पर रेलवे द्वारा विचार किया गया था । लेकिन इस प्रताव को कार्य रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि यह क्षेत्र दिल्ली छावनी में पड़ता है इसलिए सैनिक प्रतिष्ठापन के बहुत समीप टर्मिनल को वांछनीय नहीं समझा गया ।

(ग) और (घ) : दिल्ली तथा नयी दिल्ली स्टेशनों का काम हल्का करने के लिए दक्षिणी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर टर्मिनल सुविधाओं की व्यवस्था पहले ही की गई है । इस स्टेशन से/पर 6 जोड़ी गाड़ियां रवाना/समाप्त होती हैं । इस समय पश्चिमी तथा दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में अतिरिक्त यात्री टर्मिनल क्षमता उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन, नयी दिल्ली स्टेशन पर अतिरिक्त टर्मिनल क्षमता का विकास किया जा रहा है तथा दिल्ली स्टेशन पर अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं प्रतिपादित की जा रही हैं ।

Drug and Chemical Plant at Madhya Pradesh

5422. **Shri Parmanand Govindjiwala :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh is one of those States where there is no drug and chemical plant in the public sector;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether the Central Government are taking any step to set up such plant in Madhya Pradesh and if so, the full details thereof ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) At present, there is no chemical or drug plant in the Central Public Sector in the State of Madhya Pradesh except for a Sulphuric acid plant of a capacity of 45,000 tonnes per annum in the Bhilai Steel Plant. A coal-based fertilizer project at Korba was sanctioned earlier, but the implementation of this project has been awaiting the successful commissioning of the coal based plants at Talcher and Ramagundam.

3—123 LSS/ND/78

(b) There are no special reasons except the absence of viable proposals framed with reference to relevant factors such as the availability of raw materials, etc.

(c) Government are contemplating the establishment of Joint Sector drug formulation units in various States. Due consideration for Madhya Pradesh would be had, considering the totality of all factors like cost, demand etc.

Metre Gauge Line in Saurashtra

†5423. **Shri Dharmasinh Bhai Patel:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether not even a single metre gauge line has been provided in the Saurashtra region of Gujarat for the last thirty years, and if so, the reasons therefor;

(b) whether the people of Saurashtra have a long standing demand for metre-gauge lines between Saridiya-Kutiyana-Ranavar-Keshod-Mangrol, Delvada-Din, Bhensan-Bagasra, Una-Rajula, Rajkot-Jasdan, Dhoraji-Kandorna; and

(c) if so, the action taken or proposed to be taken by Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (c) : There is already a well developed metre gauge railway system in the Saurashtra Region of Gujarat and it is not proposed to take up the construction of any more new metre gauge lines in the Region at present. In fact a major scheme for conversion of the existing metre gauge lines from Viramgam to Okha and from Kanalus to Porbandar has been taken up and is well in progress.

Production of L. P. Gas by I.O.C.

5424. **Shri Ishwar Chaudhry:** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) the quantity of L.P. gas (Indane) produced by the Indian Oil Corporation during the past three years;

(b) the targets fixed for these years and by how much it fell short; and

(c) the reasons for this shortfall and efforts being made to achieve the targets in the coming years ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) and (b) : The actual production of LPG (INDANE) at IOC's four operating Refineries vis-a-vis the targets for the last three years are given below:—

(Figures in thousand tonnes)

	Target	Actual Production
1974-75	97·4	99·7
1975-76	123·8	123·5
1976-77	134·2	136·5

(c) The actual production was close to the target in 1975-76 and exceeded the targets marginally in the other two years.

रेलवे म चोरी तथा छुटपुट चोरी के कारण वार्षिक घाटा

5425. **श्री राज केशर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को चोरी तथा छुटपुट चोरी के कारण प्रतिवर्ष घाटा उठाना पड़ता है जो रेलवे सुरक्षा बल पर होने वाले वार्षिक खर्च से ज्यादा होता है ; और

(ख) यदि हां, तो 1977 में रेलवे सुरक्षा बल का वार्षिक खर्च तथा इसी अवधि में चोरी तथा छुटपुट चोरी के कारण घाटे की रकम के आंकड़े क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

Merger of Accounts Clerk Grades I and II

5426. **Shri K. A. Rajan:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether demands have been made for seeking merger of Accounts Clerk Grade I and Accounts Clerk Grade II into one grade and one post;

(b) whether a person working in Grade II gets promotion to Grade I in the Accounts Department only after passing 'Appendix A' examination;

(c) whether even after the promotion consequent upon passing the examination, a person has to do the same work on the same table;

(d) whether the employees who could not pass the said examination due to some reason have been working in Grade II for the last 20-25 years and some of them have crossed even the maximum limit of their pay; and

(e) if so, whether Government propose to abolish the Appendix 'A' examination and merge both the grades into one and whether Government propose to provide any relief to those employees who have crossed maximum of their pay scales and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes.

(b) No. Vacancies in Clerk Grade I are required to be filled upto the extent of 55% by clerks Grade II who have qualified in a written examination called Appendix 2 (IREM), 25% by seniority-*cum*-suitability and the balance 20% by direct recruitment.

(c) No. Though the nature of work of Clerks Grade I and Clerks Grade II is generally the same, Clerks Grade I are engaged on more important clerical work while Clerks Grade II are given less important and routine work.

(d) Promotion from Clerks Grade II to Grade I are made depending upon the availability of vacancies. There are some employees who have reached the maximum of the scale of pay for Clerks Gr. II. However, in as much as 25% of the vacancies are reserved for being filled up on a seniority-*cum*-suitability basis, an avenue exists for those who have not passed Appx. 2 IREM examination.

(e) No. It may be added that the successive Pay Commissions, and a One Man Tribunal have supported the continuance of the present system. The

issue of providing relief to those stagnating at the maximum of their scales of pay has been raised by the Staff Side in the National Council and is presently under discussion.

नई रेल लाइनें

5427. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र में नई रेल लाइनें बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार उक्त प्रस्ताव पर कब से विचार कर रही है ;

(घ) उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) उक्त बाधाओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ङ) : 1971 से पिछले कुछ सालों के दौरान निम्नलिखित नयी लाइनों के लिए सर्वेक्षण कार्य किया गया है । प्रत्येक लाइन की स्थिति नीचे दी गयी है ।

क्रम संख्या	लाइन का नाम	लम्बाई कि० मी० में	लागत (करोड़ रुपयों में)	निर्माण कार्य शुरू न करने के कारण
1	2	3	4	5
1.	वागी से चनाका .	75.00	5.29	निर्माण हो रहा है ।
2	बसई रोड से दिवा .	42.00	23.00	—वही—
3	धौंड-मनमाड खण्ड पर कल्याण से उपयुक्त स्थल (अहमदनगर) तक तीसरी घाट लाइन	258.00	59.00	उत्तर पूर्व घाट पर वर्तमान लाइनों के साथ-साथ तीसरी लाइन के निर्माण का वैकल्पिक प्रस्ताव सस्ता और अधिक लाभप्रद समझा गया । अतः परियोजना पर काम शुरू नहीं किया गया ।
4	बल्हारशाह-सूरजगढ़-अस्ती	115.00	16.00	संसाधनों की कमी और सीमित यातायात सम्भावनाओं के कारण इस परियोजना पर काम शुरू नहीं किया गया ।
5	रोहा-अग्रडांडा (मुरुद-जंजीरा)	35.00	7.89	—वही—

क्रम संख्या	लाइन का नाम	लम्बाई कि० मी० में	लागत (करोड़ रूपयों में)	निर्माण कार्य शुरू न करने के कारण
1	2	3	4	5
6	आप्टा-दासगांव .	106.96	13.93	आप्टा से मंगलूर तक की कोंकण लाइन के प्रथम चरण के रुप में आप्टा और रोहा के बीच (62 कि० मी०) बड़े आमान की नयी लाइन निर्माण का कार्य 1978–79 के बजट में शामिल कर लिया गया है जिस पर 9 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है और इस परियोजना पर निर्माण कार्य शुरु करने के लिए 1978–79 के बजट में 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।
7	दासगांव-रत्नगिरि .	177.35	54.26	
8	रत्नगिरि-मेंगलूर .	602.69	169.00	
9	वार्धा-काटोल बड़ी लाइन	76.9	20.53	संसाधनों की कमी और सीमित यातायात सम्भावनाओं के कारण कार्य शुरु नहीं किया गया ।
10	मोरज-लातूर लातूर रोड	326.00	49.00	संसाधनों की कमी और पर्याप्त यातायात सम्भावनाओं के न होने के कारण कार्य शुरु नहीं किया गया ।

Persons arrested for travelling without tickets

†5428. **Shri O. P. Tyagi:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of persons arrested for travelling without tickets by the Government during 1977;

(b) the amount of money realised from them and the number of those who were awarded punishment; and

(c) the total number of persons arrested in various States of India for travelling without tickets?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) During the year 1977 (January, 1977 to December, 1977), 23,17,857 persons were detected travelling without tickets or with improper tickets on the Indian Railways.

(b) Railway dues amounting to Rs. 3,02,60,659 were realised. Besides, a sum of Rs. 16,54,787 was realised as judicial fine. 3,50,297 persons were prosecuted out of whom 2,51,461 were sent to jail.

(c) State-wise break-up is not available as the statistics of ticketless travel are maintained railway zone-wise and not State-wise.

Conversion of Delhi-Ahmedabad M. G.

†5429. **Shri Ram Kishan:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a decision has been taken for the conversion of Delhi-Ahmedabad meter-gauge into a broad gauge line and if so, when this conversion work will be taken in hand and whether this broad gauge line will be laid via Rings (Jn.) or via Alwar; and

(b) whether the pace of industrial development in Rajasthan has been very tardy because of non-conversion of the said line into a broad gauge line?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) The project for conversion of Delhi-Ahmedabad metre gauge line into broad gauge is an approved work but only a token outlay has been provided for it in 1978-79 on account of very limited availability of resources. No time schedule can be indicated at this stage for the commencement and completion of the project. It is proposed to take up the gauge conversion via Alwar and Jaipur.

(b) Lack of spare line capacity of Delhi-Ahmedabad route had been coming in the way of giving clearance to some of the industries on that route. It is proposed to take short term and long term measures for development of line capacity on high priority so that this bottleneck is removed.

Muzaffarpur to Darbhanga Railway Line

†5430. **Shri Surendra Jha Suman:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration a programme to lay new railway line from Muzaffarpur to Darbhanga;

(b) whether survey thereof has been ordered; and

(c) the progress made in survey work, so far?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (c) : A preliminary engineering-cum-traffic survey for construction of a new broad gauge line from Muzaffarpur to Darbhanga is in progress and is expected to be completed in 1978-79.

औषध मूल्य

5431. **श्री सी०के० चन्द्रप्पन :** क्या पेट्रोलियम, तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषधियों के मूल्यों में शीघ्र ही वृद्धि होगी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं। औषधों के मूल्यों के शीघ्र बढ़ने का कोई भय नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोल कमर्शियल स्टाफ

5432. **श्री रोबिन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल एरिया सुपरिटेंडेंट, धनबाद के अधीन कोल कमर्शियल स्टाफ की कुल मंजूरशुदा संख्या कितनी है ;

(ख) क्या वहां कोई पद रिक्त हैं ;

(ग) क्या उन कमचारियों पर कोई कार्य का भार डाल दिया गया है ;

(घ) क्या वर्तमान ढांचे में उन्हें उनका उपयुक्त कोटा दिया गया है ;

(ङ) सी० डब्ल्यू० सी० (475 से 700 रुपये के वेतनमान में) की संख्या में स्थिरता के क्या कारण हैं जबकि पदोन्नति के लिये अन्य पदों में वृद्धि की जा रही है ; और

(च) उनके लिये उच्च ग्रेड के पदों में इसके अनुपात में वृद्धि की मंजूरी न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (च) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

Rush in Trains between Gorakhpur and Barauni

†5433. **Shri Lalu Prasad Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether he is aware that there is heavy rush in passenger trains between Gorakhpur Junction and Barauni of the poor workers going to North-Eastern region on every Sunday and Tuesday;

(b) whether due to this unexpected rush, the passengers of other mail and express trains bound for long distances are inconvenienced greatly;

(c) whether the N.E.R. administration have ever tried to make a survey in this regard and to find a solution of the problem;

(d) whether bi-weekly trains are operating in all other railway zones while no such train has been introduced on North Eastern Railway; and

(e) if the replies to above parts be in the affirmative, whether in view of the difficulties being faced by passengers, Government propose to introduce as soon as possible some weekly or biweekly express trains between Gorakhpur and Siliguri ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (c) : Yes. On every Sunday one second class bogie each is attached for

workers by 10 Down Kanpur-Barauni Express and 2 Down AT Mail ex-Gorakhpur to Barauni/Sonpur. In the return direction these two coaches arrive Gorakhpur by 15 Up Gauhati-Lucknow Express every Tuesday. Regular census is taken twice in a year to assess the overcrowding.

(d) Biweekly/triweekly trains are also running on North Eastern Railway.

(e) No.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए पदों का आरक्षण समाप्त करना

5434. **श्री बी० सी० काम्बले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक श्रेणी की सेवा में (एक) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदों का आरक्षण समाप्त करके, (दो) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 के अन्तर्गत उपबन्धों से छूट देकर तथा उन्हें लागू न करके, (तीन) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रेल कर्मचारियों का अधिलंघन करके और (चार) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रेल कर्मचारियों को पदावनत करके कुल कितनी नियुक्तियां की गई ;

(ख) रेल सेवा की प्रत्येक श्रेणी में आज तक कितने प्रतिशत कमी है ; और

(ग) इस कमी को सरकार का विचार किस प्रकार पूरा करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Miracle on the First Floor

†5435. **Shri Mrityunjay Prasad:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to a pamphlet "Miracle on the First Floor" issued by the General Secretary, Railwaymen's Fine Arts Society, Kattankolathur, Tamil Nadu;

(b) if so, have Government or the Railway Board or any other appropriate authority made any further probe into the allegations contained therein and if so, with what results; and

(c) which members of the staff were held responsible for negligence and what punishment was given to them ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes.

(b) On discovery of damage to the film a detailed enquiry to establish the cause of damage was conducted by a senior Railway Officer. In view of a satisfactory enquiry already having been conducted, it was not considered necessary to institute another enquiry into the incident.

(c) The then Assistant Public Relations Officer, Southern Railway was held responsible and was advised to be more alert in future.

संकट का सामना कर रहा अलकोहल उद्योग

5436. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अलकोहल उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है और इस कारण बहुत से एकक बन्द होने जा रहे है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग को मजबूत बनाने के लिय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख) : महाराष्ट्र राज्य में कुछ आसवनियों ने अपने उत्पाद अर्थात अलकोहोल के कम उठान के कारण बन्द करने की सूचना दी है । उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए एस टी सी आफ इंण्डिया लि० को सलाह दी गई है कि अल्कोहल का निर्यात आरंभ करें ।

मैसर्स लार्सन टूब्रो के बहीखातों की जांच

5437. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कभी मैसर्स, लार्सन टूब्रो के बही खातों की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उनके बही खातों की जांच करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) मै० लार्सन एण्ड टोब्रो के बही खातों का, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत निरीक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) हां, श्रीमान जी ।

उच्च घनत्व के पोलिथीलीन की नई प्रकार का कार्य

5438. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **पेट्रोलियम, तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च घनत्व के पोलिथीलीन के निर्माताओं और वितरकों ने नई प्रकार की उच्च घनत्व की पोलिथीलीन का व्यापार प्रारम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे बनस्पति निर्माताओं के लिये समस्याएं पैदा होने की सम्भावना है क्योंकि छोटे "पैक्स" के लिये उच्च घनत्व की पोलियीलीन उपलब्ध नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने बनस्पति बनाने वालों के लिये मंजूरशुदा उच्च घनत्व की पोलिथीलीन उपलब्ध करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), से (ग) । मैसर्स पालिओलफिन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा एच० डी० पी० ई० की नई किस्म का उत्पादन नहीं किया जाता । वे अक्टूबर, 1977 से बढ़िया गुणों वाले ग्रेड का उत्पादन कर रहे हैं । इसका

उसी प्रकार उपयोग किया जा सकता है जैसा कि पहले किये गये उत्पादन का होता था । वनस्पति तेल के पैकेज के लिए नये ग्रेड की सामग्री की उपलब्धता अथवा उपयुक्तता की कोई समस्या ही नहीं है ।

उच्च न्यायालयों में लम्बीत मामले

5439. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों में लम्बित सिविल और आपराधिक मामलों की संख्या कितनी है, और उन मामलों में से कितने मामले क्रमश: (i) पांच वर्ष और (ii) दस वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं ;

(ख) क्या लम्बित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए इन न्यायालयों और अन्य न्यायालयों में बैंचों/न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या सरकार कर अपवंचन आदि जैसे आर्थिक अपराधों को तेजी से निपटाने के लिए विशेष न्यायालयों अथवा बैंचों की स्थापना करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ।

(ग) यह काम संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों का है कि वे आवश्यकता के अनुसार विशेष बैंचों की स्थापना करें ।

विवरण

दिल्ली, मुम्बई कलकत्ता और मद्रास के उच्च न्यायालयों में सिविल और आपराधिक मामलों की संख्या जो 31-12-1977 को लम्बित थे ।

लम्बित मामलों की स्थिति जो 31-12-1977 को थी

उच्च न्यायालय का नाम	सिविल			आपराधिक		
	कुल	5 वर्ष से अधिक समय से लम्बित	10 वर्ष से अधिक समय से लम्बित	कुल	5 वर्ष से अधिक समय से लम्बित	10 वर्ष से अधिक समय से लम्बित
दिल्ली	25,051	6,554	427	1,536	35	2
मुम्बई	47,996	8,333	614	4,596	1	—
कलकत्ता	64,645	17,544	6,292	5,408	280	4
मद्रास	46,480	1,823	74	5,283	15	1

Hazipur Vendor's Association

†5440. **Shri Ram Vilas Paswan:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Hazipur Vendors Association of N.E. Railway has been engaged on selling of fruit for the past twenty years;

(b) whether the licence of this Association was cancelled on the 31st March, 1977 and the same was granted to an individual; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Messrs. N.E. Railway Vendors Cooperative Society Ltd., Hazipur held fruit vending contract at Hazipur Railway station from 12-9-57 to 31-3-77.

(b) The Society worked upto 31-3-77 and thereafter the contract was awarded to two contractors with effect from 1-4-1977.

(c) The Society was not functioning as a Cooperative Society but had sub-let the contract to 40 individuals, who were managing their business individually. Assistant Registrar of Cooperative Societies, Hazipur when reffered to, observed that the Society was committing this irregularity. Since the Society was not functioning in accordance with their bye-laws, the contract was terminated.

Extension of Qutab Express upto Jabalpur

†5441. **Shri Nirmal Chandra Jain:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Government have decided to extend Qutab Express upto Jabalpur so as to have a direct train from Jabalpur to Delhi;

(b) whether Government propose to name that train as 'Narmada Express' or 'Marble Rocks' or 'Sangemarmar Express' or 'Sanaskardhani' Express;

(c) whether Government would take certain steps to reduce the time proposed to be taken by that train in reaching from Jabalpur to Delhi from about 17 hours to 15 hours; and

(d) whether the said train is proposed to be plied via Bina ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes.

(b) No.

(c) The question of reducing the journey time of this train is under review.

(d) No.

पंजीकृत समितियों पर सरकारी नियंत्रण

5442. **श्री भगत राम :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत समितियों पर सरकार का कोई नियंत्रण है ;

(ख) क्या उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत समितियों की जहां तक उनके प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य कार्यों का सम्बन्ध है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है ;

(ग) सरकार द्वारा उनमें से कितनीं समितियों को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से वित्तीय सहायता दी जाती है ; और

(घ) क्या सरकार द्वारा स्वामित्व अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली समितियों के कार्यकरण को नियमित करने को कोई प्रस्ताव है जिससे उन्हें और अधिक उद्देश्यपूर्ण, उपयोगी और दायित्वपूर्ण बनाया जा सके और क्या समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 में, जो वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है, कोई संशोधन करने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (घ) : समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 राज्य सरकारों द्वारा शासित होता है और केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत समितियों के कार्यों से संघ शासित क्षेत्रों को उनके आवदन पत्रों की मात्रा के सिवाय सम्बन्धित नही है । केन्द्रीय सरकार इन समितियों के कार्यकरण पर किसी भी प्रकार के नियंत्रण का प्रयोग नहीं करती है और ना ही इस प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन है । जैसा कि काफी संख्या में समितियां राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों और सारे भारत में काफी समय से चालू की गई है, अत: समितियों की संख्या जिनकी पूर्णत: या आंशिक रूप से विभिन्न सरकारों द्वारा वित्तीय सहायता दी गई थी, के सम्बन्ध में पूर्ण सुचना प्राप्त करना बहुत कठिन है । वे समितियां जो केन्द्र, राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सरकारों से काफी अनुदान ले रही है, उनके लिए अनुदानों के उपयोग के सम्बन्ध में सामान्यत: सरकार के उचित विभाग को रिपोर्ट देना अपेक्षित है । इन भारी अनुदानों से अलग व्यय का भी भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक द्वारा उनकी स्वेच्छा से लेखा परीक्षा के अधीन होता है । अगर समिति का कार्य संस्था ज्ञापन या उसके विनियमों के अनुसार सम्पन्न नहीं किया जाता है तो इच्छुक पार्टी उसे न्यायालय में चुनौती दे सकती है । अधिनियम को संशोधित करने के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि विभिन्न राज्य सरकारों ने विशिष्ट राज्य के लिए या तो अधिनियम का संशोधन कर दिया या लागू योग्य नये अधिनियमों का अधिनियमन कर दिया है ।

गाड़ियों में डाका डालने वाला संगठित गिरोह

5443. **श्री यादवेन्द्र दत्त :**

- श्री किरित विक्रम देव बर्मन :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 7 मार्च, 1978 के इंडियन एक्सप्रैस में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि उत्तर रेलवे के हाथरस इलाहाबाद सैक्शन में घातक हथियारों से लैस डाकुओं के संगठित गिरोह ने गाड़ियों में कई डाके डाले हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर रेलवे के मुरादाबाद सैक्शन और बरेली सैक्शन में भी डाकुओं का संगठित गिरोह सक्रिय है ; और

(ग) यदि हां, तो गाड़ियों में इतने बड़े पैमाने पर पड़ने वाले डाकों की रोकथाम के लिए रेलवे क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, हां ।

(ख) उत्तर रेलवे के मुरादाबाद–बरेली खण्ड पर डाकुओं का ऐसा कोई संगठित गिरोह सक्रिय नहीं है । लेकिन, 8-3-1978 को उत्तर रेलवे के मुरादाबाद–चन्दौसी खण्ड पर कुआं खेड़ा हाल्ट और गुमथल स्टेशनों के बीच गाड़ी नं० 2 सी० एच० में डकैती की एक घटना हुई थी ।

(ग) उत्तर प्रदेश की सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा निम्नलिखित निवारक उपाय किये जा रहे हैं :—

(i) सभी रात्रि-सवारी गाड़ियों में सरकारी रेलवे पुलिस के सशस्त्र कर्मचारियों द्वारा मार्ग रक्षण;

(ii) अपराधियों और असामाजिक तत्वों की धर-पकड़ के लिए सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा रेलगाड़ियों/रेल परिसरों में अचानक छापे मारना और नियमित रूप से जांच करना;

(iii) प्रभावित क्षेत्रों में रेलवे प्लेटफार्मों पर/यात्री प्रतीक्षालयों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गयी है ;

(iv) सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार के अन्य निवारक उपायों में वृद्धि की गयी है ।

सहायक हिन्दी अधिकारी

5444. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोनल रेलवे के लिये सहायक हिन्दी अधिकारी का चयन रेलवे बोर्ड कार्यालय द्वारा वर्ष 1976 में किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में एक पैनल बनाया गया है ; और

(ग) पेनल की घोषणा और सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति कब तक की जायेगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) अनंतिम पैनल घोषित कर दिया गया है, तथा सूची में लिखे हुए अधिकारियों के तैनाती आदेश जुलाई 1977 में जारी किए गए थे । लेकिन बाद में, कुछ कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें चयन की कार्य विधि में कुछ अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था । इन अभ्यावेदनों सम्बन्धी विषयों की अब जांच की जा रही है ।

बिक्री ठेकेदारों से लिए जाने वाला किराया

5445. **श्री द्वारिका नाथ तिवारी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिक्री ठेकेदारों और रेस्तरां मालिकों से उनके द्वारा अधिकृत स्थानों के लिए उन से कोई किराया वसूल किया जाता है ;

(ख) क्या रेलवे में एक जैसे स्थानों के लिए विभिन्न दरें हैं ;

(ग) लखनऊ, गोंडा, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, बरौनी और महेन्द्रुघाट (सब पूर्वोत्तर रेलवे के अन्तर्गत) पर किन-किन दरों से किराया लिया जाता है ; और

(घ) एक ही प्रकार के स्थान के लिये विभिन्न दरें वसूल करने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ):सूचना एकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

तालचेर उर्वरक समूह में श्रमिक अशान्ति

5446. **श्री जगन्नाथ प्रधान** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में स्थित तालचेर उर्वरक उद्योग समूह में किसी प्रकार की श्रमिक अशांति हुई थी ;

(ख) वह किस प्रकार की थी और उसके परिणामस्वरूप कितने जनदिवसों की हानि हुई और उर्वरकों के उत्पादन में कितनी कमी हुई ; और

(ग) सरकार ने श्रमिक समस्याओं को हल करने और श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिये अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग): एफ० सी० आई० में तालचर प्रभाग के मान्यता प्राप्त संघ अर्थात् शर्करा खान श्रमिक संघ ने अपनी 17 मांगों को पूरा करने के लिए 27 मई, 1977 को हड़ताल का नोटिस दिया था। मैत्री-पूर्ण कार्रवाई के दौरान कामगार 10 जून, 1977 से हड़ताल पर गए हैं। 30 जून, 1977 को राज्य सरकार ने तीन मामलों अर्थात् परियोजना भत्ते, साइकिल भत्ते और मकान के किराए की मांगों को निर्णय के लिए ले लिया था और शेष 14 मांगें किसी ऐसे संदर्भ के लिए राज्य सरकार द्वारा ठीक नहीं पाई गई थी। 30 जून, 1977 को राज्य सरकार द्वारा हड़ताल अवैध घोषित की गई थी और इसको जारी रखना निषेध था। कई तीन तरफी बैठकें बुलाई गई थी और 26 दिन की हड़ताल के बाद समझौता किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 6 जुलाई, 1977 से हड़ताल समाप्त की गई थी। तालचर में उर्वरक परियोजना निर्माणाधीन है, अतः इसलिए उत्पादन में कोई हानि नहीं हुई है। यह सरकार की नीति रही है कि कामगारों की उचित शिकायतों पर शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि उनका उचित समाधान ढूंढा जा सके ।

उर्वरक पुनर्गठन के बारे में कार्य-दल

5447. **श्री सौगत राय** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक पुनर्गठन के बारे में कार्य-दल ने अपना प्रतिवेदन सरकार को पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन का मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कार्यदल ने सिफारिश की है कि प्रस्तावित नेशनल फर्टिलाइजर्स की स्थापना कलकत्ता में की जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) रिपोर्ट का सम्बन्ध एफ० सी० आई०/एन० एफ० एल० के पुनर्गठन से सम्बन्धित विधि, वित्तीय, कार्मिक तथा अन्य सम्बद्ध मामलों से है ।

(ग) कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ साथ यह सुझाव दिया था कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० का मुख्यालय कलकत्ता में स्थित किया जाना चाहिए ।

(घ) कार्यकारी दल की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने एफ० सी० आई० तथा एन० एफ० एल०, जिनके मुख्यालय दिल्ली में हैं, को पाँच निम्नलिखित कम्पनियों में गठित करने के लिए पुनर्गठन करने का निश्चय किया है :—

1. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०
2. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०
3. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि०
4. राष्ट्रीय केमीकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०
5. फर्टिलाइजर (योजना एवं विकास) इंडिया लि०

फर्टिलाइजर (पी० एण्ड डी०) इंडिया लि० और राष्ट्रीय केमीकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० के मुख्यालय क्रमश: सिन्दरी तथा बम्बई में हैं । शेष तीनों के मुख्यालय अभी दिल्ली में हैं । इन कम्पनियों के मुख्यालयों की अन्तिम स्थिति का प्रश्न सरकार के जांचाधीन है ।

टनकपुर–पिथौरागढ़ लाइन

5448. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टनकपुर से पिथौरागढ़ को, उस सीमा क्षेत्र के सामाजिक महत्व तथा उसकी आर्थिक लाभप्रदत्ता को देखते हुए, एक रेल लाइन बनाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो आज तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग):सामरिक महत्व की रेल लाइनों का निर्माण प्रतिरक्षा मंत्रालय की सिफारिशों पर किया जाता है । टनकपुर और पिथौरागढ़ के बीच रेलवेलाइन बनाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

भारत तथा नेपाल के बीच रेल सम्पर्क

5449. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री जी० एम० बनतवाला :

क्या रेल मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख):भारत में रक्सौल और नेपाल में हितौदा तक बड़ी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए नेपाल सरकार के अनुरोध पर वर्ष 1971 में एक सर्वेक्षण कराया गया था। उस समय कीमतों के अनुसार 68.06 कि० मी० लम्बी बहस

लाइन पर 21.74 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान था। दिसम्बर, 1973 में भारत सरकार की सिफारिश के साथ सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रतियां नेपाल सरकार को उपलब्ध करा दी गयी थीं।

Arrival of Coal Rakes at Khurja

†5450. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of coal rakes which arrived at Khurja, District Uttar Pradesh during last one year;

(b) the number of coal rakes supplied by the Director, Railway Movement, Calcutta to the various parties or industrial establishments in Khurja last year and the quantity of coal supplied every month;

(c) the names of the agents through which the said quantity of coal was sent to Khurja;

(d) whether a cut has been made in the quota of coal recently; and

(e) if so, the quantity thereof and the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) & (b) : Nil. Coal is received in piecemeal at Khurja city.

(c) M/s. Sikri Brothers Coal Sales Private Ltd., Calcutta.

(d) & (e) : During 1977 due to inadequate availability of steam coal all steam coal programmes were complied only to the extent of 50% of the programmed quantity from April '77 onwards. With better availability the percentage compliance was increased to 66% from January '78 and cent per cent from March '78.

इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसायटी द्वारा नियंत्रित समाचारपत्रों के विरुद्ध जांच

5452. **श्री के० मालन्ना** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसायटी द्वारा नियंत्रित समाचारपत्र श्रृंखला के विरुद्ध जांच करने के मामले में कोई पहल की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रगति का क्या विवरण है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग द्वारा इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसायटी, सदस्य समाचार पत्रों और कंपनियों/फर्मों जो समाचार पत्रों की स्वामी हैं, के विरुद्ध कथित प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाओं के लिए 28 जांचें गठित की थीं। इनमें से केवल मात्र एक मामले में जांच बन्द कर दी गई क्योंकि यह स्पष्ट हो गया था कि सम्बन्धित पार्टी कथित प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाओं में ग्रस्त नहीं थी। 18 जांचों के मामले में आयोग द्वारा आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। एक मामले में आयोग ने कुछ प्रारम्भिक विषयों पर निर्णय लेते हुए आदेश जारी किये और उसमें अन्तिम सुनवाई के लिए 3 अप्रैल, 1978 निश्चित की गई है। तीन मामलों

में जांच अन्तिम चरण पर है। 4 मामलों में अभी भी कार्यवाही की जा रही है और एक मामले पर जांच निदेशक की रिपोर्ट एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग की परीक्षान्तर्गत है।

अनसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों की तकनीकी सेवाओ में भर्ती

5453. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार्जमन (मेकेनिकल, सिगनलिंग और इलेक्ट्रीकल), ट्रेन एग्जामिनर्स, डीजल मेकेनिक्स, ट्रैफिक एण्ड कमर्शियल इन्स्पेक्टर्स, हैल्थ इन्सपक्टर्स आदि जैसी तकनीकी सेवाओं के वर्गों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती बहुत पिछड़ी हुई है और अनुसूचित जनजातियों के अर्हताप्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध नही हैं ;

(ख) क्या सरकार ने पश्चिम रेलवे में तथा अन्य रेलों में अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये अर्हता को 'डिप्लोमा-धारी' से घटाकर साइंस के साथ मट्रिक किया था ; और

(ग) यदि हां, तो गत 2 मास में, विशेषरूप से जबकि मंत्री महोदय द्वारा 'द्रुत कार्यक्रम' घोषित किया गया है, क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख): तकनीकी कोटियों जैसे प्रशिक्षु मैकेनिक, प्रशिक्षु गाड़ी परीक्षक, प्रशिक्षु विद्युत चार्जमैन के रूप में नियुक्ति के लिए डिप्लोमा धारी अनुसूचित के उम्मीद्वार उपलब्ध न होने के कारण, उनके लिए आरक्षित कोटा भरा नहीं जा सका। अतः इन पदों में भर्ती के लिए अनुसूचित जन जाति के उम्मीद्वारों के लिए निर्धारित अर्हता में ढील देकर विज्ञान सहित मैट्रिक कर दिया गया था। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की कोटियों में आरक्षित कोटे की कमी पूरा करने के लिए रेलवे में 1-10-77 से 31-3-78 तक की अवधि के दौरान प्रारम्भ किये गये विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत की गयी नियुक्तियों के लिए यह छूट दी गयी थी।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Railway link among Sikkim, Tripura, Meghalaya States

†5454. **Shri Raghavji**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether proposals for providing Railway links in Sikkim, Meghalaya, Tripura etc. States have been received;

(b) if so, action being taken in this regard;

(c) whether Government will consider linking each state with railway links; and

(d) Governments difficulty in this regard and action being taken to overcome the same ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (d): Extension of BG railway line from New Bongaigaon to Gauhati which will provide uninterrupted BG link between Gauhati and the rest of the country, is already in progress. Surveys have been carried out or are in

4—123 LSS/ND/78

progres for the following new railway lines, with a view to extending railway facilities to the States in the North Eastern Region:—

(1) Meghalaya : (i) Jogighopa/Panchratna-Darangiri.
(ii) Gauhati-Burnihat.
(iii) Gauhati-Dudhani.

(2) Mizoram : Lalaghat-Sairang.

(3) Manipur : Silchar-Jiribam.

(4) Nagaland : Amguri-Tuli.

(5) Tripura : Dharmanagar-Kumarghat-Agartala-Sabroom.

(6) Arunachal Pradesh : (i) Tipling-Itanagar.
(ii) Balipara-Bhalukpong.
(iii) Murkongselek-Passighat.

No survey has been carried out for rail link to Sikkim State. Construction of new railway lines in North Eastern Region as a whole is being considered by a Committee appointed by the Planning Commission and the decision would depend upon the recommendations of the Committee.

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से अधिकारियों की नियुक्ति

5455. **श्री वसन्त साठे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से साक्षात्कार (इन्टरव्यू) लेकर नियुक्त किये गये अधिकारियों के सम्बन्ध में रेल बोर्ड द्वारा भेदभाव की पद्धति अपनाये जाने के बारे में श्री मधु मेंहता, राष्ट्रीय संयोजक, हिन्दुस्तानी आन्दोलन, बम्बई, की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अधिकारियों के साथ किये गये अन्याय को दूर करने के लिए इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है/करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग)-जी, हां । संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किये गये अस्थायी सहायक अधिकारियों की ओर से एक ज्ञापन, जिसमें विभिन्न समस्याओं का विवरण है, मिला है । इस अभ्यावेदन में मुख्यत: उनको कुल सेवा अवधि के आधार पर श्रेणी-1 में उनका समाहरण ओर पदोन्नति की संभावनाओ आदि क. प्रश्न था । इन मामलों पर सरकार पहले से ही सावधानी पूर्वक विचार कर रही हैं ।

Passenger traffic between India and Pakistan

†5456. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) increase in passenger traffic during the last six months as a result of resumption of train services between India and Pakistan;

(b) the extent of increase in goods traffic; and

(c) the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (c) : The required information in respect of Passenger and Goods traffic between India and Pakistan is shown in the table below :—

	India to Pakistan			Pakistan to India		
	Sept.'77 to Feb.'78	Sept.'76 to Feb.'77	Increase	Sept.'77 to Feb. 78	Sept.'76 to Feb.'77	Increase
No. of Passenger travelled by rail.	21424	13387	8037	23787	18552	5235
No. of wagons interchanged.	6245 (Loaded)	909 (Loaded)	5336 (Loaded)	6331 (22 Loaded)	909 (Empties)	5422 (5400 Empties)

The bulk of exports from India to Pakistan comprised of the following Commodities :—

1. Bamboo, Timber, Firewood, Broomsticks, Wooden logs.
2. Sleepers, Iron Girders and Joists, Steel Plates, Iron Angles, Iron Chips etc.
3. Cables, Conductors, High resistance coils, High resistance sheets, Refrigerators.
4. Agricultural equipments, Tractors etc.
5. Chemicals.
6. Cement and Cement pipes.
7. Others, like glass bottles, electric bulbs, rosin, tea, cigarette papers etc.

There is hardly any return traffic from Pakistan to India. Pakistan equalises in interchange by making over wagons as empty.

संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान के संगम ज्ञापन में संशोधन

5457 **श्री अहसान जाफरी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान ने पुनर्विलोकन समिति के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा संस्थान को दिये गये सुझाव के अनुसार अपने संगम ज्ञापन में संशोधन करने के लिये अब तक कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि संस्थान ने सुझावों पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरसिंह) : (क) और (ख) : संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान के संगम ज्ञापन में संशोधन करने का प्रश्न संस्थान के विचाराधीन है ।

भारत हैवी इलक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा बायलर की सप्लाई करने में विलम्ब

5458. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० द्वारा बायलर की सप्लाई में विलम्ब होने के कारण कुछ नई उर्वरक परियोजनाओं को चालू करने की समय सूची पर गम्भीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मन्त्री (श्री जनश्वर मिश्र) : (क) और (ख): बी० एच० ई० एल० द्वारा बायलरों को चालू करने और सप्लाई में विलंब के कारण एन० एफ० एल० की भटिंडा परियोजना और एफ० सी० आई० की सिन्दरी आधुनिकीकरण परियोजना को चालू करने में लगभग आठ सप्ताहों से 17 सप्ताहों तक विलंब हुआ है। बी० एच० ई० एल० प्राधिकारियों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं ताकि शीघ्र सप्लाई की जाए तथा अधिक विलंब को रोका जाए।

श्रीलंका में यूरिया उर्वरक संयंत्र की स्थापना

5459. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका में यूरिया उर्वरक संयंत्र लगाने के लिये क्या शर्तें तय हुई हैं ;

(ख) किस एजेंसी/एजेंसियों को यह दायित्व सौंपा गया है ; और

(ग) इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) : श्रीलंका सरकार राज्य क्षेत्र में उर्वरक संयंत्र स्थापित कर रही है जिसमें 150 मिलियन डालर से अधिक निवेश लगेगा। 95 मिलियन डालर की विदेशी मुद्रा आवश्यकता का प्रमुख भाग एशियन डेवलपमेंट बैंक, पश्चिम जर्मनी के के० एफ० डब्ल्यू० और कुवैत के के० एफ० ई० डी० से ऋणों द्वारा पूरा किया गया था, भारत ने 10 करोड़ रुपये के ऋण की व्यवस्था की (आजकल की दर पर लगभग 12.2 यू० एस० डालर) थी। इस संदर्भ में नवम्बर, 1975 में श्री लंका सरकार के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऋण सहायता 5% ब्याज पर दिया गया था और 12 वर्षों में इसका भुगतान किया जाएगा। भारत से उपस्करों की सप्लाई और सेवाओं के लिए ऋण दिया गया है। इस ऋण का मुख्यत: स्थल से दूर और उपयोगिताओं के लिए सेवाओं और उपस्करों की लागत के लिए प्रयोग किया जाएगा। परियोजना के लिए भारत से सारी सप्लाई और सेवाएं मैसर्स इंजीनियर्स इण्डिया लि० के जरिए सरणीबद्ध हैं। श्री लंका उर्वरक निर्माता निगम ने मैसर्स के साथ ओवरसीज कारपोरेशन, यू० एस० ए० के साथ, सामान्य ठेकेदार के रूप में, ठेके पर हस्ताक्षर किए है। मैसर्स ई० आइ० एल० मैसर्स के लेग के उप-ठेकेदार है। परियोजना का कार्यान्वयन मार्च, 1976 में आरभ किया गया था और दिसम्बर, 1977 तक 40% से अधिक प्रगति की गई थी।

Shuttle Train between Kota and Baran

†5460. **Shri Chaturbhuj:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a shuttle train in running between Kota and Baran (Rajasthan) and if so, whether the train remains on the Bara Station throughout the night and if so, whether Government propose to extend it from Baran to Guna Station in the public interest; and

(b) the additional expenditure involved in case the shuttle train is extended upto Guna Station and in the case additional expenditure is hot involved, the time by which the train is proposed to be extended to Guna Station ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes, but there is no traffic justification for extension of 135 Dn/136 Up Kota-Baran Passenger train to/from Guna.

(b) Does not arise.

धर्मनगर से सबरूप रेल लाइन

1461. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में एक बहुत बड़े पेपर मिल तथा जूट मिल की स्थापना सहित त्रिपुरा में न ीनतम औद्योगिक विकास को देखते हुए, सरकार ने धर्मनगर से सबरूप तक एक रेल लाइन बिताने के प्रस्ताव की आर्थिक लाभप्रदता पर पुनर्विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पुनर्विचार के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) क्या इस पुनर्विचार को देखते हुए सरकार ने इस बीच रेल लाइन बिछाने का निर्णय कर लिया है और यदि हां, तो कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) धर्मनगर—कुमार घाट–केलाशहर और आखौरा–अगरतल्ला–सबरूप रेल सम्पर्कों के लिए 1973 के दौरान यातायात सर्वेक्षण किये गये थे, जिनसे पता चला कि य परियोजनाएं व्यावहारिक नहीं हैं। सम्पूर्ण योजना पर इस समय विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि इस पर भारी लागत आएगी और चूंकि राज्य सरकार ने धर्मनगर से कुमारघाट तक की लाइन के प्रथम चरण, जिस पर अनुमान है कि 8.5 करोड़ रुपये की लागत आएगी और खोले जाने के छठे वर्ष में जिससे 1.48% प्रतिफल की प्राप्ति होगी, के निर्माण के काम को प्राथमिकता दी है। सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में नयी रेल लाइनों का निर्माण प्रारम्भ किये जाने के बारे में योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गयी एक समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। उनके बारे में अन्तिम निर्णय इस समिति की सिफारिशों पर निर्भर करेगा, जिसे अपनी रिपोर्ट का अन्तिम रूप देने के लिए 8 महीने का समय प्रदान किया गया है।

आरक्षण क्लर्क के रूप में महिलायें

5462. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि महानगरों में प्रधान बुकिंग कार्यालयों में आरक्षण अथवा बुकिंग क्लर्कों और निरीक्षकों के कार्य के लिए केवल महिलाओं को नियोजित किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कितनी महिलाओं को इन पदों के लिए हाल में नियुक्त किया गया है और कलकत्ता महानगर के लिए कितनी महिलाओं को नियुक्त किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) यह विनिश्चय किया गया है कि महानगरों में बड़े बड़े बुकिंग कार्यालयों में आरक्षण/बुकिंग क्लर्क और पर्यवेक्षकों के पदों पर महिलायें नियुक्त की जायें ।

(ख) वर्तमान कर्मचारियों का बदलाव धीरे धीरे होगा । पात्र कोटियों की महिला कर्मचारियों में से चयन किया जायेगा । यदि आवश्यकता हुई तो रेल सेवा आयोगों के माध्यम से अर्हताप्राप्त महिला आरक्षण क्लर्कों का नया चयन भी किया जायेगा ।

रेल यात्रियों को परेशान किए जाने सम्बन्धी शिकायतें

5463. **श्री जी० वाई कृष्णन :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करने वाले अवांछित तथ्यों द्वारा परेशान किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस परेशानी को रोकने में निरीक्षक कर्मचारी अपने आप को असमर्थ पाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) और (ग): 1-4-1977 से 31-1-1978 की अवधि के दौरान बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध 89,972 विशेष जांचें की गयी जबकि इस से पिछले वर्ष की इसी अवधि में ऐसी 80,680 जांचें की गयी थी । इन संकेन्द्रित अभियानों के फल स्वरूप 1-4-1977 से 31-1-1978 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में टिकटों की बिक्री तथा इससे हुई आय में काफी वृद्धि हुई है । बिना टिकट यात्रियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में ढील नहीं आयी है । टिकट जांच की गतिविधियों को और अधिक सुदृढ़ कर दिया गया है ।

Underground Railway in Delhi

5464. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a scheme was formulated in 1973-74 for running an underground railway in Delhi; and

(b) if so, the progress made so far in this work and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) A scheme for a mas rapid transit system in Delhi, including underground railways, has been examined and a report submitted in 1975-76.

(b) Due to the high cost, the Planning Commission has not been able to find the funds for this project.

रेल मार्ग का विद्युतीकरण

5465. **श्री समर गुह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978-79 के दौरान रेल मार्ग के विद्युतीकरण के लिए कोई प्रावधान किया गया है ;

(ख) वर्ष 1977-78 के दौरान इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ग) रेल मार्ग के विद्युतीकरण में मन्द प्रगति के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : रेलवे विद्युतीकरण योजनाओं पर चल रहे कामों में शीघ्रता लाने के उद्देश्य से 1977-78 में 19.8 करोड़ रुपये के सम्भावित खर्च की तुलना में 1978-79 में यह नियतन बढ़ा कर 23 करोड़ रुपए कर दिया गया है ।

Barauni Fertilizers Factory .

†5466. **Shri Vinayak Prasad Yadav :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the date on which the Barauni Fertilizers Factory of Bihar State was commissioned, the total production capacity of the said factory and also its present production, fertilizerwise; and

(b) the total number of fertilizers factories in the country, the total production capacity, their present production and the requirement of fertilizers in the country ?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): The required information is given below :

(a) Date of commissioning . . .	November, 1976.
Production capacity	152,000 tonnes of nitrogen (330,000 tonnes in terms of Urea)
Production during (1977-78) .	83,000 tonnes of Urea equivalent to 38,180 tonnes of nitrogen. The plant is presently shut down for maintenance and rectification jobs and is expected to resume production on the 20th April, 1978.
(b) Total number of fertilizer factories in the country	24 large nitrogenous/complex units and 9 SSP units.
Total production capacity	30,28,000 tonnes of nitrogen and 9,15,000 tonnes of P_2O_5
Total production during 1977-78 .	20,20,000 tonnes of nitrogen and 6,70,000 tonnes of P_2O_5. There is no indigenous production of potash (K_2O).
Requirement of fertilizers in the country	During 1977-78 consumption of fertilizers is estimated at 28,88,000 tonnes of nitrogen, 8,27,000 tonnes of P_2O_5 and 4,69,000 tonnes of potash (K_2O).

Setting up Naphtha Cracker Factory

5467. **Shri Surendra Bikram:** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state the conditions laid down for the setting up of naphtha cracker factory and the locations of these units in the country and the name of the district in Uttar Pradesh where this unit is being set up?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): There are no specific conditions for setting up of the Naphtha Cracker projects or their location and there are no plans for the present for setting up a Naphtha Cracker plant in Uttar Pradesh.

Winter Uniforms in Ratlam Division

†5468. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that formerly winter uniforms were given in Ratlam Division of Western Railway because winters are too cold there and it is more or less a cold area;

(b) if so, the reasons for discontinuing issue of blanket and overcoat as part of uniform (Winter Uniform); and

(c) whether it is also a fact that the employees are experiencing difficulty due to non-supply thereof?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Railway employees at Ratlam stations north of Ratlam and on M.G. Section were eligible for blanketting overcoats as winter uniforms as per Dress Regulations in force prior to 1973.

(b) With the introduction of revised Dress Regulations, 1973, the blanketting overcoats are treated as special protective clothing and the same is issued only in areas classified as 'Winter Only' and 'Very Cold'. As Ratlam Division does not fit into the revised classification the staff are not eligible for blanketting overcoats. However, they are issued jerseys.

(c) As a result of representations from the organised Unions, this has been re-examined and orders have since been issued restoring the issue of overcoats to such of the employees who were getting this under the old Dress Regulations but who became ineligible for the same under the revised one.

Proposal to increase number of bogies in Kashi Express

†5469. **Shri Subhash Ahuja:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government propose to increase the number of bogies in the Kashi Express keeping in view the heavy rush of passengers on the Howrah-Jabalpur-Bombay Railway line; and

(b) the reasons why only 14 bogies are attached to the Kashi Express whereas 16 or 17 bogies are attached to other express trains?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes.

(b) These trains are running with 14 bogies on the Allahabad-Varanasi section only. On the rest of the route, except on Chalisgaon-Bhusaval section, the train is running with one bogie less than the maximum permissible, which is reserved for haulage of programmed coaches, as is shown below:—

Sub-Section	Normal load	Maximum permissible load
Dadar-Igatpuri . .	16	17
Igatpuri-Chalisgaon	16	17
Chalisgaon-Bhusawal	15	17
Bhusaval-Itarsi . .	15	16
Itarsi-Allahabad . .	15	16
Allahabad-Varanasi .	14	17

At Chalisgaon, Bhusaval slip coaches/Parcel Vans are attached/detached between 27 Dn/28 Up trains. Further once a week a through coach runs between Hyderabad and Varanasi which is attached/detached to these trains at Itarsi. Therefore there is no room to run these trains with more bogies than above as a regular measure.

Difference between Compensation Paid to Railway Employees and other victims of Accidents

†5470. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is a great difference in the amount of compensation paid in respect of railway passengers and railway employees killed in railway accidents during the period from March, 1977 to March, 1978; and if so, the reasons therefor; and

(b) whether compensation has actually been paid in respect of all the persons killed in various accidents during the said period and the number of persons in respect of whom compensation has not been paid and the amount of compensation paid to the injured?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) & (b) : Passengers including railway staff other than train crew are paid compensation under Indian Railways Act, 1890 and the Accident (Compensation) Rules, 1950 as amended in 1974, upto Rs. 50,000/- as per schedule. The Railway employees on train duty are paid compensation under Workmen's Compensation Act, 1923 upto Rs. 30,000/- computed on the basis of their salary groups.

Out of total number of 387 claims received under Indian Railways Act, 1890 from the victims and their dependents involved in train accidents during the period from March, 1977 to March, 1978, 82 claims have been settled and

compensation amounting to approximately Rs. 15.99 lakhs paid to the claimants. The remaining cases will be settled on the basis of the verdict of the Ad-hoc Claims Commissioners/Ex-officio Claims Commissioners.

During the same period out of 30 railway staff killed on duty in train accidents a sum of approximately Rs. 4.39 lakhs has been deposited in respect of 19 staff with the concerned Commissioners under the Workmen's Compensation Act, 1923 for payment to their dependents. The remaining cases are being settled expeditiously.

In respect of injured railway employees on duty in these accidents, the compensation will be paid after determining the loss in their earning capacity based on the injury sustained by them.

रासायनिक वस्तुओं का निर्यात

5471. **श्री दुर्गा चंद :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के क्या नाम हैं जिन को इस समय भारतीय रासायनिक वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक देश को वर्षवार, कितने मूल्य की रासायनिक वस्तुओं का निर्यात किया गया ;

(ग) क्या उस उद्योग का निर्यात संबंधी कोई दायित्व होता है जिसे रासायनिक वस्तुओं के निर्माण के लिये लाइसेंस दिये जाते हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या यह सच है कि रासायनिक वस्तुओं के निर्माण में हानि होती रही है और इसके कारण देश में उनके मूल्य में वृद्धि हुई है ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) रासायनिक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : रसायनों के निर्यात मदवार अभी देश वार नियमित रूप से डरेक्टोरेट जर्नल आफ कामरसल इन्टेलीजन्स एण्ड स्टेटिक्स, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मंथली स्टेटिस्टिक आफ दी फारेन ट्रेड आफ इंडिया खण्ड-1 में प्रकाशित किए जाते हैं ।

(ग) से (च) : सूचना एकत्र की जा रही है ।

Booking Office at Tuniya Station

†5472. **Shri R. P. Sarangi:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is a railway station named Tuniya in Chakradharpur Division in S.E. Railway and passenger trains also stop there;

(b) whether in the absence of a railway booking office at Tuniya Station people have to travel without ticket; and

(c) if so, the reasons for not opening a booking office so far at Tuniya station and when a booking office is proposed to be opened there ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes, Tunia is a Block Hut Station which is not open for passenger traffic. Passenger trains stop here for operational reasons only.

(b) and (c) : The proposal for opening Tuniva Block Hut for passenger booking is under examination and necessary action will be taken in due course.

वडक्कौचेरी और मुल्लुरकारा के बीच ऊपरि पुल

5473. **श्री पी० के० कोडियान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वडक्कौचेरी और मुल्लुरकारा के बीच रेल उपरि पुल का निर्माण कार्य कब आरम्भ किया गया था ;

(ख) ऊपरि पुल का कार्य पूरा होने में कितना समय लगा ;

(ग) ऊपरि पुल के निर्माण के लिये मूल अनुमान क्या था तथा वास्तव में कितनी धनराशि खर्च हुई ;

(घ) क्या ऊपरि पुल के स्थल का कुछ काम अब भी हो रहा है ; और

(ङ) ऊपरि पुल के निर्माण में बहुत अधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) मुल्लुरकारा और वडक्कौचेरी के बीच अतिरिक्त दोहरे रेल पथ की व्यवस्था करने के लिए वर्तमान पुल संख्या 36 का पुनर्निर्माण अपेक्षित था । यह निर्माण कार्य फरवरी, 1974 में प्रारम्भ किया गया था ।

(ख) चार वर्ष ।

(ग) 1972 में इसकी मूल अनुमानित लागत 3.43 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी । 1976 में संशोधित स्वीकृत लागत 6.21 लाख रुपये थी ।

(घ) जी हां । पहुंच मार्गों के भाग में राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे कुछ छोटे मोटे अवशिष्ट काम अभी भी चल रहे हैं ।

(ङ) संसाधनों की और यातायात परिस्थितियों की उपलब्धता के अनुरूप ही इन कार्यों को समंजित किया जाता है । हालांकि, निर्माण की अवधि में हुई बढ़ोतरी के कारण सड़क यातायात में कोई असुविधा या अस्तव्यस्तता नहीं हुई ।

Setting up of Drug Manufacturing Units in States by I.D.P.L.

5474. **Shri Laxminarain Nayak:** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether the Indian Drugs and Pharmaceutical Limited, which is a Central Government undertaking, is setting up drug manufacturing units in the various States; and

(b) if so, the time by which such a unit is likely to be set up in Madhya Pradesh?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) Government have decided that, whenever possible, Public Sector Enterprises would set up Joint Sector Units in various States for the manufacture of drug formulations.

(b) Proposal to set up a Joint Sector Formulation Unit in participation with the Madhya Pradesh State Industries Corporation is under consideration of the I.D.P.L. and the outcome will depend on the viability of the project based on factors like cost, demand etc.

Division of F.C.I.

5475. **Shri Birendra Prasad:** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether Government have divided the Fertilizer Corporation of India into four zones;

(b) whether the production centres, Sindri and Barauni in Bihar state are proposed to be earmarked for West Bengal (Calcutta) and Uttar Pradesh (Gorakhpur) respectively; and

(c) the category-wise number of officers and employees working in the Fertilizer Corporation of India in Bihar State?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) The Fertilizer Corporation of India and the National Fertilizers Ltd., with headquarters in Delhi, have been reorganised to form the following five companies:

	Name of the Company	Name of the units/Divisions
1.	Fertilizer Corporation of India Ltd.	Sindri (including Sindri Modernisation and Sindri Rationalization), Gorakhpur, Ramagundam, Talcher and Korha.
2.	National Fertilizers Ltd.	Nangal, Bhatinda and Panipat.
3.	Hindustan Fertilizer Corpn. Limited	Barauni, Haldia, Durgapur and Namrup.
4.	Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd.	All units of Trombay and the gas based plants in the south of Bombay.
5.	Fertilizer (P&D) India Limited	P&D Division of the FCI.

(b) After discussions with the State Governments and producers in the Zonal Council Meetings, the Ministry of Agriculture finalises the allocation of production of fertilizer factories to different States in the country every year.

(c) The number of officers and employees working in the Units/Divisions of the FCI in Bihar State as on 31-12-77 is as under:

Class	Sindri Unit	Barauni Unit	P&D Division	Total
I	425	162	906	1493
II	344	139	578	1061
III	5816	920	1676	8412
IV	1440	232	239	1911
Total	8025	1453	3399	12877

Class II Employees on ad hoc basis provided with Free Pass

†5476. **Shri Ramanand Tiwary** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether class II employees appointed on ad-hoc basis on Zonal Railways are provided with facilities such as free pass, P.T.O., annual increment etc.;

(b) whether Class III employees appointed on ad-hoc basis in Railway Board in 1964, 1965, 1970 and 1973 have been regularised and they are provided with pass, P.T.O., annual increment, etc. facilities; and

(c) if so, whether the Ministry of Railways proposes to regularise the Class III employees appointed on ad-hoc basis in Railway Board in 1975-76 and provide them facilities such as free pass, P.T.O., annual increments, etc. and if so, by what time indicating the procedure to be followed ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes.

(b) The services of clerks recruited through the Employment Exchange in the years 1964, 1965 and 1970 have since been regularised and they are enjoying all the facilities in the form of Privilege Passes, PTOs, increments etc.

The clerks recruited in 1973 have not been regularised.

(c) According to policy announced by the Minister for Railways on 11-6-77 in the Lok Sabha, ad-hoc employees in class III will be regularised only in case they are selected by the competent authority.

As ad-hoc temporary employees they are, however, being considered for passes, PTOs and annual increments.

विश्व बैंक से ऋण

5477. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग विश्व बैंक से 280 करोड़ रुपयों का ऋण लेगी ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे विभाग तकनीकी जानकारी का निर्यात कर रहा है तथा अन्य देशों में रेलों का भी निर्माण कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त भाग (क) के बारे में पूरा ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : विश्व बैंक मिशन जो कुछ समय पूर्व भारत आया था रेलवे कारखानों और रेल इंजनों तथा रेलों द्वारा स्थापित किये जा रहे पहिया एवं धुरा संयंत्रों के आधुनिकीकरण से सम्बन्धित कुछ रेल परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा वित्त की सम्भावित व्यवस्था के लिए चुना था। इन परियोजनाओं के लिए और साथ ही, विकास सहायता की कुछ मदों के लिए मिशन ने बैंक द्वारा दी जाने वाली सम्भावित वित्तीय सहायता की मात्रा का अनुमान 2,790 लाख अमरीकी डालर लगाया था जिस में 770 लाख अमरीकी डालर के रूप में स्थानीय लागत का समानक तत्व भी शामिल है। इन प्रस्तावों के बारे में सरकार के विचारों के अन्तिम रूप दे दिया गया है और इस बारे में आगे बात चीत मई–जून 1978 में की जायेगी ।

भारतीय रेलों द्वारा कुछ दूसरों के लिए रेलवे प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में परामर्श दात्री सेवाओं की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन विदेशों में नयी रेलवे लाइनें बिछाने का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है।

Uneconomical Railway Lines

5478. **Shri Ram Sewak Hazari:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the action taken by Government in regard to uneconomical railway lines in respect of which people made a demand to keep them running during the last three years;

(b) the number of railway lines which were kept running and those closed down; and

(c) the details in respect of profit and loss in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

गोरखपुर स्थित पूर्वोत्तर रेलवे क स्टोर्स विभाग में अधिकारी के विरुद्ध आरोप

5479. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें कुछ संसद सदस्यों, राज्य विधान मण्डल सदस्यों तथा केन्द्र के राज्य मंत्री की ओर से पत्र मिले हैं जिनमें गोरखपुर स्थित पूर्वोत्तर रेलवे के स्टोर्स विभाग के अधिकारी के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या आरोप लगाये गये हैं ;

(ग) क्या अधिकारी के विरुद्ध जांच आरम्भ हो गई है तथा यह सुनिश्चित किया गया है कि सम्बद्ध अधिकारी जांच कार्य पर कोई प्रभाव न डाल सके ;

(घ) क्या वह अधिकारी उन कर्मचारियों को परेशान कर रहा है जो जांच के लिये उपयोगी जानकारी दे सकते हैं ; और

(ङ) क्या उत्तर पश्चिम रेलवे के उच्च अधिकारी उक्त अधिकारी की सहायता कर रहे हैं तथा उन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे के दिसम्बर, 1977 के 'सामयिकी' के अंक संख्या 12 में एक प्रशंसात्मक कालम प्रकाशित कराया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी पद के दुरुपयोग, लिपिकों के प्रवरण म अनियमितताओं 'घ' वर्ग कोटि के कर्मचारी और एवजियों की नियुक्ति क्वार्टरों के आबंटन और अपने कृपा पात्र कर्मचारियों के ति अवांछित पक्षपात के आरोप हैं।

(ग) जांच का काम पूर्वोत्तर रेलवे को सतर्कता शाखा को सौंपा गया है जिससे कि सम्बन्धित अधिकारी जांच पड़ताल कार्य पर प्रभाव न डाल सकें।

(घ) पूर्वोत्तर रेलवे के सम्बधित कर्मचारियों से उन्हें तंग करने के बारे में कोई व्यक्तिगत शिकायतें नहीं मिली हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा कि सतर्कता शाखा द्वारा की जाने वाली जांच पड़ताल में सहायता करने या तथ्यपूर्ण बयान देने के कारण किसी भी कर्मचारी को तंग न किया जाये।

(ङ) जहां तक तफशीश का सम्बन्ध है पूर्वोत्तर रेलवे के उच्च अधिकारी उस अधिकारी को मदद नहीं कर रहे हैं जिसके विरुद्ध आरोप हैं। तफशीश का काम निरपेक्ष तथा निष्पक्ष रूप से किया जायेगा। दिसम्बर 1977 के पूर्वोत्तर रेलवे सामयिकी अंक सं० 12 में प्रशास्ति विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, जो सम्बन्धित अधिकारी और डिपो के कर्मचारियों द्वारा गोरखपुर तथा पिपराइच स्केप डिपो में किये गये काम के बारे में था।

Catering Inspectors

†5480. **Shri H.L.P. Sinha:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of years for which catering Inspectors and platform catering Supervisors are allowed to work at one junction; and

(b) whether it is a fact that they have been working at one junction for the last 7, 8 and 9 years and if so, the reasons for not transferring them?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) & (b): On the recommendations of the Administrative Reforms Commission, the earlier practice of compulsory periodical transfers of such staff has been given up. At present staff are transferred only when there are public complaints against them and their continuance at particular stations is found to be undesirable. Transfers are also ordered on administrative grounds or when promotions are due and the vacancies arise outside the stations where the employees are working.

पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित न्यायालयों को पटियाला हाउस, नई दिल्ली, में स्थानान्तरित करना

5481. **डा० वसन्त कुमार पंडित:** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित न्यायालयों को पटियाला हाउस में स्थानान्तरित करने का विनिश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह विनिश्चय कब क्रियान्वित किया जाएगा ; और

(ग) क्या यह सच है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित न्यायालयों में विधि-व्यवसाय करने वाले सब वकीलों ने यह विनिश्चय किया है कि यदि न्यायालय पटियाला हाउस में स्थापित नहीं किए जाते है और श्रम और राजस्व न्यायालयों ने भी पटियाला हाउस में काम करना आरंभ नहीं किया तो भूख हड़ताल आरंभ कर देंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शान्ति भषण): (क) और (ख): दिल्ली प्रशासन के अनुसार पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित न्यायालयों में से अपर सेशन न्यायाधीश और महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों को पार्लियामेंट स्ट्रीट से हटाकर पटियाला हाउस ले जाया गया है और इन

न्यायालयों ने वहां 15-3-1978 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। किन्तु राजस्व न्यायालयों को वहां से नहीं हटाया गया है। ऐसे न्यायालयों को भी नहीं हटाया गया है जो नई दिल्ली नगर पालिका के भवन में स्थित हैं और जो नगर पालिका और यातायात संबंधी विधियों के अतिक्रमण के मामलों में कार्यवाही करते हैं।

(ग) दिल्ली प्रशासन के अनुसार नई दिल्ली बार एसोसिएशन से ऐसा कोई संकल्प प्राप्त नहीं हुआ है कि यदि न्यायालयों को पार्लियामेंट स्ट्रीट से पटियाला हाउस नहीं हटाया गया तो वे भूख हड़ताल करेंगे। दिल्ली प्रशासन के अनुसार पार्लियामेंट स्ट्रीट में कोई श्रम न्यायालय नहीं है।

ब्रिटेन से आयातित उर्वरक का वितरण

5482. **श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन को सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वह लगभग दस राज्यों में वितरण हेतू तीन वर्षों तक प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये के मूल्य का उर्वरक देगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निश्चय कर लिया गया है कि यह उर्वरक किन-किन राज्यों और किन-किन गांवों में वितरित किया जायेगा ; और

(ग) ऐसे कितने गांव पंजाब में हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) : ब्रिटिश प्रधान मंत्री जब भारत के दौरे पर आये थे तो उन्होंने भारत को तीन वर्षों की अवधि के लिये यू० के० के सहायता अनुदान से प्रतिवर्ष 10 मिलियन पौंड के उर्वरक देने का आश्वासन दिया था। इस उर्वरक के वितरण के लिये ऐसे जिलों का चयन किया जाना है जहां उर्वरकों की खपत कम होती है लेकिन जहां अधिक खपत की सम्भावना है। इस योजना के विवरण अभी अन्तिम रूप से तैयार किये जाने है।

Import of Drugs

5483. **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the total value of the drugs imported in the country from abroad and the countries from which these are imported during the last three years;

(b) whether the foreign companies are not only not interested in manufacturing the basis drugs in India but they also sell the basic drugs manufactured by their parent companies at exhorbitant prices in India;

(c) whether the Government intend to keep the multi-national companies in fulfilling their objective of not allowing India to become self-dependent in the manufacture of drugs; and

(d) whether Government think it proper to implement the recommendations of Hathi Commission and if so, the action taken so far in this regard ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) The total value (C.I.F.) of bulk drugs, drug intermediates and chemicals etc., imported in the country from abroad during the last three years are as follows:—

Year	Total
1. 1974-75	About Rs. 47 crores.
2. 1975-76	About Rs. 46 crores.
3. 1976-77 . . .	About Rs. 54 crores.

The major sources of imports are the United Kingdom, Italy, France, U.S.S.R., Hungary, Japan, Federal Republic of Germany, Sweden, Rumania, Switzerland, Poland, Bulgaria, Finland, Spain, Czechoslovakia, Belgium, U.S.A., Denmark, Portugal etc.

Import of certain drugs is canalised through State Chemicals & Pharmaceuticals Corporation of India Ltd. Details regarding value of imports of canalised bulk drugs and the names of countries from which these imports were made by State Chemicals & Pharmaceuticals Corporation of India Ltd. (CPC) during the 3 years mentioned above have already been furnished in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 3716 answered on 13-12-1977.

(b) The country's annual production of bulk drugs during the last 3 years was:—

(Rs. crores)

	1974-75	1975-76	1976-77 (Estimated)
Foreign companies	34	52	63
Indian/Public Sector and Small Scale Sector	56	78	87
Total . .	90	130	150

It would be observed from the above Table that the value of bulk drug production during the last 3 years by the foreign companies as well as others has been steadily increasing.

The Import Trade Control Policy provides adequate checks to prevent malpractices relating to sale of imported goods by Actual Users.

Similarly, under the Drugs Price Control Order, 1970 every importer of bulk drugs is required to report the price of such bulk drug and Government is authorised to fix the selling price of such bulk drugs.

The State Chemicals & Pharmaceuticals Corpn. of India Ltd (CPC) arrange imports of canalised bulk drugs on the basis of international enquiries floated to reputed manufacturers in order to ensure competitive prices of the imported drugs and as far as possible, eliminate collusive price fixation by suppliers abroad.

In the above circumstances, the question of foreign companies selling the basic drugs manufactured by their parent companies at exhorbitant prices in India should not arise.

5—123 LSS/ND/78

(c) No, Sir.

(d) The Statement laid on the Table of the Lok Sabha on 29th March, 1978 contains the decisions of Government on the recommendations of the Hathi Committee.

पेट्रोल तथा अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि

5484. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि बढे हुए शुल्क के कारण जैसा कि 1978-79 के बजट में घोषित किया गया था, पट्रोल और अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि हुई है और यह शुल्क के अनुपात में बहुत अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो प्रति लिटर पेट्रोल के मूल्य में कितनी वृद्धि की आशा की गई थी और इस समय उसका जितना मूल्य है, उन दोनों में कितना अन्तर है ; और

(ग) इस वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : 1978-79 के लिए बजट प्रस्ताव के परिणाम स्वरुप पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि रु०105–50 प्रति किलो लि० अर्थात 11 पैसे प्रति लि० बिक्री कर में किसी भी वृद्धि को छोड़कर हुई है ।

कच्चे तेल के मूल्य में प्रस्ताव के परिणामस्वरूप कोई वृद्धि नहीं हुई ।

(ग) पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि विशिष्ट लेवी के कारण हुई है और इसकी और अधिक बढ़ने की ओर प्रवृत्ति नहीं है ।

बम्बई हाई से उत्पादित गैस के प्रयोग में विलम्ब

5485. **श्री यशवन्त बोरोले :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई हाई से उत्पादित गैस के प्रयोग म अनावश्यक विलम्ब हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गैस का वाणिज्यिक रूप से उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) : बम्बई हाई से इस समय प्राप्त होने वाली सम्बद्ध गैस जलाई जा रही है । बम्बई हाई तथा उत्तर बेसिन क्षेत्र से उरान तक गैस का परिवहन करने के लिए समुद्र के अन्दर एक ट्रंक पाइप लाइन तथा उरान से ट्राम्बे तक एक स्थानान्तरण लाइन बिछाई जा रही है जो सम्भवत: मई 1978 तक पूरी हो जायेगी ।

जहां तक सम्भव होगा बाम्बे हाई से मिलने वाली सम्बद्ध गैस का उर्वरक फीड स्टाक रूप में प्रयोग किया जाएगा । उर्वरक यूनिटों द्वारा गैस का उपयोग किए जाने पर तथा प्रारम्भिक अवधि

में अतिरिक्त गैस का उपयोग अन्तरिम तौर पर विद्युत उत्पादन के लिए किया जाएगा। गैस का विभाजन करके तरल पैट्रोलियम गैस को अलग करने का भी प्रस्ताव है और शेष भाग का उपयोग उर्वरक के उत्पादन लिए किया जाएगा।

बम्बई हाई उत्तर बेसिन तथा दक्षिण बसिन से प्राप्त होने वाले समुद्री उपयोग का अध्ययन करने के लिए दो कार्यकारी दल बनाये गए हैं–एक गुजरात के लिए और दूसरा महाराष्ट्र के लिए। हाल ही में इन कार्यकारी दलों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और इनका अन्तिम निणय शीघ्र लिये जाने की सम्भावना है। भारत में पैट्रो–रसायनउद्योगों में अतिरिक्त क्षमता की स्थापना से सम्बन्धित विषयों के अध्ययन करने के लिए एक तीसरी समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने पैट्रो रसायन उत्पादन के लिए समुद्री गैस के उपयोग को सम्भावना पर भी विचार किया था। इस समिति की रिपोर्ट भी जांच के अधीन है।

Proposal to Introduce a Train between Katni and Chopan

†5486. **Shri Sukhendra Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to introduce an express train from Katni to Chopan on the Central Railway;

(b) whether facilities of market, Post Office and School have been provided at the stations between Katni and Chopan; and

(c) if not, the time by which these facilities are to be provided there?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) No.

(b) Facilities of market, post office are available at eight stations of the fifteen stations on Katni-Singrauli section. Provision of educational facilities is primarily the responsibility of State Governments. Railways have provided some schools as a welfare measure at places where the facilities provided by the State Governments are grossly inadequate or totally non-existant. Primary schools under railways management have been provided at New Katni, Sethna, Mahrol and Chopan Stations.

(c) Provision of these facilities at the remaining stations will be taken up by the appropriate authorities including State Governments subject to the availability of resources.

पुर्तगाली विधि से संबंधित लम्बित मामले

5487. **श्री अमृत कासर :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा, दमण और दीव के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में पुर्तुगाली विधि से सम्बन्धित कितने मामले लम्बित है ;

(ख) ये मामले उक्त न्यायालय में कब से लम्बित हैं ; और

(ग) क्या गोवा, दमण और दीव के वर्तमान न्यायिक आयुक्त को पुर्तुगाली विधि की जानकारी न होने के कारण ये मामले लम्बित हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) गोवा, दमण और दीव सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, गोवा दमण और दीव के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में पुर्तुगाली विधियों से सम्बन्धित एक सौ बावन मामले लम्बित है ।

(ख) पुर्तुगाली विधियों से सम्बन्धित लम्बित मामलों की वर्ष-वार स्थिति दर्शित करने वाला एक विवरण इस के साथ संलग्न है ।

(ग) प्राप्त जानकारी के अनुसार, गोवा, दमण और दीव के वर्तमान न्यायिक आयुक्त ने गोवा, दमण और दीव के न्यायिक आयुक्त के रूप में अपनी नियुक्ति से अब तक पुर्तुगाली विधियों से सम्बन्धित 361 मामलों का विनिश्चय किया है ।

विवरण

पुर्तुगाली विधियों से सम्बन्धित लम्बित मामलों का वर्ष वार ब्यौरा

10 वर्ष से अधिक समय से लम्बित	2 मामले
9 से 10 वर्ष तक के समय से लम्बित	3 मामले
8 से 9 वर्ष तक के समय से लम्बित	4 मामले
7 से 8 वर्ष तक के समय से लम्बित	8 मामले
6 से 7 वर्ष तक के समय से लम्बित	8 मामले
5 से 6 वर्ष तक के समय से लम्बित	20 मामले
4 से 5 वर्ष तक के समय से लम्बित	12 मामले
3 से 4 वर्ष तक के समय से लम्बित	9 मामले
2 से 3 वर्ष तक के समय से लम्बित	29 मामले
1 से 2 वर्ष तक के समय से लम्बित	28 मामले
1 वर्ष से कम समय से लम्बित	29 मामले
कुल	152 मामले

तेल की खपत के मामले में विश्व में भारत की स्थिति

5488. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) तेल की खपत की प्रतिशतता की तुलना में जनसंख्या की प्रतिशतता, (दो) खनिज तेल की प्रति व्यक्ति खपत के बारे में विश्व के सन्दर्भ में भारत की क्या स्थिति है ;

(ख) वर्ष 1975-76, 1976-77, 1977-78 के दौरान तेल का आयात बिल क्या है (अनुमानित) तथा इसी अवधि के दौरान तेल का राष्ट्रीय उत्पादन कितना हुआ है ; और

(ग) भाग (क) में प्रति व्यक्ति खपत के मामले में स्थिति को सुधारने और (ख) आयात तथा राष्ट्रीय उत्पादन के सम्बन्ध में अन्तर को पाटने के लिए की गई कार्यवाही का विस्तार में ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : ब्यौरा सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) तेल के बढ़ते हुए मूल्यों और जरूरतों के पर्याप्त भाग के लिए आयात पर हमारी निर्भरता को ध्यान में रखते हुए तेल की प्रति व्यक्ति खपत में तेजी के साथ वृद्धि को ठीक नहीं माना गया है। तटीय और अपतटीय क्षेत्रों में अतिरिक्त तेल और गैस की खोज के लिए और अधिक सघन प्रयास किये जा रहे हैं ।

विवरण

(क)

मद	यूनिट	1975	1976
1. जनसंख्या —			
(क) भारत .	(मिलियन)	594	606
(ख) विश्व में .	(मिलियन)	3967	4042
प्रतिशत क से ख तक		15	15
2. तेल खपत—			
(क) भारत	मि०मी०टन	23.5	24.5
(ख) विश्व में .	मि०मी० टन	2700.6	2878.8
क से ख तक प्रतिशत		0.9	0.9
3. प्रति व्यक्ति खपत—			
(क) भारत	कि० ग्रा०	40	41
(ख) विश्व में .	कि० ग्रा०	681	712
क से ख तक प्रतिशत . .		5.9	5.8

(ख) उत्पादन/कच्चे तेल का आयात

मात्र : मि० मी० टन*
मूल्य : रुपये करोड़

अवधि	उत्पादन मात्रा	मात्रा	मूल्य
1975–76 . . .	8.4	13.9	1052.44
1976–77 . . .	8.9	14.1	1170.58
1977-78 (अनुमानित) . .	10.8	14.5	1288.14
		*अस्थाई	
		कच्चे तेल उत्पाद (पी ओ एल) का आयात	
1975-76		2.15	196.97
1976-77		2.72	263.97
1977-78 (अनुमानित)		3.03	356.72

Corruption Charges against Officers

5489. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names and the designations of the officers in East-North, North & Central Railway who have attained 55 years of age and against whom corruption charges are pending; and

(b) whether Government propose to retire these officers after conducting an enquiry into the charges levelled against them and if so, the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) There are 35 officers above the age of 55 years (on 31-12-77) against whom Vigilance investigation/Disciplinary & Appeal enquiry was in progress on Central, Northern & Northeastern Railways. The specific names and designations are not being indicated as it may prejudice the investigations.

(b) Suitable action against the officers will be taken on completion of investigation/enquiry; the question of retiring the officers would be considered on the merit of each case in accordance with the extant rules and orders of the Government.

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के पास विचाराधीन मामले

5490. **श्री वयालार रवि :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के पास कुल कितने मामले विचाराधीन है ;

(ख) ये मामले कब से विचाराधीन पड़े है ; और

(ग) आयोग के समक्ष पड़े मामलों पर निर्णय लेने में इतना अधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के समक्ष 28- 2- 78 तक कुल संख्या में 113 मामले अनिर्णित थे ।

(ख) और (ग) : एक विवरण पत्र संलग्न है, जिससे ये दिखलाई देगा कि एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग द्वारा मामलों के निपटान में कोई अनियमी विलम्ब नहीं है । काफी संख्या में मामलों का निपटान उच्च न्यायालयों द्वारा रोका देश के परिणाम स्वरूप रुका पड़ा है । तथापि प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाओं की जांचों में समय आवश्यक रूप से लिया जाता है क्योंकि इन मामलों के निपटान करते समय आयोग को एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा विनियम, 1974 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है ।

विवरण

28 फरवरी, 1978 को एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग में अनिर्णित मामलों का विवरण-पत्र

क्रम सं०	अनिर्णित मामलों की संख्या	वर्ष जिसमें गठित किया गया	28- 2–78 की स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1	1972	4अनुबन्धों के सम्बन्ध में आदेश पारित कर दिये गए और पांचवे मामले में कार्यवाही चालू है ।
2	5	1973	(क) विभिन्न-उच्च न्यायालयों द्वारा कार्यवाही रोक दी गई—2 मामले (ख) कार्यवाही अन्तिम चरण पर है—3 मामले
3	12	1974	(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा कार्यवाही रोक दी गई—5 मामले (ख) कार्यवाही अन्तिम चरण पर है- 5 मामले (ग) कार्यवाही बहस के स्तर पर है—2 मामले
4	27	1975	(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा कार्यवाही रोक दी गई- - 3 मामले (ख) मामला उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया में है —3 मामले (ग) कम्पनी परिसमापन में चली गई—1 मामला (घ) कार्यवाही अन्तिम चरण पर है — 18 मामले (ङ) कार्यवाही बहस के स्तर पर है — 2 मामले
5	34	1976	(क) कार्यवाही अन्तिम चरण पर है — 4 मामले (ख) कार्यवाही बहस के स्तर पर है— 30 मामले
6	31	1977	(क) कार्यवाही बहस के स्तर पर है — 19 मामले (ख) कार्यवाही प्रारम्भिक स्तर पर है — 12 मामले
7	3	1978	कार्यवाही प्रारम्भिक स्तर पर है — 3 मामले

कयूल में द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिए सुविधाएं

5491. **श्री ए० के० राय :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेल्वे के कयूल जंक्शन से कितनी रेल गाड़ियां गुजरती हैं; इस स्टेशन पर औसतन कितने यात्री चढते-उतरते हैं और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि गत 30 वर्षों से रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिश के अनुसार स्टेशन को नया रूप नहीं दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) किउल जंक्शन पर इस समय 26 जोड़ी यात्री ले जाने वालीं गाड़ियां आती जाती हैं। किऊल जंक्शन पर प्रतिदिन औसतन 3766 यात्री सम्हाले जाते हैं। दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिए किऊल में निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था है :—

1. 4681 वर्ग फुट क्षेत्रफल का एक प्रतीक्षालय

2. महिलाओं के लिए 254 वर्ग फुट क्षेत्रफल का पहले और दूसरे दर्जे का एक प्रतीक्षा-कक्ष।

3. पुरुषों के लिए 283 वर्ग फुट क्षेत्रफल का दूसरे दर्जे का एक प्रतीक्षा-कक्ष।

उपर्युक्त सुविधाओं के अलावा, किऊल में खान/पान/खोमचे, पेय, जल, स्नानागार, प्रसाधन, रोशनी की व्यवस्था, ऊपरी बदल पुल, प्रतीक्षालय और प्लेटफार्मों पर पर्याप्त छत की व्यवस्था इत्यादि अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था है।

(ख) किऊल रेलवे स्टेशन के ढांचे में परिवर्तन करने का फिलहाल, कोई विचार नहीं है, लेकिन प्लेटफार्मों का विस्तार, प्लेटफार्मों पर छत आदि विभिन्न सुविधाओं की समय-समय पर व्यवस्था की गयी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय उर्वरक निगम के सिंदरी यूनिट में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या

5492. **श्री ए० के० राय :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम के सिंदरी यूनिट में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या क्या है और वर्ष 1957, 1967 और 1977 में प्रति मास उनके वेतन पर औसतन कितनी राशि खर्च की गई ;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकारियों की संख्या और उन पर होने वाले व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और कर्मचारियों की संख्या में कमी हुई है ;

(ग) क्या सिंदरी यूनिट में हानि के बढने का कारण ऊपरी खर्च में वृद्धि है; और

(घ) क्या सरकार का विचार सिंदरी यूनिट की कर्मचारी व्यवस्था का पुनर्गठन करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख)। एफ० सी० आई० के सिन्दरी एकक में वर्ष 1957, 1967 और 1977 के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या और उनके वेतन पर प्रति माह खर्च की गई औसत राशि नीचे दर्शायी गई है :

	1957		1967		1977	
	कर्मचारियों की संख्या	खर्च की गई राशि	कर्मचारियों की संख्या	खर्च की गई राशि	कर्मचारियों की संख्या	खर्च की गई राशि
		रुपये		रुपये		रुपये
अधिकारी .	88	96864	415	431410	769	1228302
कर्मचारी .	7932	1203958	6932	1788920	7256	4146504

(ग) उपरी खर्चों में वृद्धि के ही कारण हानि नहीं हुई थी बल्कि कच्चे माल की लागत में वृद्धि, भाड़ा, उत्पाद-शुल्क, कम उत्पादन आदि जैसे पहलुओं के कारण भी हानि हुई थी।

(घ) कर्मचारियों की व्यवस्था एफ० सी० आई० के प्रबन्ध मण्डल द्वारा समय-समय पर कारखाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

सिन्दरी आधुनिकीकरण परियोजना के नैमित्तिक श्रमिकों को बढ़े हुये मंहगाई भत्ते का भुगतान

5493. **श्री ए० के० राय** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिन्दरी आधुनिकीरण परियोजना के प्रबन्धकों ने निर्माण कार्य में लगे हुए नैमित्तिक श्रमिकों को अभी तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Thefts and Dacoities on Railways

†5494. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the incidents of thefts, dacoities and murders in the trains and on the railway stations in 1975-76, 1976-77 and 1977-78;

(b) the measures being taken by Government to check the increasing crimes in the trains;

(c) whether dacoities have also taken place in many trains though the members of Railway Protection Force were also accompanying these trains; and

(d) whether Government propose to instal a push button in every bogey by operating which the members of Railway Protection Force and people travelling in the train might come to know that crime is being committed in the train ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (d): Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Political Framework promised in Election Manifesto of Janata Party

†5495. **Dr. Ramji Singh:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are still committed to the political framework promised in the election manifesto of the ruling party;

(b) whether any legislation based on the suggestions made by Tarkunde Committee and other Committees about reforms in Election system will be brought forward during the current session of Parliament; and

(c) whether Government will repeal the amendment incorporated in the People's Representation Act which changed the definition of corruption ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nar Singh): (a) The Government has, while framing its policies, given attention to the political charter contained in the Janata Party Election Manifesto, and has fulfilled, or is in the process of fulfilling most of the points set out in the charter.

(b) The recommendations contained in the report of the Tarkunde Committee on Electoral Reforms as well as the recommendations made by the Election Commission and other committees and bodies relating to electoral reforms are under examination. As the proposals require careful study and consideration, some more time will be taken by Government to arrive at decision on the proposals. The proposals may also have to be discussed with political parties. In the circumstances, it may not be possible for Government to introduce comprehensive legislation in the matter during the current session of Parliament.

(c) Government have already introduced a Bill entitled the "Election Laws (Amendment) Bill, 1977", in the Lok Sabha on 22-12-77 for repealing the amendments in the Representation of the People Act, 1951, made by the Representation of the People (Amendment) Act, 1974 and the Election Laws (Amendment) Act, 1975, so as to ensure free and fair elections.

तिरुनेलवेली केप कोमेरिन परियोजना

5496. **श्री के० ए० राजू:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरूनेलवेली नागेरकोइल-केप कोमेरिन ब्राड गेज निर्माण परियोजना के कार्य को पूरा करने में हुए असाधारण विलम्ब के क्या कारण है; और

(ख) क्या तिरूनेलवेली-केप कोमेरिन निर्माण परियोजना को पूरा करने के लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) इस परियोजना के पुरा होने में अवरोधो तथ्य धन की उपलब्धता में अत्याधिक कमी का होना रहा है ।

(ख) समूची परियोजना को 1980 तक पूरा करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि अगले दो वर्षों में पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाये ।

सेलम में रेलवे प्रभाग

5497. **श्री के० ए० राजू** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलव के वर्तमान ओलावाकोट डिवीजन का विभाजन करके सेलम में मुख्यालय की स्थापना करके एक अतिरिक्त रेलवे डिवीजन बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तेल मूल्य समिति का प्रतिवेदन

5498. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल** : क्या **पेटोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार तेल मूल्य समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : जी, हां ।

Solaya-Jamnagar Trains

†5499. **Shri Dharamasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether 437-Up and 438-Down Solaya-Jamnagar trains in Saurashtra, Gujarat have been introduced on temporary basis and if so, since when;

(b) when the said train services will run on regular basis;

(c) whether on 1st February 1978 in Modpur village of Jamnagar district, the railway authorities were asked to make arrangements for running the said train services on regular basis even on sundays, for providing waiting rooms, cold drinking water during summer and reopening the railway crossing near Modpur village;

(d) if so, the details of the demands made from the railway authorities; and

(e) the action taken or proposed to be taken in respect of each of these demands and when the action will be taken ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) & (b) : 437-Up/438-Down Solaya-Khambhaliya Passenger trains have been extended to and from Solaya-Jamnagar from 1-2-1978 as an experimental

measure for 6 months. The running of these trains to and from Jamnagar as a regular measure depends upon its patronisation during the experimental period.

(c) to (e): The demand for running these trains on Sudays has been met and they are running from 12-2-1978. There is no justification for providing an upper class waiting room due to meagre traffic. One temporary waterman has been sanctioned from 1-4-1978.

Proposals for providing covered sheds is under consideration and will be provided in consultation with the Railway Users Amenities Committee and subject to availability of funds. No railway level crossing exists near Modpur village. Therefore the question of its re-opening does not arise.

पठानकोट–अमृतसर सेक्शन में गाड़ियों का अनियमित रूप से चलना

5500. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पठानकोट-अमृतसर रेल सैक्शन ट्रेन ट्रेवलर्स, एसोसिएशन, गुरदासपुर ने पठानकोट-अमृतसर सैक्शन में गाड़ियों के अनियमित रूप से चलने के बारे में 1977 में रेलवे प्राधिकारियों को एक ज्ञापन भेजा था ;

(ख) क्या रेलवे प्राधिकारियों ने इस सम्बन्ध में एसोसिएशन की शिकायतों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे है और उनके क्या परिणाम निकले;

(ङ) इस सेक्शन में यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है; और

(च) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण है, और शिकायत की जांच कब की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) ज्ञापन पठानकोट-अमृतसर खण्ड पर सवारी गाड़ियों के देर से चलने के सम्बन्ध में था ।

(घ) और (ङ) : इन गाड़ियों के चालन पर सूक्ष्म दृष्टि रखी जा रही है । और सभी परिहार्य रूकावटों के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है । अमृतसर-पठानकोट खण्ड पर सवारी गाड़ियों के समय पालन में कुछ सुधार हुआ है और इसमें और सुधार करने का प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

Pending Demands of Railway Ministerial Staff

†5501. **Shri K. A. Rajan:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the All India Railways Ministerial Staff Association staged a 'dharna' on 24th February, 1978 in front of his residence over certain pending demands;

(b) whether the office bearers of the above association submitted to him a charter of demands and whether some of those demands were conceded by him on the spot and an assurance of early implementation thereof was given; and

(c) if so the demands contained in the memorandum of the above Association and the demands among them conceded by him on the above date ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes, for a few hours.

(b) and (c) An Annexure detailing the charter of demands is attached. The demands were discussed between the representatives of staff and the Ministry of Railways. Out of 11 demands contained in the charter it was decided to have a further look into the issues connected with 5 demands (Nos. 1, 5, 6, 7 & 9 of the Annexure) for such action as is feasible. The position in respect of the other demands was explained to the representatives.

ANNEXURE

Charter of Demands

1. Upgradation of posts in the Ministerial Cadre.
2. Withdrawal of ban on recruitment of Ministerial staff.
3. Fixation of yard-stick for Ministerial staff working in different offices/sections.
4. Removal of disparity in working hours and grant of Gazetted Holidays between Ministerial staff working in administrative offices and shops/sheds/stations and in subordinate offices.
5. Stoppage of matching surrenders of posts.
6. Amalgamation of traffic accounts, general accounts and workshop accounts in Accounts Department and introduction of uniform policy in the matter of transfers.
7. Restoration of incentive increment to the accounts staff.
8. Promotion strictly on the basis of seniority and withdrawal of efficiency bar test.
9. Filling up of a cadre post in confidential Cell, Eastern Railway, Dhanbad.
10. Withdrawal of court cases against trade union workers of Jhansi, Central Railway and Dhanbad, Eastern Railway.
11. Six-Point demands of NCCRS.

Shortage of Clerks at Danapur

†5502. **Shri K. A. Rajan:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that due to the shortage of clerks work in the Provident Fund Branch of the Accounts Department of Eastern Railway, particularly at Danapur has fallen in arrears;

(b) whether it is also a fact that the former railway Minister in reply to Lok Sabha Question No. 5357 on 20th July, 1971 and 7837 on 23rd April, 1974, respectively had admitted a shortage of 11 clerks at Danapur and had stated that each clerk was required to deal with 700 to 1300 PF accounts as per the yardstick; and

(c) if so, the number of provident Fund accounts entrusted to each ledger poster at Danapur at present and the number of applications for loan received by them every month and the nature of work being taken from them on payment of honorarium and whether this work can be disposed of within the prescribed period and if not, whether Government propose to increase the number of employees in proportion to the work load and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes.

(b) The then Deputy Minister for Railways had mentioned that the Divisional Accounts Officer, Danapur had advised the Headquarters office, Calcutta of a shortage of 11 clerks. In reply to the other question the then Minister of Railways had stated that Railways have fixed their own yardsticks which vary from 700-1300 P.F. accounts per accounts clerk.

(c) 1600-1800 PF accounts are entrusted to each clerk for posting and monthly reconciliation. The number of loan applications received and disposed of by each clerk is approximately 60 per month. The following items of work are done on payment of honorarium:

(i) Arrears of monthly reconciliation.

(ii) Annual reconciliation of PF accounts from 1972-73 to 76-77.

(iii) Passing of P.F. loan applications.

(iv) All seasonal items of work like opening of new ledger card, annual interest calculation, issue of PF slips, etc.

The target date for clearance of arrears is 31-12-1978 but efforts are being made to clear the same by 31-10-78. The Railway administration is also considering the question of creation of additional posts. In the meanwhile, recently 10 posts of clerks were sanctioned for the Accounts Department of Eastern Railway.

महाराष्ट्र में खाना पकाने वाली गैस के कनेक्शन के लिए विचाराधीन आवेदन

5503. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य के बम्बई, नागपुर, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद, और थाना नामक नगरों में खाना पकाने वाली गैस के कनेक्शन के लिये कितने आवेदन 28-2-78 को विचारार्थ पड़े थे; और

(ख) मांग पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमि०, काल्टैक्स आयल रिफाइनिंग (इण्डिया) लिमि० और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमि० इन क्षेत्रों में तरल पेट्रोलियम गैस (खाना पकाने की गैस)

का विपणन कर रही है। गैस कनेक्शनों के लिये लंबित आवेदन पत्रों की लगभग संख्या कम्पनियों सहित नीचे दी गई है।

	बम्बई/ थाना	नागपुर	पुणे	कोल्हापुर	औरंगाबाद
एच पी सी एल (दिनांक 28-2-1978 की यथा स्थिति)	30,000	2,000	12,000	800	640
कोरिल (दिनांक 28-2-1978 की यथा स्थिति)	—	5,500	—	—	—
बी पी सी एल (दिनांक 1-1-78 की यथा स्थिति)	1,48,081	—	8,975	4,000	2,962

(ख) बम्बई में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन शोधनशाला में कैटैलिटिक डीबोटलनकिंग, परियोजना के आरम्भ होने से इस शोधनशाला में तरल पेट्रोलियम गैस के उत्पादन में वृद्धि होगी और एच पी सी द्वारा अतिरिक्त उपलब्धता में से गैस कनेक्शन दिये जाने का प्रस्ताव है। काल्टैक्स आयल रिफायनिंग (इण्डिया) लिमि० भी शीघ्र ही नये कनेक्शन देना प्रारम्भ कर रही है। उत्पाद की उपलब्धता में आगामी दो तीन वर्षों में बड़े पैमाने पर वृद्धि होने की संभावना है जब कि तरल पेट्रोलियम गैस बम्बई हाई सम्बन्ध गैस से अलग करने की प्रायोजना से नई शोधनशालाओं के आरम्भ होने पर और वर्तमान शोधनशाला में तरल पेट्रोलियम गैस के उत्पादन की अतिरिक्त सुविधाओं की स्थापना द्वारा प्राप्त होगी। उस समय और अधिक उपभोक्ताओं के नाम दर्ज करना संभव हो सकेगा।

Conversion of Barauni to Gauhati Line

†5504. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government consider the north eastern region to be important from defence point of view;

(b) if so, whether Government propose to convert the railway line from Bangaon and Barauni to Gauhati into Broad gauge line; and

(c) if so, the time by which this work would be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (c) : Extension of B. G. railway line from New Bongaigaon to Gauhati which will provide uninterupted BG link between Gauhati and the rest of the country is already in progress. Conversion of Barauni-Katihar MG line into B. G. line has also been approved and included in the Budget for 1978-79. No target date for completion of these projects has yet been fixed.

भारतीय उर्वरक निगम का पुनर्गठन

5505. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के भारतीय उर्वरक निगम के पुनर्गठन सम्बन्धी निर्णय के क्रियान्वित के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 10 मार्च, 1978 के हिन्दुस्तान टाइम्स में सरकार के सामने कुछ जटिल समस्याओं शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस ब्यौरे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : सरकार ने फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया तथा नेशनल फर्टिलाइजर लि० को 1 अप्रैल 1978 से निम्नलिखित पांच कम्पनियों में पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है।

1. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया	सिन्द्री (सिन्द्री आधुनिकिकरण तथा सिन्दरी सुव्यवस्थोकरण को शामिल करके) गोरखपुर तलघर, रामागुण्डम तथा कोरबा
2. नेशनल फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि०.	मंगल, भटिंडा व पामीपत
3. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	नामरूप, हल्दिया, बरौनी तथा दुर्गापुर
4. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०.	ट्राम्बे के सभी एकक तथा दक्षिण बम्बई में गैस पर आधारित संयंत्र
5. फर्टिलाइजर (योजना तथा विकास लि०)	एफ० सी० आई० को पी एण्ड डी प्रभाग।

(ग) जी हां ।

(घ) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया तथा नेशनल फर्टिलाइजर लि० के पुनर्गठन सम्बन्धी निर्णय को कार्यान्वित करने में कोई बिकट समस्याएं नहीं हैं।

भारत- ब्रिटिश सहयोग से उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

5506. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई गहरे समुद्र से प्राप्त गैस पर आधारित दो बड़े उर्वरक संयंत्रों को भारत-ब्रिटिश सहयोग से स्थापित करने के बारे में हो रही बातचीत किस स्थिति में है ;

(ख) ये दो बड़े उर्वरक संयंत्र कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे ; और

(ग) इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने में कितना समय लगेगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) बम्बई हाई से संगठित गैस पर स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं की विश्व बैंक से प्राप्त ऋण द्वारा वित्तीय सहायता का प्रस्ताव है। ऋ. के ऋण का दो परियोजनाओं की उपयोगिताओं और स्थल से दूर विदेशी मुद्रा लागत को पूरा करने के लिये प्रयोग किया जाएगा।

(ख) परियोजना के लिये तैयार की गई संभाव्यता रिपोर्ट में परियोजना के लिए संभव स्थान के रूप में मंडवा पोर्ट के निकट स्थल का सुझाव है। इतना होते हुए भी अधिक सुरक्षा के रूप में उच्चाधिकार कार्यकारी दल गठित किया गया है जो प्रस्तावित उर्वरक परियोजना के आस पास के प्रभावों की जांच करेगा ताकि इन संयंत्रों के लिये सही स्थान पर निर्णय लिया जा सके।

(ग) संभाव्यता रिपोर्ट में सारी स्वीकृतियों को प्राप्त करने के बाद 45 महीनों के अन्तर्गत वाणिज्यक उत्पादन आरंभ करने की परिकल्पना की गई है।

कोयला क्षेत्र, अधीक्षक, पूर्व रेलवे के अधीन काम कर रहे कर्मचारी

5507. **श्री रोबिन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला क्षेत्र अधीक्षक पूर्व रेल्वे, धनबाद के अधीन काम कर रहे वाणिज्यिक कर्मचारियों को सामान्य वाणिज्यिक कर्मचारियों के समकक्ष माना जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि तीसरे वेतन आयोग को सिफारिश के अनुसार उन्हें सामान्य वाणिज्य कर्मचारियों के समकक्ष माना जाना चाहिये था परन्तु वह सिफारिश रेलवे अधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो कितने प्रतिशत कोयला वाणिज्यीक के कर्मचारियों का ग्रेड बढ़ाया गया है ;

(घ) क्या उनके मामले में भी 45 प्रतिशत का ग्रेड बढ़ाया जाता है जैसा सामान्य वाणिज्यिक कर्मचारियों के मामले में है : और यदि नहीं तो क्यों; और

(ङ) क्या प्रशासन इस असंगति को भूतलक्षी प्रभाव से दूर करने पर विचार कर रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Farmers of Dhoraji brought to Delhi for Agri-EXPO-77

†5508. **Shri Dharmaisinhbhai Patel** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether 750 farmers of Dhoraji sub-division in Rajkot district of Gujarat State brought by a special train for seeing Agri-Expo-77 in December 77 faced many difficulties in the journey and sent letters containing complaints to the Government in December 1977 and the points made therein;

(b) the action taken so far or proposed to be taken by Government thereon as also the names of railway officers against whom action has been taken indicating the nature of action; and

(c) if action has not been taken, when it is likely to be taken ?

6—123 LSS/ND/78

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes. A complaint has been received regarding provision of lesser accommodation, late running and absence of water and lighting.

(b) and (c) : During Agri-EXPO-77, a number of special trains had to be arranged. Within the available resources, Railways had tried to provide all feasible facilities to organizers of special trains. Though accommodation could be provided to only 644 passengers at Dhoraji, it was increased to 780 at Rajkot and Jetalsar. Since the special train could not be dealt with at Delhi Main or Cantonment, where facilities for watering and charging were not available, the train was organised with the clear understanding that the passengers would vacate on arrival and occupy only at the time of departure. In view of this no further action is called for.

अलकोहल तथा शीरे के मूल्य में समन्वय

5509. **श्री बाला साहेब विखे** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलकोहल का मूल्य केन्द्रीय सरकार निर्धारित करती है जबकि उसके शीरे जैसे कच्चे माल का मूल्य राज्य सरकारि द्वारा निर्धारित किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार कच्चे माल और तैयार माल के मूल्य में किस प्रकार समेकन करना चाहती है ताकि अलकोहल उद्योग पर दुष्प्रभाव न पड़े ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : इथाइल अलकोहल (औद्योगिक अलकोहल) के मूल्य, इथाइल अल्कोहल (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1971 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं । अल्कोहल अर्थात् शीरे के लिये कच्चे माल के मूल्य भी केन्द्रीय सरकार द्वारा शीरा नियंत्रण आदेश 1961 के अन्तर्गत निर्धारित किये गये हैं और म पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र राज्यों को छोड़कर, जिनके अपने शीरा नियन्त्रण अधिनियम हैं, सभी राज्यों पर लागू है । तथापि उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र राज्यों ने अब अपने शीरा नियन्त्रण अधिनियमों का संशोधन किया है जिससें शीरा के मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों के बराबर हो गए है । हरियाणा राज्य सरकार ने भी ऐसा करना स्वीकार कर लिया है । पंजाब और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अपने शीरा नियन्त्रण अधिनियम का संशोधन करें ताकि शीरे के मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों के समान हो जाए । इथाइल अल्कोहल (मूल्य) नियन्त्रण आदेश 1971 के अन्तर्गत अल्कोहल का मूल्य 60 रुपये प्रति टन की दर से चीनी कारखाने के शीरा मूल्य पर आधारित है और अल्कोहल के मूल्य को किसी विशेष राज्य में कम स्तर पर नियन्त्रित शीरे के मूल्य के बराबर कम करने के लिए एक फार्मूला भी तयार किया गया है ।

Abolition of Monopoly

5510. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are still committed to the promise they had made in their election manifesto regarding abolition of monopoly;

(b) if so, efforts made by Government in this direction;

(c) what action has so far been taken to strengthen the Monopoly Commission; and

(d) the names of big capitalists still taking special advantages in and outside the country and Government's scheme to curb the same?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) & (b) : Yes, Sir. To guard against the growth of monopoly and concentration of economic power, the Government has already appointed an Expert Committee under the Chairmanship of Shri Justice Rajindar Sachar to consider and report on what changes are necessary in the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 and the Companies Act, 1956 with particular reference to the modifications required to be made in the form and structure of the said Acts so as to simplify them and to make them more effective. The report of the Committee is expected to be received by the Government by 30th June, 1978. Thereafter, the Government will examine the recommendations of the said Committee and take such further action as may be necessary.

(c) The Government has recently appointed Shri Justice S. Rangarajan, Judge of Delhi High Court as Chairman of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission. It is also proposed to fill up the vacant post of Member in the Commission as early as possible.

(d) The Government is not aware of any big capitalists taking special advantages in or outside the country. The projects which have been sanctioned for the Large Industrial Houses to be set up inside or outside the country have been subjected to a thorough scrutiny and they have been sanctioned in accordance with the provisions of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 and other laws and rules governing such projects.

मैसर्स कोरस इंडिया के कार्यकारी अधिकारियों के परिलब्धियों पर हुआ खर्च

5511. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स कोरस इंडिया अपने कार्यकारी अधिकारियों (एबजोक्यूटिव्ज) को 'पर्क' पर अत्यधिक राशि का खर्च दिखा रहा है;

(ख) इस शीर्षक के अन्तर्गत अपने हिसाब-किताब में उन्होंने गत तीन वर्षों में कितनी राशि खर्च हुई दिखाई है;

(ग) गत तीन वर्षों में वर्षवार 'वतन' तथा 'पर्क' पर कितनी-कितनी राशि खर्च हुई दिखाई गई है;

(घ) कार्यकारी अधिकारियों के वेतन और पर्क के व्यय का अनुपात क्या है; और

(ङ) इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (घ): 1974, 1975 तथा 1976 के वर्षों के मध्य, कार्यकारी अधिकारियों को दिये गये वेतन तथा परिलब्धियों की राशियां निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	वेतन*	परिलब्धियां	वेतन पर्क का प्रतिशत
	लाख रु०	लाख रु०	
1974	14.38	3.26	22.70
1975	15.67	2.95	18.25
1976	16.42	3.05	19.59

*(वेतन में मंहगाई भत्ता, कमीशन, लाभांश तथा अनुग्रहात अदायगियां शामिल हैं) कम्पनी के 1977 के वर्ष के लेखाओं की लेखा-परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है।

(ङ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत किसी कम्पनी के कार्यकारी अधिकारियों को दिये जाने वाले परिश्रमिक के लिये केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की अपेक्षा जब तक नहीं होती, तब तक कि इस प्रकार के कार्यकारी अधिकारी, इस अधिनियम की धारा 204क अथवा 314 (1ख) की सीमान्तर्गत नहीं आते। तथापि, सरकार ने वेतन, आय तथा मूल्यों पर, श्री भूतलिंगम् की अध्यक्षता में एक अध्ययन समूह नियुक्त किया है। कार्यकारी अधिकारियों के पारिश्रमिक तथा परिलब्धियों के विनियमन की बाबत सामान्य प्रश्न का पुनर्विलोकन, उक्त अध्ययन समूह की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर किया जायेगा।

कम क्षमता की औषधियों एवं विटामिनों का आयात

5512. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी निर्यातकर्ताओं और स्टाकिस्टों से गैर सरकारी पार्टियों द्वारा किये गये निर्यात के आधार पर आयात किये जाने के परिणामस्वरूप देश के बाजार में कम क्षमता वाले वल्क ड्रगों एवं विटामिनों की भरमार हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस गलत प्रतीक्रिया को रोकने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मतदान अनिवार्य करने का प्रस्ताव

5513. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी निर्वाचनों में मतदान अनिवार्य करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्यों; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) मतदाता निर्वाचनों में अपने मताधिकार के प्रति बहुत सजग हैं । ऐसे मतदाताओं की प्रतिशतता बढ़ती रही है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं । इस लिये यह आवश्यक नहीं समझा गया है कि निर्वाचनों में मतदान करना अनिवार्य किया जाए ।

पेंशन का निबटारा

5514. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवा निवृत हुए बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारियों की पेंशन की बकाया राशि का उचित और न्यायोचित निबटारा उनके सेवा निवृत होने के काफी लम्बे समय बाद यहां तक कि पांच वर्ष तक भी नहीं हो पाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी वास्तविक स्थिति क्या है ; और

(ग) प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि उक्त प्रतीक्षा अवधि कम की जा सके ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं, पूर्व रेलवे पर पेंशन का भुगतान न किये जाने का केवल एक मामला पांच वर्ष से अधिक पुराना है,

(ख) और (ग) : इस सम्बन्ध में विस्तृत निदेश पहले से ही वर्तमान हैं जिसमें सेवा निवृत होने वाले रेल कर्मचारियों के अन्तिम बकाया का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए रेल प्रशासनों को आदेश दिये गये हैं, आमतौर पर, सेवा निवृति की तारीख को ही अन्तिम बकाया के भुगतान की व्यवस्था के समस्त प्रयास किये जाते हैं, फिर भी उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित मामले में, यह इस कारण नहीं किया जा सका क्योंकि यह कर्मचारी 1971–72 में किये गये स्टाक सत्यापन के दौरान प्रकटित 5 लाख रुपये से अधिक रकम की असाधारण कमी के मामले में अन्तर्गस्त पाया गया था, उसने रेलवे क्वार्टर का भी सेवा निवृत्ति पर उसे रखने का अनुमेय अवधि से आगे अनाधिकृत रूप से अधिग्रहण किया हुआ है ।

तीव्र/डीलक्स गाड़ियों का रख रखाव

5517. **श्री बलदेव सिंह जसरोतिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि तीव्र/डीलक्स गाड़ियों के रख-रखाव के लिये भारतीय रेलवे में कोई एक समान मानदण्ड नहीं हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गाड़ियां पहले चालू की जाती हैं और स्टाक की मंजूरी बहुत बाद में दी जाती है;

(ग) क्या इससे यात्रियों की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी त्रुटियों तथा विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) सवारी डिब्बे के अनुरक्षण के लिए कर्मचारियों की संख्या का प्रत्येक रेलवे पर अपना-अपना माप दण्ड है।

(ख) नयी गाड़ियां चलाने से पहले गाड़ियों और कर्मचारियों का पूर्व नियोजन कर लिया जाता है।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सिंदरी के सल्फ्यूरिक अम्ल संयंत्र से वायु दूषण

5518. **श्री ए० के० राय** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम के सिंदरी एकक के सल्फ्यूरिक अम्ल संयंत्र से वायुदूषण की गम्भीर शिकायत है जिससे दो मील से अधिक की दूरी के पौधे और फसलें नष्ट हो रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस मामले की जांच की गई थी और इसे पूरी तरह से ठीक पाया गया था ; और

(ग) क्या यह सच है कि इन निष्कर्षों के बाद भी आस-पास के कृषकों को कोई फसल मुआवजा अथवा रोजगार नहीं दिया गया है जिससे उन्हें भारी कठिनाई हो रही है और यदि हां, तो वायुदूषण के कारण लोगों को इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र में रुकावट और मौसम के खराब रहने के कारण सल्फ्यूरिक गैस की भूमि स्तर का जमाव थोड़े समय के लिये ऊपर गया था। सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र से 2 से 3 किलो मीटर दूर निकटतम गावों से धान के पौधों पर कुछ प्रभावित करने की सूचना मिली थी ।

(ख) एक जांच समिति स्थापित की गई थी जिसमें पो० एण्ड डी० प्रभाग और सिन्दरी एकक से वरिष्ठ इंजीनियर तथा उर्वरक प्रोत्साहन तथा कृषि अनुसंधान केन्द्र सिन्दरी का अध्यक्ष शामिल है। समिति ने क्षेत्रों का सर्वेक्षण अभी एक महीने की अवधि से ऊपर वातावरण की जांच की ।

समिति को पता लगा है कि कुछ पत्ते पीले पड़ गये थे और फूलों की अवस्था पर आरंभ में प्रभाव पड़ा था परन्तु पौधों पर बुरा प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है ।

(ग) समिति के निष्कर्षों से पता लगा है कि खड़े फसल की कोई स्थायी हानि नहीं हुई है और संबंधित गांवों को क्षतिपूर्ति की अदायगी नहीं करनी है। तथापि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये एकक, प्रदूषण गैस प्रवाह का शीघ्र पता लगाने के लिये उचित देखरेख उपस्कर प्राप्त कर रहा है ।

Fare of Mewar Passenger Train

5519. **Shri Bhanu Kumar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether it is a fact that the fare by Mewar passenger train running from Udaipur to Ahmedabad is more than the ordinary fare and if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): Yes, because the fares on Udaipur — Himmat Nagar, Section are charged by inflating the distance for charge.

Free Railway Pass Facility

†5520. **Shri Bhanu Kumar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether class III and class IV railway employees drawing a pay of less than Rs. 360/- are required to pay a fare of Rs. 5.00 per capita for three tier or two tier berth under free railway pass facility; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain) : (a) All class III and class IV railway employees drawing pay of Rs. 360/- P. M. (revised scales) and below are required to pay a surcharge of Rs. 5/- per capita for sleeper accommodation.

(b) Prior to the abolition of the second class, railway employees drawing pay over Rs. 180/- in the Authorised Scales of pay were entitled to travel by IInd class and those getting less were entitled to travel only in IIIrd class but not by sleeper berths. Abolition of the IInd class came into effect from 1-4-74 while revision of pay scales on the basis of recommendations made by the Third Pay Commission came into effect from 1-1-73. The stage of pay of Rs. 180/- in A. S. is equatable to Rs. 360/- in the revised scales of play and so employees drawing Rs. 360/- and bleow in the revised scales of pay are entitled to travel by the new II class and have to bear sleeper charges. Such of those employees who were previously entitled to travel by the former second class that is, those drawing above Rs. 360/- in the revised scales of pay are now allowed the facility of travel in Two tier and Three tier sleepers in the re-designated Second class without payment of sleeper surcharge.

विधि कालजों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रवेश

5521. **श्री के० प्रधानी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि कालेजों में प्रवेश के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजतियों म विद्यार्थियों को अंकों में छूट देने के बारे में भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने कोई सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरसिंह) : (क) और (ख) : भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने निम्नलिखित संकल्प पारित किया है :—

"संकल्प सं० 24/1978

यह संकल्प किया गया है कि इस परिषद की राय है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को संविधान के अधीन भी विशेष बर्ताव के लिये मान्यता दी गई है, इसलिये उन्हें अर्हक परीक्षा में 5 प्रतिशत अंकों तक की छूट दी जाए।"

केन्द्रीय सरकार ने देश में उच्चतर शिक्षा की सभी शैक्षणिक संस्थाओं को साधारण मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किए हैं जिनमें उन्हें सलाह दी गई है कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को, किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अपेक्षित अंकों की न्यूनतम प्रतिशतता में 5 प्रतिशत की छूट दें और यदि इन अभ्यर्थियों के लिये सुरक्षित स्थान न भरे गए हों तो (अंकों की प्रतिशतता में) अतिरिक्त छूट दी जाए।

भारतीय विधिज्ञ परिषद के संकल्प में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिये सुरक्षित स्थानों के न भरे जाने की दशा में अंकों की प्रतिशतता में अतिरिक्त छूट देने के प्रश्न के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसलिये यह बात भारतीय विधिज्ञ परिषद् की जानकारी में लाई गई है और उक्त परिषद् उस पर विचार कर रही है।

अंकलेश्वर से कच्चे तेल का उत्पादन

5522. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने एक वर्ष के भीतर अंकलेश्वर से कच्चे तेल के उत्पादन में आधे से अधिक कमी लाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य कारण क्या है ; और

(ग) क्या उत्पादन में इस कटौती का इंडियन पैट्रो-केमिकल्स लिमिटेड, बड़ौदा पर बहुत अधिक कुप्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख): जी, नहीं। अंकलेश्वर से कच्चे तेल के उत्पादन में कमी चरणबद्ध तरीके से करने की योजना बनाई गई है। अंकलेश्वर से कच्चे तेल की चरणबद्ध कमी तकनीकी विचार तथा इण्डियन पेट्रो केमिकल्स लि० बड़ौदा की काफी लम्बी अवधि तक संभरण सामग्री की आवश्यकता को पूरा करने के लिये अंकलेश्वर के अशोधित तेल के संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रख कर की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

मतदान की आयु कम करने के लिए विधेयक

5523. **श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने मतदान की आयु 18 वर्ष करने के लिये विधेयक पुरःस्थापित किया है अथवा उनके द्वारा ऐसा किये जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने यह विनिश्चय किया है ;

(ग) इस बारे में कितने राज्यों ने विधेयक पारित किया है;

(घ) क्या राज्यों से इस बारे में की गई व्यापक मांग को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने इस मामले पर पुनर्विचार करने का विनिश्चय किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम विनिश्चय कब तक किये जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरसिंह) : (क) से (ग) : मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत निर्वाचनों में मत देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार बिहार और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने भी पंचायत निर्वाचनों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का विनिश्चय किया है।

(घ) और (ङ) : लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों में मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस प्रस्ताव पर बहुत सावधानी से विचार करना होगा। अतः इस विषय में अंतिम विनिश्चय करने में कुछ समय लगेगा ।

पोटाश उर्वरक बनाने के लिए परियोजना

5524. **श्री सरत कार** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का समुद्र जल तथा धान की भूसी से पोटाश उर्वरक बनाने के लिये कोई प्रायोगिक परियोजना स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : सेंट्रल साल्ट्स और मैराइन केमिकल्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट, भावनगर ने पोटाशियम स्कोनाइट के उत्पादन के लिये प्रौद्योगिकी विकसित की है जो भूमि पर विटर्नस और समुन्द्री मिश्रित लवण से पोटाशियम और मेग्नेजिन का दुगना सल्फेट है। संस्थान ने प्रतिदिन 1 मी० टन क्षमता के पाइलट प्लांट में प्रक्रिया का अध्ययन किया है और तामिल नाडु स्थित टूटीकोरिन में प्रतिदिन 10 मी० टन की क्षमता के संयंत्र को स्थापित किया है।

एफ० सी० आई० इस प्रौद्योगिकी के प्रयोग की संभावनाओं की भी जांच कर रही है।

इस संस्थान ने समुन्द्री बिटर्न से इपसम एण्ड पोटेशियम क्लोराइड के उत्पादन के लिये अलग से प्रौद्योगिकी भी विकसित की है। प्रक्रिया का पाइलट प्लांट क्षेत्र पर मूल्यांकन किया गया है। पोटेशियम क्लोराइड उर्वरक होने के अलावा अन्य औद्योगिक प्रयोग पोटेशियम लवण के निर्माण के लिये मूल कच्चा माल भी है।

धान (पैडी) हस्क से पोटेसिक उर्वरक के उत्पादन के लिये प्रक्रिया पर कार्य अभी प्रयोगशाला स्तर पर है और वाणिज्यिक क्षेत्र पर और कार्य के लिये सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

रेलवे सैलुनों में यात्रा करने वाले मंत्री एवं अधिकारी

5525. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 मास में प्रत्येक महीने में कितने मन्त्रियों एवं सरकारी अधिकारियों ने रेलवे सैलूनों में यात्रा की ; और

(ख) प्रत्येक द्वारा की गई यात्राओं का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) और (ख) :

क्रम सं०	किस अधिकारी ने सैलून का उपयोग किया था	दिनांक	कहां से कहां तक
1	मध्य प्रदेश के राज्यपाल . .	9-9-77	भोपाल से नयी दिल्ली
2	——यथोक्त—— . .	16-9-77	नयी दिल्ली से भोपाल
3	——यथोक्त—— . .	1-10-77	लखनऊ से सिकन्दराबाद
4	उत्तर प्रदेश के राज्यपाल . .	1-10-77	लखनऊ से झांसी/सिकन्दराबाद
5	आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री . .	1-10-77	सिकन्दराबाद से रामगुंडम
6	——यथोक्त—— . .	3-10-77	रामगुंडम से सिकन्दराबाद
7	——यथोक्त—— . .	6-10-77	सिकन्दराबाद से भद्राचलम रोड
8	——यथोक्त—— . .	7-10-77	भद्राचलम रोड से सिकन्दराबाद
9	अध्यक्ष रेल श्रम अधिकरण, अहमदाबाद .	8-10-77	अहमदाबाद से बम्बई सेन्ट्रल
10	——यथोक्त—— . .	9-10-77	बम्बई सेन्ट्रल से अहमदाबाद
11	केरल के राज्यपाल . .	13-10-77	नयी दिल्ली से भोपाल
12	मध्य प्रदेश के राज्यपाल . .	13-10-77	भोपाल से नयी दिल्ली
13	राजस्थान के राज्यपाल . .	25-10-77	आबूरोड से बीकानेर
14	——यथोक्त—— . . .	27-10-77	बीकानेर से जयपुर
15	जनरल कमांडिंग आफिसर इन चीफ सेन्ट्रल कमाण्ड लखनऊ . .	12-11-77	लखनऊ से नयी दिल्ली
16	जनरल कमांडिंग आफिसर इन चीफ नार्दन कमान्ड ।	12-11-77	जम्मू तवी से दिल्ली
17	जनरल कमांडिंग आफिसर इन चीफ सेन्ट्रल कमान्ड, लखनऊ ।	20-11-77	दिल्ली से लखनऊ
18	जनरल कमांडिंग आफिसर इन चीफ नार्दन कमान्ड ।	20-11-77	दिल्ली से जम्मू तवी
19	मध्य प्रदेश के राज्यपाल . .	22-12-77	भोपाल से नयी दिल्ली
20	——यथोक्त—— . .	26-12-77	नयी दिल्ली से भोपाल
21	आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल . .	17-1-78	सिकन्दराबाद से तिरुपति पूर्व
22	——यथोक्त—— . .	20-1-78	तिरुपति पूर्व से सिकन्दराबाद
23	जनरल कमांडिंग आफिसर इन चीफ सेन्ट्रल कमाण्ड ।	22-3-78	लखनऊ से झांसी
24	——यथोक्त—— . .	24-3-78	झांसी से लखनऊ

स्टेशनों में यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करना

5526. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष, 1978-79 के दौरान किन-किन स्टेशनों को शौचालय, अल्पाहार और जलपान-कक्ष जैसी यात्री सुविधायें देने के लिये चुना गया है ;

(ख) इन स्टेशनों के चयन का आधार क्या था ; और

(ग) अन्य स्टेशनों पर इन सुविधाओं को देने के लिये सरकार का भावी कार्यक्रम क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) स्टेशनों के नामों की सूची संलग्न है।

(ख) और (ग) : रेलवे स्टेशनों पर वर्तमान यात्री सुविधाओं को बढ़ाना और सुधार रेल उपयोगकर्ता सुविधा समिति, जिसके साथ जनता को राय सम्बद्ध है के परामर्श से रेल प्रशासन द्वारा विनिश्चय किया जाता हैं। स्टेशनों का चुनाव करते समय तुलनात्मक आवश्यकताएं तथा कार्य का महत्व और धन की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाता है।

इस प्रकार चुने हुए निर्माण कार्यों को प्रतिवर्ष इस उद्देश्य के लिये आबंटित की गई राशि के अन्तर्गत रेलवे के निर्माण-कार्य कार्यक्रम में शामिल किया जाता है।

स्टेशनों की सूची

उन चुनींदा स्टेशनों की सूची जहां पर प्रसाधन, बनियां, अल्पहार गृह, सरीखे या यात्री सुविधा कार्यक्रमों की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

मध्य रेलवे	गाडरवाडा, नरसिंहपुर, सोहागपुर, आगरा कैन्ट, खजगांव, मनमाड, पाचोरा, सावदा, बारनगांव, अमला, चन्दुर, वर्धा, अमदारा-मदनपुर, चितहारा, गणेशगंज, होसालपुर, हर्दा, करेलीं, लोहगरा, मझेजवां, मकरोनियां, मारकुण्डा, पनही, सगोनी सलैया, समरोरी, उचेहरा, ग्वालियर, विदिशा और एट।
पूर्व रेलवे	मुर्शिदाबाद, गुरुदासनगर, दक्षिण दुर्गापुर, साहिबगंज, सुलतानगंज, खग्राघाट रोड, दुर्गापुर, हाथींदह, डेहरा-ओन-सोन, मिर्जापुर, बांकीपुर, बलरामबटी, कजरी, कुछमन, काशोचक और सासन रोड।
पूर्वोत्तर रेलवे	सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सीतापुर, लार रोड, गुलाबबोझ, निगोहीः सरकारा, देवकली, भवानीपुर कंला, घोघरा घाट, ओखारा, पैतीपुर फरदहन, पुरन्दरपुर, गैंसारी, राजागंज, बकुलहा, नुरखार, इमली, नयड, नयी कोट, ओलापुर, अहल्यापुर, ढोढाडीह, नोनापार, तुर्तीपार, सँथल, महिपुरवा, डोंडपुर, सतरांव, तरिभासुजा, माझौं।
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ...	दमचेरा, काटाखाल, डिगबाजार, सूरजकमल, सिमनहा, पाटिलबाहा, धूपगुडी, तार्ती बहार, कैरन, चलसा, हरगंजाव और फलाकटा।

दक्षिण रेलवे ... ... मद्रास एम्बूर, मद्रास सेंट्रल, कोरुकपेट, ओरकोणम, ओल्वकोट कोयम्बतूर, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, तिरवनन्तपुरम सेंट्रल, मदूरै, हसन बेंगलूर सिटी, जोलारपट्टै, वेंगापट्टू, त्रिचूर, विरुदनगर, डिंडिगुल, कोल्लम, रामेश्वरम, कारुरति तिरुवरुर, मायुर रोड, श्रीरंगम, कोडम्बुर, कायकुलम, मंय्यद काटपाडी, कोडगन्नूर, शिवनी, गुडगरी, सांगी, यलहका कन्ननूर, मूदडली, नागनहल्लि हाल्ट और कोटेगनूर ।

दक्षिण मध्य रेलवे ... गुन्तकल्ल, मददनरु, रायचूर, येरागुंटला, कडप, रेणिगुंटा, गडूर, टाकरगर, परसोंदा, आसिफाबाद, पिंडियल, माकुडी, विरुर, मानिक गढ़; कल्हापुर, कमलनगर, हलबर्गा, चित्तलपल्ली, उप्पल, जम्मिकुंटा; शादनगर, कावेलरी बैरक्स, बैलरन धारवाड़, मिरज, हलकोटी; पिथापुरम, पालाकोल्ला, आकिविडू कायकलूर, यट्टिपरौल, तनुकू, मिराजपल्ली, चारलापल्ली, उपलवई, मनोहरबाद, भाकर, पठानकोटचेखा, गुलपालेयम, मामंदरु, येलकरु, कोंडागुंटा, अकुर्ती, भोलागवल्ली—बेडोद कलय, हंसावरम, रेड्डिगुडेम, संतरामगलुर, वीरावल्लीहाल्ट, और मंत्रालयम रोड ।

दक्षिण पूर्व रेलवे : ... सांतरगाछी, झारग्राम, गिडनी, चाकुलिया, घाटशिला, ब्रुडायल ब्रह्मपुर, पलास, मोटारी, ताल्चेर, ताप बिजलीघर, रामराजतला, चक्रधरपुर, झारसुगुडा, टाटानगर, सिची, राजखरसवां, राजगंगपुर, चायबास, बोलंगिर, संबलपुर, वाल्तेरु, विजयनगरम, बरगढ़-रोड, बिलासपुर, नौगांव, खात, मुसड़ा, मुझीपार, गोंव, मयूरभंज रोड़, काइपदर रोड़, चिल्का, सुर्खा रोड़, वाणिविहार धौलीमोहन, इन्द्रविला, खोदरी, चिमिडिपल्ली-दोडागहल, मल्लिविड, टोकपाल, चरमला कुसमी, पाडुआ, मानावर, भंसी, गोरापुर, गिडम, अम्बादला, डाएकलु, पारदसिंगी, लींहु ी, सीतापुरम, टिल्डा, भिलाईनगर बागान, मौरीग्राम, किरंडुल, गंजाम, धमंडल, निराकारपुर ।

पश्चिम रेलवे ... ... अजमेर, पारडी, दहानुरोड, उज्जैन, पिपलोद, रावंजना-डुर्गर, ब्यावर उदयपुर सिटी, गांधी धाम, बेचराजि, पाटन, वासन, वडनगर, दभोदा, अरनेज, बोयसर, दहानुरोड़, वीरमगांव, बड़ोदा यार्ड, असरवा-खेड, भाबेर, सीरदाड भादा और मौरेया ।

उत्तर रेलवे ... ... गोतामढी, धमतन साहेब, लेहरा मोहब्बत, सजुमा, सिवाना, गोविन्दगढ़, खोखर, पंजकोशी, कबरवाला, बामनीवाला, तल्लोसैदा साहु और बालामऊ ।

Women employees at Reservation Counters

†5527. **Shri Madhavrao Scindia :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether in order to abolish malpractices in reservation of seats for travel in Railways, the decision to run reservation counters by women employees has been taken;

(b) whether women employees already working in Railways are sufficient to meet the requirements;

(c) if not, whether the Government propose to recruit more women employees; and

(d) if so, the approximate number of such requirement and mode of their selection from out-side?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes.

(b) to (d) : Replacement of the existing staff will be gradual. Selections will be held from women employees of eligible categories. There will also be fresh selections of women through the Railway Service Commissions.

गाड़ियों में जनता खाने की सप्लाई

5528. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978–79 में किन-किन प्रमुख और दूर जाने वाली गाड़ियों में जनता खाना सप्लाई करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) विभिन्न अभिरुचि के विभिन्न किस्म के ऐसे खाने की न्यूनतम और अधिकतम दरें क्या होंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) दो जोड़ी राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों को छोड़कर उन सभी गाड़ियों में 'जनता खाना' दिया जाता है जिनमें भोजन/पैंट्री/बुफे/ रसोईयानों की व्यवस्था की गयी है ।

(ख) सभी तीनों प्रकार के 'जनता खाना' का मूल्य एक रुपया प्रति पैकेट है ।

उर्वरक उत्पादन क्षमता का विस्तार

5529. **श्री जार्ज मैथ्यू** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की उर्वरक उत्पादन क्षमता के विस्तार संबंधी सरकार के प्रस्ताव क्या है ;

(ख) क्या छठी योजना के दौरान कोचीन डिवीजन फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लि० तृतीय चरण का कार्य आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो वह कब तक पुरा हो जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) उर्वरक क्षमता में विस्तार करने के लिये विस्तृत कार्यक्रम के एक भाग के रुप में इस समय 12 बड़े आकार की उर्वरक प्रायोजनाएं कार्यान्वियनाधिन है । इसके अतिरिक्त बम्बई हाय/दक्षिण बसीन संरचवाओं से उपलब्ध बैस पर आधारित चार बडे आकार के नाइट्रोजन युक्त उर्वरक संयंत्र स्थापित करने और असम मे आयल इंडिया और ओ० एन० जी० सी० के तेल क्षेत्रों में उपलब्ध गैस पर आधारित एक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । मैसर्स इंडियन एक्सप्लोसिव लि० ने भी कानपुर स्थित अपने वर्तमान उर्वरक संयंत्र की क्षमता में विस्तार करने का प्रस्ताव दिया है ।

(ख) फैक्ट चरण–III का कार्यान्वयन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि अब उर्वरक संभरण सामुग्री के रूप में गैस को प्राथमिकता दी जा रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

फर्टिलायजर्स एन्ड केमिकल्स त्रावणकोर के कोचिन डिवीजन में नैमित्तिक श्रमिक

5530. **श्री जार्ज मैथ्यू :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावणकोर के कोचीन डिवीजन में काम करने वाले सभी नैमित्तिक श्रमिको को स्थाई किया जायेगा ;

(ख) यदि हां तो कम्पनी को ऐसा करने में कितना समय लगेगा, ; और

(ग) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावेनकोर-कोचीन डिवीजन मे अब तक कितने नैमित्तिक श्रमिको को खपा लिया गया ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं इस समय एफ० ए० सी० टी० के कोचिन प्रभाग में नियमित कार्य के लिये कोई दैनिक मजदूर कार्य पर नही लगा रखा है । जो काम बिलकुल अस्थायी प्रकार का होता है उसके लिये दैनिक मजदूरी पर श्रमिक रखे जाते हैं और उनको उन्ही दिनों के लिये मजदूरी दी जाती है जिस दिन वे काम करते हैं । कभी-कभी और कम अवधिवाले काम के लिये श्रमिकों को नियमित आधार पर काम पर लगाना संभव नही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 25 (पच्चीस) ।

Leave on Production of M. C.

5531. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of officers and Class III employees on North Eastern Railway who have taken leave during the last one year by producing medical certificates from Railway Doctors or Registered Medical Practitioners (RMP) and the category-wise number of those, out of them, who have been paid salary as also those who have not been paid salary; and

(b) the reasons for not paying salary to the remaining ones ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) & (b) The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

गुजरात सरकार द्वारा बम्बई से उपलब्ध गैस के लिए मांग

5532. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने बम्बई हाई से उपलब्ध गैस के लिये केन्द्र सरकार से हाल ही में किस तिथि को मांग की थी और तत्संबंधी आधारभूत ढांचा क्या है और इससे सम्बध परियोजनाओं के नाम क्या हैं और कितनी मात्रा में गैस की मांग की गई थी ;

(ख) सरकार ने उस मांग का उत्तर किस तारीख को दिया और उत्तर में क्या कहा गया ; और

(ग) क्या गुजरात तथा केन्द्र सरकार की ओर से सिफारिशें करने के लिये इस संबंध में योजना बनाई गई अथवा दल गठित किया गया है और यदि हां तो कब और यह कबतक अन्तिम निर्णय कर लेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग): गुजरात के मुख्य मंत्री ने दिनांक 23 दिसम्बर 1977 को पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें बम्बई हाई—बेसिन संरचना से प्राप्त गैस का उपयोग करने के लिये निम्नलिखित प्रणाली का सुझाव दिया है :

	मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन में
1. चालू मांग में गिरावट	1.50
2. जी एस एफ सी और जी एन एफ सी को (गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी लि० और गुजरात नर्मदा हैवी फर्टिलाइजर कम्पनी लि०) गैस में परिवर्तित करना।	2.90
3. दो नये उर्वरक संयंत्र	3.00
4. सुपर थर्मल स्टेशन	1.40
5. निर्यात उन्मुख और पेट्रो प्रोटीन कम्पलैक्स . . .	1.30
	10.10

3 जनवरी 1978 को उत्तर भेजा गया था जिसमें अन्य बातों के साथ यह भी सूचित किया गया था कि गुजरात में अपतटीय गैस के उपयोग का अध्ययन करने के लिये कार्यकारी दल का गठन किया गया था, उसमें गुजरात राज्य का एक प्रतिनिधि शामिल किया गया था और मुख्य मंत्री के दिनांक 23 दिसम्बर 1977 के पत्र की एक प्रति इस कार्यकारी दल को भी भेजी गई थी क्योंकि उसमें निहित प्रस्तावों पर समिति की रिपोर्ट में पर्याप्त रूप से रोशनी डाली गयी थी ।

कार्यकारी दल ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । इन पर अंतिम निर्णय शीघ्र लिये जाने की संभावना है ।

Conversion of Jabalpur-Gondia N. G.

†5533. **Shri Nirmal Chandra Jain :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the proposal for the conversion of Jabalpur-Gondia narrow guage line into broad-gauge line has been accepted in principle; and

(b) the time by which the said conversion work will be started ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) and (b) : A preliminary engineering-cum-traffic survey for conversion of Jabalpur to Gondia narrow gauge section into broad gauge is in progress. It will be possible to take a decision regarding the conversion of this line after the survey is completed and the reports examined.

Railway Line from Jabalpur to Nagpur

†5534. **Shri Nirmal Chandra Jain** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that if a direct railway line is laid from Jabalpur to Nagpur via Lakhnadon, Chhapara, Siwani, i.e. more or less parallel to the present highway, it will help save about 265 kilometres in distance and about 2½ or 3 hours in time, as compared to the present railway lines which goes to Nagpur via Itarsi;

(b) whether the expenditure to be incurred in laying the said new railway line will be made good by the saving so effected in fuel and time, within a period of about 3 years;

(c) whether the proposed railway line had been surveyed between the years 1945 and 1948 but the railway line could not be laid due to political reasons; and

(d) the time by which the said railway line is proposed to be laid by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (d) : No survey has so far been carried out for the proposed new line from Jabalpur to Nagpur via Lakhnadon, Chhapara and Seoni. A preliminary engineering-cum-traffic survey for conversion of Jabalpur to Gondia narrow gauge section into broad gauge which will connect Nagpur, Jabalpur via Gondia is in progress. A decision regarding the conversion of this line will be taken after the survey is completed and the reports examined.

रेलवे में तोड़फोड़ के मामलों में की गई जांच

5535. **श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला :**

[श्री सौगत राय :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या भारतीय रेलवे में दुर्घटनाओं और तोड़फोड़ के कार्यों के कारणों के बारे में की गई जांच के कोई परिणाम प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) अप्रैल 1977 से फरवरी 1978 तक की अवधि के दौरान टक्कर होने पटरी से उतरने समपार दुर्घटनाओं और गाड़ी में आग लग जाने की कोटियों में गाड़ी दुर्घटनाओं के 804 मामले हुए थे। पता चला है कि ये दुर्घटनाएं निम्नलिखित कारणों से घटित हुई हैं :--

कारण	गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या
1) रेल कर्मचारियों की असफलता	421
2) रेल कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की गलती	89
3) रेल उपस्करों की खराबी	121
4) तोड़-फोड़	8
5) आकस्मिक	81
6) कारण का पता नहीं लग सका	14
7) कारण का अभी निर्धारण नहीं हो सका	70
जोड़	804

तोड़-फोड़ के कारण हुई दुर्घटनाओं के 8 मामलों में से मध्य रेलवे पर माना मुरतिजापुर के एक मामले जिसमें 19-11-1977 को 30 अप मालगाड़ी पटरी से उतरी थी में महाराष्ट्र पुलिस ने 20 व्यक्तियों को गिरफतार किया और 11 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मण्डल में 16-6-1977 को 47-अप मसूरी एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के मामले में पुलिस ने अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। "जिसमें कारण का पता नहीं लग सका" कहा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

साफ्ट कोक लाने ले जाने के लिए वैगन

5536. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य के लिये साफ्ट कोक लाने-ले-जाने हेतु, वैगनों का कोई कोटा आरक्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गत तीन नियतनों में अलाट किये गये और वास्तव में सप्लाई किये गये वैगनों की संख्या क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन आबंटनों के दौरान राजस्थान के लिये आबंटित किये गये और लादे गये साफ्ट कोक के माल डिब्बों की संख्या इस प्रकार है :--

आबंटित किये गये माल डिब्बों की संख्या	लादे गये माल डिब्बों की संख्या	लदान की तिथि
75	65	10-1-78
75	75	18-1-78
75	70	20-2-78

मारुति लिमिटेड का समापन करने के बारे में न्यायालय के आदेश

5537. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 433(एफ) के अधीन मारुति लिमिटेड का समापन करने के बारे में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायलयों के आदेशों की प्रतियां सरकार को प्राप्त हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) नहीं, श्रीमान जी। पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 6-3-78 को पास किये गये परिसमापन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि याचिकाकर्ता अथवा कम्पनी द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार के पास अभी तक फाइल नहीं की गई है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 445 के अनुसार, यह उच्च न्यायालय से प्रमाणित प्रतिलिपि के प्राप्त होने में लगे समय को छोड़कर आदेश की तारीख से 30 दिन के अन्दर हो जाना अपेक्षित है।

(ख) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 449 व 450 के अनुसरण में परिसमापन आदेश दे दिये जाने पर, उच्च न्यायालय से संलग्न शासकीय समापक अथवा अन्तःकालीन समापक, जो भी हो, स्वमेव 6-3-78 से इस कम्पनी का परिसमापक हो जाता है। इसी की धारा 451 के अनुसार कम्पनी का परिसमापक, कम्पनी (न्यायालय) नियम, 1959 के उपबन्धों के अनुसरण में न्यायालय के निर्देशनों तथा पर्यवेक्षण के अन्तर्गत परिसमापन कार्यवाहियों का संचालन करेगा।

कम्पनी अधिनियम तथा एकाधिकार एवं निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के बारे में पुनर्विलोकन समिति

5538. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम तथा एकाधिकार एवं निर्बन्धात्मक व्यापार पद्धति अधिनियम का पुनर्विलोकन कर रही राजेन्द्र सच्चर समिति ने अपना प्रतिवेदन पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार को उक्त प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) : नहीं, श्रीमान जी। समिति द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट 30 जून, 1978 तक प्रस्तुत किये जाने की आशा है।

रेलवे के लिए स्वतंत्र सुरक्षा बल का प्रस्ताव

5539. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार रेलवे तथा यात्रियों के हितों की सुरक्षा के लिये राज्य सरकारों से सहायता लेने की बजाय रेल मंत्रालय का एक पर्याप्त तथा स्वतंत्र सुरक्षा बल नियुक्त करने के बारे में किस प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : कोई नहीं।

गाड़ी संख्या 321 में स्लीपर कोच जोड़ने संबंधी मांग

5540. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यात्रियों की अत्याधिक भीड़-भाड़ के कारण मनमाड से होकर जाने वाली अहमदनगर से बम्बई तक ट्रेन संख्या 321 में स्लीपर कोच जोड़ने संबंधी भारी मांगों की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो लोगों की इस जायज मांग को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) 321 डाउन गाड़ी में दौंड से बम्बई तक एक शयनयान चलाने की व्यावहारिकता की जांच की जा रहा है और इस सम्बन्ध में यथाव्यवहार्य एवं उचित कार्रवाई की जायेगी।

रामपुर से हलद्वानी तक बड़ी लाइन

5541. **श्री मुरली मनोहर जोशी** : क्या रेल मंत्री रामपुर से हलद्वानी तक बड़ी लाईन के बारे में 13 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3623 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तब से इस लाइन के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में इस लाइन के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई है ; और

(ग) रेल लाइन कब तक पूरी हो जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : इस परियोजना पर कोई प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि इस परियोजना को प्राथमिकता देने के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से विचार किया जाना है जिस पर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया। इस बीच 1978-79 के बजट में इस परियोजना के लिये सिर्फ 1,000 रुपये की टोकन व्यवस्था ही की गयी है।

कोयले पर उत्पाद-शुल्क में वृद्धि का रसायन उद्योग पर प्रभाव

5542. **श्री अहमद एम० पटल :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के मूल्य में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप रसायन उद्योग पर मूल्यों के संबंध में कोई प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : उर्वरकों और औषधों सहित कुछ रसायनों के मूल्यों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, जिनके निर्माण के लिए ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता है। सरकार ने इसके लिये उर्वरकों और औषधों तथा अल्कोहल के नियंत्रित मदों के मूल्यों में वृद्धि के लिये अभी अनुमति नहीं दी है ।

तेल उद्योग के ढांचे में फेर बदल

5543. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री जी०एम० बनतवाला :

क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तेल उद्योग के ढांचे में फेर बदल करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : तेल उद्योग के ढांचे में फेरबदल के सम्बन्ध में सभी संबद्ध तत्वों की जांच करने के पश्चात् यह विचार किया गया है कि निम्नलिखित तीन कम्पनियों की स्थापना द्वारा देश की शोधन और विपणन की आवश्यकता पूरी हो जायेगी ।

1. इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड
2. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
3. हिन्दुस्तान पट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

इस तरफ जो पहला कदम उठाया गया उसके अन्तर्गत सरकार ने कालटैक्स आयल रिफायनिंग (इंडिया) लिमिटेड को हिन्दोस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में विलिन कर देने का निश्चय किया है जिसके लिए कानूनी प्रक्रिया पहले से ही आरम्भ कर दी गई है ।

Employees with knowledge of Hindi

†5544. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the category-wise number of employees working in his Ministry at present and the number of employees out of them who possess working knowledge or proficiency in Hindi;

(b) the number of employees out of those possessing working knowledge or proficiency in Hindi who do noting and drafting in Hindi at present;

(c) the reasons for which the remaining ones are not doing noting and drafting in Hindi; and

(d) whether such employees have been instructed to do noting and drafting in Hindi and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) 179 employees in Group 'A', 364 in Group 'B' and 482 in Group 'C' are working in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs. 123 employees in Group 'A', 328 in Group 'B' and 402 in Group 'C' possess working knowledge or proficiency in Hindi.

(b) 29 employees in Group 'A', 47 in Group 'B' and 102 in Group C out of those who possess working knowledge or proficiency in Hindi, are doing noting and drafting in Hindi.

(c) The Ministry of Law, Justice and Company Affairs consists of the Department of Legal Affairs, Legislative Department, Department of Justice and the Department of Company Affairs. As most of the work in these Departments is of a legal nature, the scope for use of Hindi in noting and drafting is limited.

(d) All employees who possess a working knowledge of or have proficiency in Hindi are encouraged to use Hindi in their day-to-day work, as far as possible.

Training Institutions

5545. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the total number of training institutes under his Ministry and its attached and subordinate offices;

(b) the total number of courses being run therein;

(c) how many of them are run through Hindi medium and how many through Engilsh; and

(d) steps being taken to run English medium courses through Hindi medium ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) There is one Institute, namely, the Central Institute of Plastics Engineering and Tools, Madras under the Ministry. The Indian Institute of Petroleum, Dehradun also organises training courses from time to time at the request of Industry. Oil and Natural Gas Commission has three training centres/institutes. Information regarding other Undertakings is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(b) CIPET offers six courses. In addition, it offers short courses on demand from Industry. Institutes of ONGC organised 26 courses during 1977-78.

(c) All courses are run through English medium.

(d) Medium courses at craftsmen level at CIPET are being planned to be offered in Hindi also. Use of Hindi medium may have to wait till necessary literature in specialised subjects connected with oil industry becomes available.

Books in Library of Ministries

†5546. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of books in the library of the Ministry/Department and the language-wise number thereof;

(b) the expenditure incurred on the purchase of English and Hindi books, separately, in the aforesaid library during the last two years.

(c) the names of the newspapers and journals/periodicals purchased for this library at present and the names of Hindi newspapers and journals/periodicals out of them; and

(d) whether any scheme has been formulated for increasing the number of Hindi books, newspapers and journals/periodicals in this library and if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nar Singh) : (a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House at an early date.

Rules made under the Official Languages Act, 1963

†5547. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether provisions of Rule 3(3) of the rule made under the Official Languages Act, 1963 are being fully complied with in his Ministry;

(b) if so, the total number of general orders, circulars, notices, tenders, permits issued during the last six months of 1977 and the number out of them issued in Hindi along with English; and

(c) if the said provisions are not being complied with fully, the reasons therefor and the steps taken to comply with them ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nar Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) During the last six months of 1977, 235 general orders and 12 permits were issued by the Ministry of Law, Justice and Company Affairs. All these documents were issued in Hindi and English simultaneously. No circulars, notices or tenders were issued by the Ministry during the said period.

(c) Does not arise.

प्रत्येक राज्य को बम्बई के तेल और गैस का आबंटन

5548. **श्री के० मालन्ना :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य को बम्बई हाई के तेल और गैस का आबंटन करने के बारे में अपने विचार स्पष्ट कर दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा अपनाये गये मानदण्ड का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : विभिन्न शोधनशालाओं को बम्बई हाई से कच्चे तेल का आबंटन किया जायगा और यह कच्चे तेल की सर्वाधिक आर्थिक उपयोग पर ही निर्भर करेगा जो कि राष्ट्र के सम्पूर्ण हित को ध्यान में रखते हुए वर्ष प्रति वर्ष करना सम्भव है। गैस का आबंटन भी तकनीकी आर्थिक विचार के आधार पर किया जायेगा। गैस की उपयोगिता को उर्वरक पोषण भण्डार के रूप में प्राथमिकता दी जा रही है।

रेलवे में तोड़-फोड़ की घटनाओं का पता लगाने के लिए उपाय

5549. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11-3-78 को पुना में मंत्री महोदय की प्रेस कांफ्रेंस को ध्यान में रखते हुए रेलवे में तोड़-फोड़ की घटनाओं में अंतर्ग्रस्त संगठित गिरोह का पता लगाने के लिय सरकार ने कोई ठोस उपाय किये ; हैं

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) इस वर्ष रेलवे में कुल कितनी दुर्घटनायें हुयीं और कितनी दुर्घटनाओं के लिए प्रयास किय गये;

(घ) क्या सरकार को पता है कि सभी क्षेत्रों मे रेल गाड़ियां देरी से आ-जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण): (क) तोड़-फोड़, रेल पथ के साथ छेड़-छाड़ और अवरोध खड़े करने के मामलों की छान-बीन राज्य पुलिस द्वारा और गंभीर प्रति के मामलों की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा की जा रही है।

(ख) 1977 के दौरान 59 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे और 33 के विरुद्ध अभियोग दायर किये गये थे। अभी तक 10 व्यक्तियों को दोषी ठहराया जा चुका है।

(ग) जनवरी और फरवरी, 1978 के दौरान टक्करों, गाड़ी क पटरी से उतरने, समपार दुर्घटनाओं और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों की 143 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई। 1978 के दौरान; मार्च तक, रेल पथ गश्ती दलों ने दुर्घटना कराने के प्रयासों के 11 मामलों का समय पर पता लगा लिया।

(घ) और (ङ) : मार्च, 1978 के महीने में विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर 'समय न खोने वाली' मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का समय पालन सम्बन्धी निष्पादन 89.2 से लेकर 96.6 प्रतिशत के बीच रहा।

बड़े व्यापार गृहों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि

5550. **श्री वसन्त साठे** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 1977-78 में बड़े व्यापार गृहों को उपभोक्ता वस्तुओं की अपनी उत्पादन क्षमता मे वृद्धि करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है तथा उन कम्पनियो क नाम क्या है और उन्हें उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि करने की अनुमति दी गई तथा इसका क्या औचित्य था ;

(ग) क्या सरकार उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में लगे बड़े व्यापार गृहों पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) : एकाधिकार एवं निबंधन कारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 में शब्द "बड़े व्यापार घराने" की परिभाषा नही दी गई है। वर्तमान औद्योगिक नीति के अनुसार, वे सभी उपक्रम, जिनके पास स्वयं अथवा अपने अन्तः सम्बन्धित उपक्रमों सहित, 20 करोड़ रु० से कम नही, की परिसम्पतियां हों, जिसके कारण वे इस अधिनियम की धारा 20 (क) के उपबन्धों को आकर्षित करते हों, बृहद औद्योगिक घराने समझे जाते ह। ऐसी परिकल्पना है कि प्रश्न में निर्दोशित "बड़े व्यापार घरानों" से वृहद औद्योगिक घरानों का तात्पर्य है।

एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अंतर्गत, 1977-78 के मध्य, उपभोक्ता माल क क्षेत्र में अनुमोदित प्रस्तावों, जिनसे कार्य विभाग सम्बन्धित है, के ब्यौरे युक्त एक विवरण पत्र संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2016/78]**

(ग) तथा (घ) : वृहद औद्योगिक घरानों की प्रति सरकार की औद्योगिक नीति, उद्योग मंत्री द्वारा दिनांक 23, दिसम्बर, 1977 को संसद के समक्ष प्रस्तुत औद्योगिक नीति पर वक्तव्य, के पैरा 16 से 19 तक में, स्पष्ट की गई है।

विदर्भ क्षेत्र में औषधि/उर्वरक संयंत्र की स्थापना

5551. **श्री वसन्त साठे** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में औषधि/उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिये कोई प्रस्ताव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का विवरण क्या है ओर इस मामलें में क्या निर्णय किया गया; और

(ग) इस मामले में शीघ्र निर्णय करने के लिये क्या कदम उठाय गये है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगणा) : (क) से (ग) : महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार को नागपुर, वार्धा क्षेत्र में आई० डी० पी० एल० के एकक की स्थापित करने के लिये अनुरोध किया है भारत सरकार के अनुरोध पर हिन्दुस्तान एण्टी बायोटिक्स लि० ने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से नागपुर में सूत्रयोग एकक स्थापित करने के लिए संभाव्यत: रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

परियोजना पर 283.86 लाख रुपये का परिव्यय होगा। एकक के उत्पाद-मिश्रण में अनिवार्य एण्टीबायोटिक्स, सिन्थेटिक औषध तथा मशहूर दवाइयों जो राज्य की आवश्यकताओ के लिए है, शामिल है।

उस पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा। वार्धा क्षेत्र में संयंत्र स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कोई अलग प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया है।

महाराष्ट्र में मीटर गेज लाइनों का बदला जाना

5552. **श्री बसन्त साठे** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने महाराष्ट्र में मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिये योजना आयोग को कुछ प्रस्ताव भेजे है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और स बारे में क्या निर्णय किया गया ; और

(ग) मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने, तथा वर्ष 1978-79 के दौरान महाराष्ट्र में नई लाइन बिछाने के लिये कुल कितने पूंजी निवेश का प्रस्ताव किया गया है और इसका परियोजनावार ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : मनमाड-पुर्ली- बैजनाथ (354 कि०मी० लम्बी) मीटर आमान की लाइन को बड़े आमान में बदलने के काम को 28 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1973-74 के बजट में अनुमोदित किया जा चुका है। इस परियोजना के मनमाड-औरंगाबाद खण्ड का बदलाव कार्य 1978-79 में आरम्भ किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए 25 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की गयी है।

वानी से चनाका तक और वसई रोड से दिवा तक दो नयी रेल लाइनों का निर्माण प्रगति पर है। 1978-79 के बजट में वसई रोड-दिवा नयी लाइन (42 कि०मी०) परियोजना के लिए 4 करोड़ रुपये की और वानी चनाका नयी लाइन परियोजना के लिए 10 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गयी है।

आप्ता और रोहा के बीच बड़े आमान की एक नयी लाइन (62 कि०मी०) के निर्माण को 9 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1978-79 के बजट मे शामिल कर लिया गया है और इस परियोजना का निर्माण आरम्भ करने के लिए वर्ष 1978-79 के लिए एक करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गयी है।

रेल पुलिस बल में रक्षक

5553. **श्री वसन्त साठे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य रेलवे में रेलवे पुलिस बल में कितने रक्षक हैं जिनको 1972-73 तथा 1974 के दौरान ड्यूटी में लापरवाही के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था ;

(ख) उनमें से कितनों को नौकरी में वापस ले लिया गया है और कितनों को सेवा से अन्तिम रुप से निकाल दिया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि आरोपों के गम्भीर स्वरुप को देखते हुए कुछ रक्षकों को सेवा में वापस लेने के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया अपनायी गयी वह बहुत ही मनमाने ढंग की थी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार पीड़ित रक्षकों को न्याय दिलाने के लिए सम्पूर्ण मामले की जांच करवायेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में 1972 तथा 1973 के दौरान क्रमश: एक-एक रेल सुरक्षा दल के कर्मचारी / रक्षक को सेवा से बर्खास्त किया गया था। लेकिन, 1974 के दौरान किसी को बर्खास्त नही किया गया।

(ख) किसी को सेवा में वापिस नहीं लिया गया था तथा बर्खास्त रक्षकों की संख्या 2 ही है।

(ग) और (घ) : जी नहीं। चूंकि, गंभीर आरोपों को देखते दोनों रक्षकों में से किसी को भी वापिस नहीं लिया गया है, इसलिए मनमानी प्रक्रिया अपनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार द्वारा आगे जांच-पड़ताल की कोई आवश्यकता नहीं है।

पोलैण्ड से डी०डी०टी० का आयात

5554. **श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पोलैंड से 1500 टन डी० डी० टी० टक्निकल का आयात करने का निर्णय किया था, यदि हां, तो इसके लिये क्रियादेश कब दिया गया और आयात कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या डी० डी० टी० टेक्निकल का आयात किसी अन्य देशों से भी किया जाता है, यदि हां, तो कितनी मात्रा में; और

(ग) छोटे पैमाने के फार्मूलेटरों को डी०डी०टी० टेक्निकल की आवश्यकता कुल कितनी है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां, । राज्य व्यापार निगम ने 1500 टन डी०डी०टी० तकनीकी के आयात के लिये 18-8-1977 को पोलैण्ड के सप्लायरों को आर्डर दिये थे । ठेके में यह व्यवस्था की गई थी कि साख पत्र के खुलने की तारीख से 90 दिन के अन्तर्गत 1000 टन माल भेज दिया जायेगा और शेष 500 टन को दिसम्बर 1977/जनवरी 1978 के दौरान भेजा जायेगा। साखपत्र राज्य व्यापार निगम द्वारा 26-8-1977 को खोला गया था ।

(ख) जी, हां । 1977-78 के दौरान यू० एस० एस० आर० से भी 652 टन का आयात किया गया था । चूंकि पोलैण्ड और यू० एस० एस० आर० कीं सप्लाई संतोषजनक नहीं पायी गई थी अतः दिसम्बर, 1977 में 800 टन की अतिरिक्त सप्लाई के लिये अमेरिका को आर्डर दिये गये थे । यह मात्रा पहले ही आ गई है और उसे उतारा जा रहा है । यू०एस०एस०ए० को 1100 टन की और सप्लाई क लिए आर्डर दिये गये हैं और जिसके अप्रैल/मई 1978 में प्राप्त होने की आशा है ।

(ग) कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये डी०डी०टी० की आवश्यकता का मूल्यांकन किया गया है । लघु निर्माताओं डी०डी०टी० को आवश्यकताओं पर आरंम्भ से विचार नहीं किया गया है । तथापि 1976-77 के दौरान लघु निर्माताओं द्वारा केवल 1555 टन डी०डी०टी० तकनोकी का उठान किया था जब कि उनको 1964 टन का आबंटन किया गया था । 1977-78 में 28-2-1978 तक लघु निर्माताओं को 1620 टन की सप्लाई को गई थी ।

बम्बई-दिल्ली मार्ग पर रेल यातायात

5555. **श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला :** क्या **रेल** मंत्री बम्बई-दिल्ली मार्ग पर रेल गाड़ियों में भारी भीड़भाड़ के बारे में 21 फरवरी, 1978 के अतारांकित प्रश्न सं० 61 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई और दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले लोगों की जरुरत पूरी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : मध्य रेलवे के मार्ग से बम्बई वी० टी० और दिल्ली के बीच केवल दो सीधी गाड़ियां हैं, नामत : 5/6 पंजाब मेल और 57/58 दादर-अमृतसर एक्सप्रेस । इन गाड़ियों से होने वाला अधिकांश यातायात मथुरा से पहले के स्टेशनों तथा कानपुर, लखनऊ और उससे आगे के स्टेशनों के लिए होता है । इन गाड़ियों को डीजल से चलाने तथा उनमें डिब्बे बढ़ाने के अतिरिक्त रेलवे ने 115/116 बम्बई लखनऊ एक्सप्रेस, 137/138

बिलासपुर-निजामुद्दीन छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 201/202 बम्बई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस तथा 149/150 आगरा-निजामुद्दीन कुतब एक्सप्रेस और 1 ईबी/ 2ईबी इटारसी-भोपाल शटल गाड़ियां चलायी हैं। शीघ्र ही कुतुब एक्सप्रेस को जबलपुर तक बढ़ाने का भी विनिश्चय किया गया है। भिन्न-भिन्न प्रकार के यातायात को अलग करके और उसे स्वतंत्र तेज गाड़ियों से ले जाकर तथा 5/6 पंजाब मेल और 57/58 दादर-अमृतसर एक्सप्रेस से सीधे जानेवाले खण्डीय सवारी डिब्बे हटाकर वर्धा में ही इस मार्ग पर यातायात की वृद्धि की पूर्ति करना संभव हुआ है। उदाहरण के लिए, 137/138 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और 115/116 बम्बई लखनऊ एक्सप्रेस के चलने से सीधे जाने वाले आठ सवारी डिब्बे—छः बम्बई लखनऊ के बीच और दो दिल्ली जबलपुर के बीच पंजाब मेल और दादर-अमृतसर एक्सप्रेस गाड़ियों से हटा दिये गये हैं, जिसके फलस्वरूप बम्बई वी०टी० और दिल्ली के बीच सीधे जाने वाले यात्रियों के लिए अधिक स्थान उपलब्ध हो गय हैं।

भारतीय पेट्रो-रसाय निगम में अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

5556. **श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पेट्रो-रसायन निगम की सेवा में 31 जनवरी, 1978 से कितने नये कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं;

(ख) क्या उक्त निगम ने अनुसूचित जनजातियों के लिए कई कोटा निर्धारित किया जाता है; और

(ग) उक्त वर्ष के दौरान रोजगार के लिए अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों ने आवेदन दिया था और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को सेवा में लिया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 31 जनवरी, 1978 से अब तक इंडियन पट्रो-केमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड (आई०पी०सी०एल०) को सेवा में (दोसौ पैंतीस) 235 नये कर्मचारीयों को भर्ती किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) 31 जनवरी, 1978 से अब तक अनुसूचित जनजातियों से संबंधित 131 व्यक्तियों ने आई०पी०सी०एल० में रोजगार के लिए आवदन पत्र दिया था। इन आवेदन पत्रों में से कुछ के संबंध में भर्ती की कार्यवाही अभी भी चल रही है। आई०पी०सी०एल० की सेवा में इस अवधि के दौरान अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों की कुल संख्या 12 है।

प्राकृतिक गैस का उत्पादन

5557. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 में कितनी प्राकृतिक गैस का उत्पादन हुआ;

(ख) इसका कितना उपयोग किया गया और किस प्रकार; और

(ग) वर्ष 1978-79 में इसका कितनी मात्रा में उत्पादन होने की आशा है और इसके उपयोग के लिये क्या प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख): वर्ष 1976-77 और 1977-78 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान प्राकृतिक गैस की उत्पादित और प्रयुक्त मात्रा निम्नलिखित है :—

	(मिलियन घन मी०टनों में)	
	1976-77	1977-78 (अप्रैल-दिसम्बर)
1. उत्पादन	2428.05	2116.56
2. उपयोगिता	1553.79	1240.28

इन प्रदेशों में गैस ईंधन अथवा पूर्ति भंडार के रूप में प्रयोग करने के लिए, इनमें से जो भी मामला हो, के आधार पर इसे चाय बागों, विद्युत मण्डलों, उर्वरक संयंत्रों और अन्य उद्योगों को सप्लाई किया जाता था।

(ग) वर्ष 1978-79 के दौरान आयल इंडिया लि० द्वारा लगभग 1490 मिलियन घन मी० गैस का उत्पादन किये जाने की सम्भावना है जिसमें से 777 मिलियन घन मी० गैस उपभोक्ताओं के लिये वचनबद्ध है और 586 मिलियन घनमीटर गस क कम्पनीं के आन्तरिक प्रयोग क लिये उपयोग किये जाने की संभावना है। नामरूप उवरक समह के चरण-III के विस्तार परियोजना के लिये गैस की सप्लाई से सम्बन्धित प्रश्न भो विचाराधीन है।

असम आयल कम्पनी द्वारा वर्ष 1978 के दौरान लगभग 44 मिलियन घन मीटर गैस का उत्पादन किये जाने की संम्भावना है जिसके कम्पनी के अपने प्रयोग के लिए उपयोग किये जाने की आशा है।

जहां तक ओ० एन० जी० सी० का सम्बन्ध है, पश्चिम प्रदेश से प्रतिदिन लगभग 2.25 मिलियन घन मीटर गैस के उत्पादन का अनुमान है। इस गैस को वर्तमान उपभोक्ताओं को उनकी अपनी खपत के वर्तमान स्तर पर सप्लाई किये जाने का प्रस्ताव है। पूर्वी प्रदेश में ओ० एन०सी०जो० सी० द्वारा प्रतिदिन लगभग 0.6 मिलियन घन मीटर गैस का उत्पादन किये जाने की सम्भावना है। इसमें से ओ० एन० जी०सी०ने चाय बागों को प्रतिदिन 0.02 मिलियन घन मोटर गैस और असम राज्य विद्युत बोर्ड के प्रस्तावित थर्मल पावर प्लांट (उष्मीय विद्युत संयत्र) के लिए प्रतिदिन 0.23 मिलियन घन मीटर गैस प्रदान करने के लिये संविदात्मक रूप से वचनबद्ध है। नामरूप स्थित भारतीय उर्वरक निगम के प्रस्तावित विस्तार एकक को गैस की पूर्ति करने का प्रश्न भी विचाराधीन है। ओ० एन० जी० सी० पूर्वी प्रदेश में प्राकृतिक गैस के अन्तरिम प्रयोग के लिये छोटे-छोटे उपभोक्ताओं के ऊपर कुछ बन्धन लगाने का भी प्रयास कर रहा है।

बम्बई हाई के अपतटीय क्षेत्रों से वर्ष 1978-79 के दौरान लगभग 480 मिलियन घन मीटर गैस के उत्पादन होने की आशा है। इस गैस को उरान तक ले जाने के लिये समुद्र के अन्दर ट्रंक पाइपलाइन के बिछाये जाने और उरान से ट्रोम्बे तक स्थानांतरण लाइन के बिछाये जाने के काम के मई, 1978 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। बम्बई हाई की सम्बद्ध गैस को यथा सम्भव उर्वरक संभरण भंडार के

के रूप में प्रयोग किया जायेगा। उस गैस की जिसका प्रयोग जब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उर्वरक एकक उसको लेने की स्थिति में नहीं और प्रारम्भिक अवधि के दौरान किसी प्रकार की अधिक गैस का अन्तरिम उपाय के रूप में बिजली उत्पादन के लिये किया जा सकता है।

मथुरा तेल शोधक कारखाने में हुई प्रगति

5558. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निवेश की गई पूंजी तथा भौतिक उपलब्धि के रूप में चालू वर्ष के दौरान मथुरा तेल शोधक कारखाने में कितनी प्रगति हुई ;

(ख) कौनसा कार्य अभी आरंभ किया जाना है तथा इसके अन्तिम रूप से पूर्ण किये जाने तक इस प्रयोजन के लिये कितना वित्तीय आबंटन किया गया है ; और

(ग) क्या पर्यावरण संबंधी प्रभाव के बारे में रिपोर्ट देने के लिये गठित विशेषज्ञ समितियों ने स्वीकृति दे दी है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) अप्रैल, 1977 से फरवरी, 1978 तक की अवधि के दौरान मथुरा तेल शोधन शाला परियोजना पर धन के रूप में 35 करोड़ रुपये के स्वीकृत बजट की अपेक्षा 29.99 करोड़ रुपये व्यय हुए। इसी अवधि में 17.5% की सीमा तक वास्तविक उपलब्धि सम्बन्धी प्रगति हो चुकी है।

(ख) सभी काम इस तरीके आरम्भ किये गये हैं कि इस शोधनशाला के वर्ष 1979 के अन्त तक यांत्रिक रूप से पूरा हो जाने और, अप्रैल 1980 तक इसके कार्य आरम्भ वाले लक्ष्य के अनुरूप हो। इस परियोजना पर 195.31 करोड़ रुपये के कुल अनुमानित व्यय की अपेक्षा 28-2-1978 तक 67.97 करोड़ रुपये का वास्तविक खर्च हुआ है। इस परियोजना के लिए वर्ष 1978-79 के लिए 45 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की जा चुकी है और बाकी धनराशि उत्तरवर्ती वर्षों के दौरान आबंटित की जायेगी।

(ग) प्रदूषण के प्रभावों को बिल्कुल कम से कम करने के लिये किये जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और यह सरकार के विचाराधीन है।

सलाया-कोयाली-मथुरा पाइपलाइन का निर्माण

5559. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा तेल शोधक कारखाने की पोषक सलाया-कोयाली-मथुरा पाइपलाइन को बनाने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च हुई है और इसके पूरा होने तक इस पर कुल कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) इस पाइपलाइन को तेल शोधक कारखाने के साथ ही पूरा करने के लिए इस के निर्माण का कार्यक्रम क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) : सलाया-कोयाली-मथुरा पाइपलाइन को तीन खण्डों में बांटा गया है जो इस प्रकार हैं :—

(i) कोयाली-वीरमगम खण्ड (141 किलोमीटर)

(ii) सलाया-वीरमगम खण्ड (275 किलो-मीटर) और

(iii) वीरमगम-मथुरा खण्ड (803 मिली मीटर)

कोयाली-वीरमगम खण्ड का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है जब कि सलाया वीरमगम खण्ड 267 किलोमीटर तक पूरा हो चुका है। दोनों लाइनों, जो जून, 1978 को पूरी होनी हैं, पर हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण किया जा रहा है। वीरमगम मथुरा खण्ड, जोकि मार्च 1980 में पूरा होना है, के सम्बन्ध में कोटेशन प्राप्त हो चुके हैं और शीघ्र ही निर्माण ठेका दिये जाने की सम्भावना है। सम्पूर्ण परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत 233 करोड़ रुपये है जिसमें से लगभग 89 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

Railway Station at Kesholi

†5560. **Shri Chaturbhuj :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a representation has been received for providing a station at Kesholi via Chhabra in Kota district of Rajasthan;

(b) action being taken by the Railway department to provide a flag station there; and

(c) whether the people of the area have fulfilled all the conditions set by Railway; and if so, the reasons for delay?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes.

(b) and (c) : This proposal was examined but the same was not found justified.

Primary Schools in Northern Railway

†5561. **Shri Chaturbhuj :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of primary schools in the Northern Railway and the number of teachers working there in temporary capacity;

(b) the number of such teachers appointed upto 1962 and the steps taken by Government to make them permanent?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) There are 100 Primary Schools on Northern Railway and 39 teachers are working in a temporary capacity.

(b) Out of 39 teachers working in a temporary capacity, 20 were appointed before 1962 and they could not be confirmed for want of permanent vacancies. The review of temporary posts for conversion into permanent ones is a continuous process and the temporary teachers would be confirmed when the long-term posts are converted into permanent posts.

Pay Scales of Railway Teachers

†5562. **Shri Chaturbhuj :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the railway employees are given pay scales as are available to other employees; and if so, the reasons for not giving similar scales to teachers under railways and for practising this discrimination; and

(b) the policy of railways in regard to the pay scales of teachers ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) and (b) Prior to the receipt of the report of the Third Pay Commission, the scales of pay adopted by the Ministry of Education for schools in the centrally administered areas were generally adopted for railway schools also. The Third Pay Commission after taking all factors into account, recommended certain common scales for teachers in schools run by the Ministries of the Government of India including the Railways. These scales have been allotted to teachers in railway schools as well.

Railway employees responsible for accidents

†5563. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news item published in the 'Nav Bharat Times' dated 6th March, 1978 under the Caption Durghatna Ki Jimmedari Rail Karmchariyon Ki (Railway employees responsible for accident);

(b) whether five persons were reported to have been killed in an accident on 14th December, 1977; and

(c) if so, the steps being taken by Government to check it ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) and (b) : Yes.

(c) Measures to reduce the incidence of accidents at manned level crossings include provision of 'Whistle Boards' along the railway line where visibility is restricted requiring the engine drivers to be cautious and whistle while approaching the level crossing; provision of lifting barriers; interlocking of level crossing gates with signals; construction of road over/under bridges in replacement of busy level crossings; educative campaigns among the road users through leaflets, cinema slides, radio talks, etc. Surprise checks are also conducted to ensure that gatemen remain alert on duty and follow the prescribed rules meticulously.

Pollution by Mathura Oil Refinery

5564. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether a Committee was appointed in 1974 to make a study of the pollution to be caused by the Mathura Oil Refinery in Uttar Pradesh;

(b) whether it is a fact that the Ministry has since received the report of the said Committee; and

(c) if so, the salient features thereof ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : Yes, Sir. The Report is under consideration of Government.

गोवा, दमण और दीव में उच्च न्यायालय की बेंच

5565. **श्री अमृत कालर :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमण और दीव में उच्च न्यायालय की एक बैंच स्थापित करने का प्रस्ताव कब से विचाराधीन है ;

(ख) इस प्रश्न पर विचार करते समय क्या कठिनाइयां सामने आई ; और

(ग) यदि कोई कठिनाईयां हैं तो उन्हें हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ग) : अगस्त, 1975 में, गोवा प्रशासन ने भारत सरकार को यह सुचित किया था कि वे उस राज्य क्षेत्र के लिए न तो किसी स्वतंत्र उच्च न्यायालय को और न ही पड़ोसी उच्च न्यायालय की एक स्थायी बैंच को स्थापना के पक्ष में हैं। जून, 1976 में, गोवा, दमण और दीव के मुख्य मंत्री का पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने यह अनुरोध किया था कि उस राज्य क्षेत्र के लिए पड़ोसी राज्य के उच्च न्यायालय की एक बैंच की व्यवस्था की जाए। उन्होंने यह भी लिखा था कि आरम्भ में उच्च न्यायालय की एक सर्किट बैंच को उस राज्य क्षेत्र म कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जाए।

बैंच की स्थापना के प्रश्न में, अन्य बातों के साथ न्यायिक आयुक्त के न्यायालय की प्रणाली को समाप्त करने और विभिन्न प्रकार के परामर्श करने की बात जुडी हुई है। इस विषय पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

Upgradation in various Categories of Posts

†5566. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the percentage of upgradations made in various categories of posts during the past two years;

(b) the percentage of clerks of Ratlam division (Western Railways) amongst them; and

(c) steps taken to bring about uniformity ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (c) : Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Draughtsman and Estimator in one category

†5567. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the reasons for disparity between the posts of Estimator and Draughtsman on the Western Railway when in other zonal railways Draughtsman and Estimator have been kept in one category; and

(b) whether it is a fact that promotee trained T. T. Cs. and Tracer at Mhow on Western Railways have been placed junior to those appointed through direct recruitment and the action taken to give them seniority and fill the vacant posts on the basis of senioriy ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) There is no disparity between the posts of Estimator and Draughtsman on the Western Railway. They are in one seniority unit from 28-8-1975.

(b) Prior to 16-11-61 seniority of Draughtsmen and Estimators was determined on the basis of a roster based on the ratio fixed for direct recruits and promotees. From 16-11-61 seniority is based on the date of joining by direct recruits and the date of promotion in the case of rankers promoted. Seniority of Mhow Trained Staff who were absorbed as Estimators and Draughtsmen according to the availability of vacancies was fixed according to the above criterion.

Clerks in Ratlam Division

†5568. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of clerks falling short in Ratlam Division of Western Railway in accordance with the yardstick therefor and since when;

(b) whether the present yard-stick is justified keeping in view the increasing work load; and

(c) if not, the steps taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) According to a yardstick which was in force on the Western Railway prior to imposition of economy orders, the Ratlam Division had a shortage of 25 clerks since 1956.

(b) and (c) : After the decision not to increase the clerical strength and the imposition of a complete ban on creation of additional posts in such categories, the old yardstick is not being followed. The Western Railway administration is processing proposals for creation of additional clerical posts on merits. If examination, in consultation with the F. A. & C. A. O. establishes that creation of the more posts for the Ratham Division is unavoidable, the approval of the competent authorities will be sought for relaxation of the ban.

Train Conductors between Bombay and Ratlam

5569. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether no arrangement has been made by Ratlam Divisional headquarters to provide train conductors between Ratlam-Bombay and Ratlam-Delhi on the Superfast Jammu Tawi Express trains; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) and (b) : Nos. 171/172 Bombay-Jammu Tawi Superfast Express trains are manned at present by the Train Conductors of Bombay Division between Bombay Central and Kota and by the train Conductors of Kota Division between Kota and Jammu Tawi.

Dacoities in Running Trains

†5570. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Railways** be pleastd to state :

(a) the number of armed dacoities committed in running trains during the past one year under various railway zones;

(b) the number of dacoits the police has been able to apprehend and also to have them punishment awarded; and

(c) the security arrangements made by Government against dacoities in trains ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (c) : Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Proposal for Second Bench of High Court in Western U. P.

†5571. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) wheher Government are of the view that on account of only one High Court at Allahabad for Uttar Pradesh, which is large in size and population, the people in the Eastern part of the State experience great difficulty in undertaking journey to and from Allahabad and the number of cases is so large that expeditious justice is not available to the people;

(b) if so, whether, keeping in view the difficulties of the people, Government would take a decision to set up another High Court in the Western part of the State; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) No such view has been taken by the Government of India.

(b) and (c) : The matter is under consideration.

अतिरिक्त तेलशोधन तथा बाद के परिष्करण के बारे में जांच के लिये अध्ययन दल की नियुक्ति

5572. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री अहमद एम० पटेल :

क्या **पेट्रोलियम, तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छठी योजना के दौरान स्थापित की जाने वाली अतिरिक्त तेल शोधक तथा बाद की परिष्करण क्षमता के बारे में विचार करने के लिये श्री आर०एन० भटनागर की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : समिति की रिपोर्ट मिल गई है और सरकार के विचाराधीन है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली स्टेशन का विस्तार

5573. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का विस्तार करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस विस्तार कार्यक्रम के लिये कितनी धनराशि की आवश्यकता है ; और

(ग) विस्तार का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 3.81 करोड़ रुपये।

(ग) विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा :

क्रम सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
1.	नयी दिल्ली अतिरिक्त यात्री टर्मिनल सुविधाओं की व्यवस्था :— (i) दो धुलाई लाइनों की व्यवस्था (ii) दो ठहराव लाइनों की व्यवस्था (iii) बुकिंग काऊंटरों की व्यवस्था	58.75
2.	नयी दिल्ली—(क) साफ्ट कोयले की सम्हलाई का नया दिल्ली से तुगलकाबाद स्थानांतरण, (ख) फल यातायात का नयी दिल्ली से आजादपुर स्थानांतरण और (ग) सीमेंट यातायात का नयी दिल्ली से शकूरबस्ती स्थानांतरण	114.79
3.	नयी दिल्ली—अतिरिक्त द्वीप प्लेटफार्म और टर्मिनल सुविधाओं की व्यवस्था	207.44

दक्षिण में रेलवे स्टेशनों का विस्तार

5574. **श्री आर० वी० स्वामी नाथन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में बहुत से रेलवे स्टेशनों का विस्तार किये जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इन स्टशनों का विस्तार करने का कार्यक्रम मंत्रालय ने बहुत पहले बनाया था; और

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष में कितने स्टेशनों का विस्तार किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) स्टेशनों की इमारतों में विस्तार/उनके ढांचे में परिवर्तन करने की योजना केवल तभी बनायी जाती है, जब यात्री और पासल यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा सुविधाएं पर्याप्त नहीं समझी जातीं।

(ख) रेल उपयोगकर्ता सुविधा समिति, जिसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं, के साथ परामर्श करके, रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने, आदि के सम्बन्ध में कार्यक्रम तैयार किया जाता है ।

(ग) आशा है कि 1978-79 के दौरान दक्षिण भारत के जिन 15 स्टेशनों पर विस्तार सम्बन्धी प्रमुख योजनाएं शुरू हैं, पूरी हो जायेंगी ।

Crossing of Railway Track near Village 12 TK

†5575. **Shri Bega Ram Chauhan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether people have to cross the railway track near village 12 TK. lying between Raisee, Nagar and Mohannagar stations in Ganganagar, Rajasthan ;

(b) whether farmers carrying their goods in tractors and carts to the market have to cross the railway track where there is no level crossing;

(c) whether in the absence of a level crossing the people of that area are experiencing much difficulty and trucks and carts get stuck up in the track;

(d) whether people of eleven villages apart from village 12 T.K. also cross the track at that point;

(e) whether it is also a fact that a big village named Khuni Motasai is situated between Gasimpur and Zorawarpura stations and its inhabitants have also to cross the railway track while taking their produce and other foods and a level crossing is needed there also; and

(f) if so, whether Government would construct at least unmanned level crossings at the said two places and if so, when?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes.

(b) and (c) : No. There are 2 regular level crossings (which can be used by all types of traffic including vehicular traffic) and 3 'D' class cattle crossings (which are meant for pedestrians and cattle only) available between Raisingh Nagar and Mohan Nagar stations for crossing the tracks.

(d) For them also, the facility of the above level and cattle crossings are available.

(e) Yes, but there are already 6 regular level crossings and 5 'D' class cattle crossings available between Gaj Singhpur and Zorawar Pura stations for the villagers to cross the tracks.

(f) In view of a number of existing level crossings, provision of new level crossings is not necessary. However, as per extant rules, proposals for new level crossings are to be sponsored by the State Government/Local Authority and the cost thereof (both initial and recurring/maintenance) borne by them. The Railway will favourably consider any proposal for a new level crossing sponsored by the State Government/Local Authority together with an undertaking to bear the cost.

Reinstatement of Western Railway employees

†5576. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4711 on 20th December, 1977 regarding employees in Western Railway removed from service during Emergency and state :

(a) whether the 26 employees of Western Railway removed from service during the Emergency have since been reinstated and if not, the reasons therefor and when the 336 other employees out of 463 are likely to be reinstated;

(b) whether these 26 and 336 employees are being paid compensation and if not, the reasons therefor; and

(c) the number of officers found to have misused Emergency powers for issuing retirement and dismissal orders inviolation of rules and the action being taken by Government against them ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) (i) 20 out of 26 employees have since been reinstated and 6 could not be reinstated as they were involved in theft cases.

(ii) As stated in answer to part (c) of Question No. 4711 on 20th December, 1977, no review was contemplated of the 336 cases of removal/dismissal ordered under the normal Discipline and Appeal Rules. On receipt of appeals from some of these employees, 6 of them have been reinstated. In respect of the rest, either their appeals were rejected or they have not so far preferred appeals.

(b) No compensation is due to them under the extant orders.

(c) No officer had been given Emergency powers for issuing removal/dismissal orders in violation of Rules.

Railway Accidents

†5577. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of accidents and the extent of loss of life and property as a result thereof on different Railways separately between the 15th March, 1977 to the 15th March, 1978;

(b) the number of persons held guilty and the number of railway employees among the persons killed indicating the compensation paid to employees as well as to the passengers;

(c) whether enquiries were conducted into those accidents and if so, the number of accidents in respect of which enquiries were conducted and of those in whose case enquiries are pending indicating the number of accidents in respect of which enquiries are complete;

(d) whether it is proposed to lay on the Table of the House reports of the enquiries; and

(e) the number of accidents in respect of which inquiries have not been conducted indicating the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) The number of accidents in the categories of collisions, derailments, level crossing accidents and fires in trains, which occurred on the different Railways during the period 15-3-1977 to 15-3-1978, loss of life and cost of damage to railway property involved therein are as under :—

Railway	No. of accidents	No. of persons killed	Approximate cost of damage to railway property (in Rs.)
Central	112	10	35,72,407
Eastern	52	10	38,89,245
Northern	102	106	97,57,992
North Eastern	82	30	5,27,751
Northeast Frontier	77	87	14,83,686
Southern	92	21	49,03,469
South Central	76	24	25,73,517
South Eastern	131	3	86,64,584
Western	142	24	28,46,977
Total	866	315	3,82,19,628

(b) 766 railway employees were held responsible for these accidents. In these accidents, 30 railway employees were killed. A sum of Rs. 4,38,600 has already been deposited with the Commissioners concerned under the Workmen's Compensation Act, 1923, in the case of 19 railway servants who were killed in these railway accidents while on duty. Out of total number of 387 claims received from the victims of train accidents and their dependents under the Indian Railways Act, 1890 during the period from March, 1977 to March, 1978, 82 claims were settled and compensation to the tune of Rs. 15.99 lakhs approximately paid to the claimants on the basis of the verdict of Ad-hoc Claims Commissioners/Ex-Officio Claims Commissioners.

(c) Out of 866 cases, inquiries were conducted in 854 cases. Inquiries have already been completed in 781 cases and in the remaining 73 cases inquiries are still in progress.

(d) No.

(e) Inquiries were not conducted in 12 cases as their causes were obvious.

Posts of Clerks lying Vacant

†5578. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3748 on 13th December, 1977 regarding vacant posts of LDCs and UDCs in Central Railway and state whether 605 posts of Lower Division Clerks are lying vacant in

Central Railway and if so, the number of posts, out of them, reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the manner in which Government propose to make reservation thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : Out of 605 vacancies, 183 vacancies are to be filled by promotion of Class IV staff and the remaining 422 vacancies constitute the direct recruitment quota. Because of the imposition of a partial ban on filling up of ministerial posts by direct recruitment only 75% of or 317 such vacancies can be filled in that manner. Accordingly the number of vacancies reserved for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes by promotion and by direct recruitment is indicated below :

	Total vacancies that can be filled	Reserved for	
		SC	ST
Promotion from Class IV .	183	28	13
Direct recruitment . .	317	38	32

Against the direct recruitment quota, 57 Scheduled Caste and 57 Scheduled Tribe candidates have been selected by the Railway Service Commission and their names have been communicated to the Divisional Superintendents for processing their appointment. In regard to promotions, the entire quota of 28 vacancies reserved for Scheduled Castes and 7 vacancies out of 13 vacancies reserved for Scheduled Tribes have been filled. Action is in hand to fill the remaining vacancies.

Southern Railway employees reinstated

†5579. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3750 on the 13th December, 1977 regarding Southern Railway employees removed during Emergency and state :

(a) whether the cases of those 14 employees have since been reviewed finally; and

(b) if so, how many of them have been reinstated so far ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Cases of 12 employees have so far been reviewed.

(b) Three employees have since been taken back to duty; in the case of 9 employees, the earlier orders of their dismissal/removal have been upheld.

पठानकोट से दिल्ली और बम्बई के बीच चलने वाली दो गाड़ियां रद्द करना

5580. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पठानकोट-अमृतसर सैक्शन पर पठानकोट से दिल्ली और बम्बई वरास्ता अमृतसर चलने वाली दो गाड़ियां, जनता एक्सप्रैस और दादर एक्सप्रैस, सीधे यात्रियों की कमी और पठानकोट रेलवे स्टेशन पर लम्बी दूरी की गाड़ियों के रख-रखाव सम्बन्धी प्रबन्धों के अपर्याप्त होने के कारण रद्द कर दी गई थीं;

(ख) क्या यह सच है कि पठानकोट-अमृतसर सैक्शन रेल यात्री संघ ने रेलवे अधिकारियों को अपने अभ्यावेदन में बताया था कि वे गाड़ियां इस कारण से रद्द की गई कि ये बहुत विलम्ब से चलती थी जिसके परिणामस्वरूप जनता द्वारा बहुत शिकायत की जाती थी ;

(ग) क्या पठानकोट से जम्मूतवी के बीच रेल लाइन बिछ जाने के बाद लम्बी दूरी की गाड़ियों के रख-रखाव संबंधी कार्य का उत्तरदायित्व अब जम्मूतवी स्टेशन का हो गया है;

(घ) क्या यह सच है कि पठानकोट-अमृतसर सैक्शन रेल यात्री संघ ने इन गाड़ियों को बहाल करने के लिय रेल प्राधिकारियों को अनेक ज्ञापन भेजे हैं ;

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कारवाई की गई है; और

(च) यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो उसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) यातायात बहुत कम होने के कारण अमृतसर-पठानकोट खण्ड पर 45 अप/46 डाउन जनता एक्सप्रेस और 57/58 एक्सप्रेस गाड़ियों का चलना बन्द कर दिया गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

(ङ) और (च) : अमृतसर-पठानकोट खण्ड पर लाइन क्षमता की कमी होने के कारण 45 अप/46 डाउन जनता एक्सप्रेस और 57 अप/58 डाउन एक्सप्रेस गाड़ियों को पठानकोट तक बढ़ाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है । इन गाड़ियों के विस्तार के लिए पर्याप्त यातायात औचित्य भी नहीं है।

पेट्रो रसायनों के लिये बम्बई हाई गैस

5561. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई हाई से प्राप्त गैस के पेट्रो-रसायन के रूप में शीघ्र प्रयोग के लिये कोई प्रस्ताव तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में बम्बई हाई को गैस किस प्रकार वितरित किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) : पेट्रो-रसायन के लिए बम्बई होई गैस का उपयोग का प्रश्न जिसके अन्तर्गत इस उद्देश्य के लिए स्थापित की जाने वाली प्रायोजना के ब्यौरे, उनका स्थान आदि सम्मिलित है, अभी सरकार के विचाराधीन है ।

सैलूनों का जोनवार विकास

5582. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न जोनों में सैलूनोंकी संख्या इस समय कितनी है;

(ख) एक सैलून के निर्माण पर कितनी लागत आई थी; और

(ग) इन सैलूनों का किस प्रकार उपयोग किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) भारतीय रेलों पर केवल चार सैलून हैं।

(ख) ये सैलून बहुत पुराने हैं और प्रत्येक के निर्माण की अनुमानित लागत 1.5 लाख रुपये थी।

(ग) दो सैलून भारत के राष्ट्रपति के उपयोग के लिए, एक भारत के प्रधान मंत्री के लिए और एक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के लिए है।

रेल, सड़क और जल परिवहन व्यवस्थाओं का समन्वय

5583. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग रेल, सड़क और जल परिवहन-व्यवस्थाओं के बारे में एक समन्वित नीति बनाने के लिए किसी दल को नियुक्त करने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो यह दल कब नियुक्त किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित उच्च स्तरीय समिति के गठन तथा विचारार्थ विषयों को योजना आयोग सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से अन्तिम रूप दे रहा है।

सुरिनसर में खुदाई कार्य

5584. श्री बलदेव सिंह जसरोतियां : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री सुरिनसर (जम्मू और काश्मीर) में खुदाई कार्य पर हुए खर्च के बारे में 15 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न सं० 275 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुदाई कार्य के लिए अपेक्षित उपयुक्त मशीनरी, प्रौद्योगिकी आदि प्राप्त करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है और सुरिनसर में खुदाई कब तब शुरू हो जायेगी;

(ख) इस बारे में किन-किन देशों से सम्पर्क किया गया है और उनका क्या उत्तर है; और

(ग) क्या यह सच है कि सुरिनसर में इस कार्य को शुरू करने में कोई तकनीकी दोष नहीं है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) : उच्च दाव पर और ताप कुयें की खदाई करने के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) से अपेक्षित सुविक्षता और तकनीकी जानकारी की सहायता के लिये पहल की है जैसे कि सुरिसर क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खोदे गये प्रथम कुयें में पाया गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और इस प्रस्ताव के लिये विभिन्न देशों से उपयुक्त विशेषज्ञ मनोनीत करने के लिये कहा है। क्षेत्रों में व्यधन कार्य पुनः आरम्भ करने के प्रश्न की जांच तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को उपयुक्त विशेषज्ञ तथा प्रौद्योगिकी प्राप्त होते ही की जायेगी।

रेल दुर्घटना जांच समिति का प्रतिवेदन

5585. श्री पी० के० कोडियन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल दुर्घटना जांच समिति ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी अब तक कितनी बैठकें हुई हैं और प्रत्येक बैठक की तारीख क्या है; और

(ग) समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) समिति की पहली बैठक 27-3-78 को हुई थी ।

(ग) समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, उसके काम शुरू करने की तारीख से छः महीने का समय दिया गया है ।

Reservation staff at Ganganagar

†5586. **Shri Bega Ram Chauhan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the strength of railway reservation and booking staff at Sri Ganganagar (Rajasthan) is only two which is inadequate to cope with the rush of reservation work there;

(b) whether such staff strength at Bikaner is four; and

(c) whether there are 14 railway coaches in all at Sri Ganganagar for which the staff has to make reservations and at least four employees are necessary to do the work and if so, whether the staff strength will be increased to four and if so, by what time ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes.

(b) Five Enquiry-cum-Reservation Clerks have been provided at Bikaner.

(c) Yes. Proposal for creation two more posts of Enquiry-cum-Reservation Clerks at Sri Ganganagar is being processed by the Railway administration.

Stoppage of Assam Mail at Sahebpur Kamal Junction

†**5587. Shri Ram Vilas Paswan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether 4 Up and 3 Dn Assam Mail used to stop at Sahebpur Kamal Junction on the N. E. Railway for the last many years;

(b) whether it does not stop at this junction now as per order of his Ministry; and

(c) whether Government propose to provide a stop for this train at the said station in deference to the wishes of the people ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes, prior to 1-10-1977.

(b) and (c) : Stoppages of 3/4 Assam Mails have been provided at Sahebpur Kamal Junction with effect from 1-4-1978.

Cases under M. R. T. P. Act against Industrial Groups

5588. **Shri Ram Kishan** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of industrial groups against which cases were filed under the provisions of Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 and whether a list of industries against which action was taken after investigations will be laid on the Table; and

(b) whether some cases under the said Act were withdrawn even before the completion of inquiry and if so, the list thereof together with the reasons therefor ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) The term "Industrial Groups" is not defined in the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969. According to the present industrial policy all undertakings which by themselves or together with their connected undertakings have assets not less than Rs. 20 crores or are dominant undertakings are covered under the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act. It is presumed that the reference to "industrial groups" refers to undertakings registered under the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969. In terms of sections 10, 27 and 31 of the Act, 288 references have been made to the M. R. T. P. Commission for enquiry. The list is annexed at Annexure A.

(b) Yes, Sir. In one case on a representation made by the party, the reference made to the Commission was rescinded. A copy of the Central Government Order rescinding the reference made to the Commission is annexed at Annexure B. **[Placed in Library. See No. L. T. 2017/78]**

जयन्ती ऐक्सप्रेस का नागपुर के निकट पटरी से उतरना

5589. **श्री जी० एम० बनतवाला** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 16 मार्च, 1978 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित यह समाचार देखा है जिसमें यह कहा गया है कि जयन्ती एक्सप्रेस नागपुर के निकट पटरी से उतर गयी थी;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का कारण क्या है;

(ग) जान एवं माल की अनुमानत: कितनी हानि हुई ; और

(घ) क्या इस बीच कोई जांच की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) दुर्घटना के कारण का पता लगाया जा रहा है ।

(ग) यात्रियों या गाड़ी कर्मीदल में से कोई जन-हानि नहीं हुई थी। लेकिन, एक गैंगमैन जो उस स्थान पर काम कर रहा था मारा गया। रेलवे सम्पत्ति की क्षति की लागत का अनुमान लगभग 3,30,000 रुपये लगाया गया है।

(घ) वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों की एक समिति द्वारा इस दुर्घटना की जांच की जा रही है।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स एंड कम्पनी लि० के मुख्य कार्यालय को कलकत्ता से स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव

5590. **श्री समर गुह :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर एंड कम्पनी लि० के मुख्य कार्यालय को कलकत्ता से स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव के विरोध में उन्हें कोई अभ्यावेदन दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि० नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० के मुख्यालय अभी दिल्ली में है उनके अन्तिम स्थिति का प्रश्न सरकार के जांचधीन है।

मैसर्स बी० ए० एस० एफ० इंडिया लि०

5591. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० ए० एस० एफ० इंडिया लि० ने जो एक बहुराष्ट्रीय रसायन कम्पनी है, भारत में अपनी गतिविधियों को बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या चमड़ा-रसायन बनाने के लिए दो नय एकक इस वर्ष स्थापित करने के लिए उक्त कम्पनी को अनुमति दे दी गई हैं, और

(ग) यदि हां, तो किस आधार पर ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : देश में चर्म रसायनों के लिए अनुमानित मांग और स्थापित क्षमता के बीच में बहुत बड़े अन्तर को ध्यान में रख कर कम्पनी को 1977 में चमड़ा उद्योग द्वारा अपेक्षित फैट-लिकर्स, बाईडर्स, टेनिंग एजेंट्स और फिनिशिंग एजेंट्स के उत्पादन के लिए दो आशय पत्र मंजूर किए गए है। कम्पनी को, कृषि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ कीटनाशी अर्थात् बावास्टिन बेसलिन के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंस भी दिया गया है।

केरल के मल्लापुरम जिले के अन्तर्गत स्टेशन

5592. **श्री जी० एम० बनतवाला** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के मल्लापुरम जिले में रेलवे स्टेशनों की असंतोषजनक स्थिति तथा उनमें सुधार नवीकरण करने और वहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता की जानकारी है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) और (ख) : केरल राज्य के मालापुरम जिले में स्थित रेलवे स्टेशनों पर उन सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था है, जो यात्रियों के आराम के लिए अपेक्षित है। इन सुविधाओं में वृद्धि/सुधार, जहां अपेक्षित हो, रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति के अनुमोदन से तथा धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

हिन्दी सलाहकार समिति

5593. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है और यदि हां, तो कब;

(ख) उस समिति के सदस्यों के नाम क्या है ;

(ग) क्या उक्त पुनर्गठित नयी समिति की कोई बैठक हुई थी;

(घ) यदि उक्त समिति अब तक पुनर्गठित नहीं की गई हो तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ.) यह कब तक निश्चित रूप से पुनगठित की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, 9-12-77 से।

(ख) एक सूची संलग्न है।

(ग) जी हां, 27-1-1978 को।

(घ) और (ङ.) : प्रश्न : नही उठता।

रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची

सरकारी सदस्य :

1. रेल मंत्री, अध्यक्ष
2. रेल राज्य मंत्री, उपाध्यक्ष
3. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड
4. वित्त आयुक्त, रेलवे बोर्ड
5. यांत्रिक सदस्य, रेलवे बोर्ड
6. यातायात सदस्य, रेलवे बोर्ड
7. सचिव, रेलवे बोर्ड

8. सचिव, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)
9. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)
10. अध्यक्ष, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग
11. निदेशक, राजभाषा, रेलव बोर्ड (सदस्य सचिव)

संसद सदस्य :

1. श्री मदन तिवारी, संसद सदस्य
2. श्री सी० एम० सिन्हा, संसद सदस्य
3. श्री भोला प्रसाद, संसद सदस्य
4. श्रीमती कुनुदबेन जोशी, संसद सदस्य

गैर-सरकारी सदस्य :

1. श्री गंगाशरण सिंह
2. डा० अनुज कुमार धान
3. श्री प्रभात शास्त्री
4. श्री गो० प० नेने
5. श्री बशीर अहमद मयूख
6. श्री सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन
7. श्री बदरी विशाल पित्ती
8. डा० भोलानाथ तिवारी
9. श्री विजयदेव नारायण साही
10. डा० नामवर सिंह
11. श्री वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य
12. श्री कमलेश शुक्ल
13. श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना
14. श्री नारायण दत्त
15. श्री किशन पटनायक
16. डा० रघुवंश
17. श्री आरिगपूडि रमेश चौधरी
18. श्री निर्मल वर्मा
19. डा० दाउजी गुप्त
20. डा० रमेश कुन्तल मेघ
21. प्रो० रमेश चन्द्र शाह

Fruit, sweet and tea stalls

5594. **Shri H. L. P. Sinha :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to give contract to unemployed graduate children of freedom fighters for running fruit, sweet and tea stalls at each junction; and

(b) if so, when and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) and (b) : The Cooperative Societies of unemployed graduates and freedom fighters are already being given preference in the allotment of catering/vending contracts. The main consideration in allotting catering/vending contracts is to give satisfactory service to passengers. As such the candidates are required to have necessary experience, financial stability, etc. It is, therefore, not possible to give preference to individual unemployed graduate children of freedom fighters.

Sale of railway ticket

†5595. **Shri H. L. P. Sinha :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the sale of railway tickets at the Jahanabad court station in Gaya district in Bihar State is more as compared to that of the stations falling between Gaya and Patna;

(b) whether Government propose to make arrangements for 1st class retiring room and drinking water tank/overhead tank at the Jahanabad court station and if so, by what time; and

(c) whether Jahanabad is a sub-division and all the courts are situated by the side of the station ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) No.

(b) There is no proposal for provision of a retiring room at this station. One Tubewell with overhead tank has been provided for drinking water.

(c) Yes.

टंकियों की आवा-जाही में देरी के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की कमी

5596. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टंकियों की आवा-जाही में देरी के कारण समूचे देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी है;

(ख) क्या मिट्टी तेल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की अनुपलब्धता के कारण उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा है जिससे भारी नुकसान हुआ है;

(ग) क्या पेट्रोलियम की इस कमी के कारण देश में वाहनों का आवागमन भी बहुत अस्त-व्यस्त हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा विवरण क्या है और समूचे देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई पुनः सामान्य करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (घ) : संभरण करने वाले स्थलों में उत्पादों की कमी तथा टैंक वैगनों की उपलब्धता में कुछ समस्याओं के कारण नवम्बर-डिसम्बर, 1977 में पेट्रोलियम उत्पादों के अपर्याप्त परिवहन के कारण कुछ कठिनाईयां उत्पन्न हो गई थी। इसके फलस्वरूप डिपो स्टाक कम हो गये थे और कुछ स्थानों में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता में कठिनाईयां उत्पन्न हो गई थी। जनवरी, 1978 में टैंक वैगनो की समस्त प्रक्रिया में महत्व पूर्व सुधार हुआ था और फरवरी में टैंक वैगनों की आवागमन क्रिया को मन्द नहीं कहा जा सकता यद्यपि थोड़े समय के लिये उपलब्धता की अस्थायी समस्याएं रहीं हैं। परन्तु यह ऐसी नहीं थी जिससे गाड़ियों के आने जाने में अव्यवस्था उत्पन्न हुई हो या उद्योगों पर अत्याधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। रेलवे डिब्बों की क्रिया का दैनिक मानटरिंग शोधनशालाओं तथा प्रमुख स्थापनाओं में दिन रात डिब्बों में माल भरे जाने, उत्पादों के लाने ले जाने को प्रणाली को और युक्तिसंगत बनाने, बड़े पैमाने पर उत्पादों के सड़क परिवहन जैसे कई उपाय किये गये हैं जिससे पेट्रोलियम उत्पादन की उपलब्धता में सुधार हो और मांग की पूर्ति को पूर्ण किया जा सके।

Monthly Wages for Commission Vendors

5597. **Shri H. L. P. Sinha:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to fix monthly wages for commission vendors and stall keepers of all the railways and if so, when and if not, the reasons therefor;

(b) whether they are also proposed to be given all the facilities available to other railway employees; and

(c) whether facility of residential accommodation or house rent allowance is also proposed to be given to these Commission Vendors and Stall Keepers ?

The Minister of State in the Minisery of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (c) : No. Commission vendors are engaged in departmental catering units on commission basis for sale of edibles at railway stations. They are paid commission as percentage of sales effected by them. It is not proposed to absorb them as regular railway employees.

पश्चिम बंगाल में नई रेल लाइनें

5598. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार के परिवहन मंत्री ने कुछ समय पूर्व उन्हें एक पत्र लिखा था जिसमें पश्चिम बंगाल में बहुत सी नई रेल लाइनों का निर्माण शुरू करने और वर्तमान लाइनों का विस्तार करने का अनुरोध किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) उपरोक्त प्रतिवेदन पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : निम्नलिखित प्रस्ताव रखे गये हैं। इस बारे में प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति उस परियोजना के सामने दिखायी गई है :—

रेलवे लाइन का नाम	वर्तमान स्थिति
1. हवड़ा-शियखला	यह एक स्वीकृत परियोजना है। धन की सीमित उपलब्धता के कारण अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है।
2. हवड़ा-आम्ता, चम्पाडांगा	निर्माण कार्य जारी है। अभी तक इस परियोजना पर 90 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं और 1978-79 के बजट में 40 लाख रुपये के खर्च की व्यवस्था की गयी है।
3. केनिंग-गोलाबाड़ी 4. लक्ष्मीकान्तपुर-काकर्दुवीप 5. हसनाबाद-हाथगाछा (प्रतापदित्य नगर) 6. केनिंग-हाथगाछा 7. सोनारपुर-धमखाली	संसाधनों की कमी और सीमित यातायात की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, इस समय इन लाइनों के निर्माण का कार्य शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
8. बजबज-नामखाना	अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण को 1978-79 के बजट में सम्मिलित कर लिया गया है।

मारुति लिमिटेड से मैसर्स कोहिनूर मिल्स को राशि का अन्तरण

5599. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि 1972-73 में मारुति लिमिटेड से 40 लाख रुपये मैसर्स कोहिनूर मिल्स को अन्तरित किये गये थे और उसके बाद इस राशि का पुनः अन्तरण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) : कम्पनी कार्य विभाग को इस प्रकार के कोई आरोप प्राप्त नहीं हुये हैं। तथापि, सरकार को सूचित हुआ है कि 26-2-1973 को मै० मारुति लिमिटेड ने मे० कोहिनूर मिल्स लिमिटेड को टेलीग्राफिक अन्तरण के माध्यम से 10 लाख रु० की राशि विग्रेषित की। यह राशि कोहिनूर मिल्स लिमिटेड द्वारा तीन मास की अवधि तक 8 प्रतिशत ब्याज की दर से जमा धन के रूप में अपने पास रक्खी गई थी, तथा 26-5-1973 को उक्त कम्पनी ने ब्याज के 15,800 रु० सहित, मारुति लिमिटेड को वापिस कर दी।

Private houses near Tata Nagar station

5600. **Shri R. P. Sarangi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether private houses have been constructed on the land near Tata Nagar station on South Eastern Railway by unauthorised occupation of this land on a large scale and these houses have been rented out;

9—123 L. S. S. (ND)/78

(b) whether it is a fact that Government servants have encouraged unauthorised occupation of railway land; and

(c) if answers to parts (a) and (b) above be in the affirmative, whether Government would evict the unauthorised occupants therefrom ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) During the last one year, 85 temporary structures have been unauthorisedly constructed on railway land near Tata Nagar Railway Station. It is not known whether any of the structures have been rented out by persons who have constructed them.

(b) No.

(c) Action to evict these persons under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act of 1971 has been initiated.

Railway Passes

†5601. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2797 on the 6th December, 1977 regarding passes issued by Ministry of Railways and state :

(a) whether the requisite information in respect of railway passes has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for delay ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) and (b) : The information has since been furnished to the Department of Parliamentary Affairs for being laid on the Table of the House.

(c) Does not arise.

विदेशी कम्पनियों की शाखायें तथा सहायक कम्पनियां

5602. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960-61, 1970-71, 1975-76 और 1976-77 में भारत में कार्यरत विदेशी कम्पनियों की (एक) शाखाओं और (दो) सहायक कम्पनियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इन कुल कम्पनियों में से बहुराष्ट्रीय निगमों की संख्या कितनी है ;

(ग) 1960-61, 1970-71, 1975-76 और 1976-77 में इन (एक) शाखाओं और (दो) सहायक कम्पनियों की कुल आस्तियां और लाभ क्या हैं ; और

(घ) कुल आस्तियों और लाभ में बहुराष्ट्रीय निगमों का अंश क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) : भारत में 1970-71; 1975-76 तथा 1976-77 के वर्षों में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों की शाखाओं की कुल संख्या क्रमशः 543, 481 व 482 थी। देश में 1960-61 के वर्ष में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों की

शाखाओं की संख्या की बाबत सूचना उपलब्ध नहीं है। 1970–71 तथा 1975–76 के वर्षों में भारत में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों की सहायकों की संख्या क्रमशः 217 व 171 थी। देश में 1960–61 व 1976–77 के वर्षों में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों सहायकों की संख्या की बाबत सूचना उपलब्ध नहीं है।

विदेशी कम्पनियों की भारतीय शाखाओं की मूल कम्पनियों तथा भारतीय सहायक कम्पनियों की विदेशी धारिता कम्पनियों, भारत में कार्य कर रही बहुराष्ट्रीय निगम माने जाते हैं। इस आधार पर 1975-76 के वर्ष में 481 शाखाओं तथा 171 सहायक कम्पनियों के माध्यम से देश में 618 बहुराष्ट्रीय निगम कार्यरत थी। यह संख्या इस कारण थी कि भारत में कुछ बहुराष्ट्रीय निगमों की शाखाएं तथा/या, एक या अधिक, सहायक कम्पनियां, दोनों ही थीं।

(ग) विदेशी कम्पनियों की शाखाओं तथा सहायकों की कुल परिसम्पत्तियां, तथा करपूर्व लाभ 1970–71 तथा 1975–76 के वर्षों के उपलब्ध हैं। इस बाबत ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

	शाखायें		सहायक कम्पनियां	
	1970–71	1975–76	1970–71	1975–76
1. भारत में परिसम्पत्तियां	1468.6 (522)	1762.2 (259)	1078.1 (217)	1613.9 (161)
2. कर पूर्व लाभ	52.0 (522)	57.9 (259)	149.9 (217)	219.5 (161)

कोष्टकों में दिये गये अंक उन कंपनियों की संख्या के द्योतक है, जिनसे यह आंकड़े सम्बन्धित हैं।

(घ) विदेशी कम्पनियों की भारतीय शाखाओं की सभी परिसम्पत्तियां तथा लाभ, उनकी मूल विदेशी कम्पनियों अर्थात् बहुराष्ट्रीय निगमों, की होती है।

विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियों के मामले में, भारतीय सहायक कम्पनी की परिसम्पतियों तथा लाभों में विदेशी धारिता कम्पनी (अर्थात् बहुराष्ट्रीय निगम) का भाग, इसकी भारतीय सहायक कम्पनी में इसके द्वारा धारित, प्रदत्त पूंजी के अनुपात से होता है। अपनी भारतीय सहायक कम्पनियों की परिसम्पत्तियों तथा लाभों में बहुराष्ट्रीय निगमों का भाग, कुल मिलाकर, 1970–71 के वर्ष में 65.6 प्रतिशत तथा 1975-76 में 62.8 प्रतिशत गिना गया था।

अतारांकित प्रश्न संख्या 14, दिनांक 21-2-1978 के उत्तर का शुद्धि करने वाला विवरण

STATEMENT CORRECTING ANSWERS TO USQ NO. 14, DATED 21-2-78

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : महोदय, ऊपर निर्देशित प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में भेजे गये विवरण-पत्र 2 की क्रम संख्या 41 में दिये गय, मदुरा कोट्स,

[श्री शान्ति भूषण]

औद्योगिक घराने के सम्मुख, 1972 के वर्ष में करोड़ रु० में परिसम्पत्तियों का मूल्य 9.63 दिखलाया गया था। इस घराने के भूतपूर्व उपक्रमों में से मदुरा मिल्स लिमिटेड नामक एक उपक्रम को इस विशेष घराने की परिसम्पत्तियों के मूल्य को संकलन करने में सम्मिलित न करने के तथ्य के कारण, विवरण-पत्र में प्रदर्शित 9.63 करोड़ रु० के आंकड़े अशुद्ध है। इस घराने की 1972 के वर्ष की परिसम्पत्तियों के मूल्य के शुद्ध आंकड़े 34.52 करोड़ रु० होना चाहिये। इसी के परिणाम स्वरूप, 1972 से 1975 में प्रतिशत वृद्धि 484.9 के स्थान पर 63.2 होनी चाहिये। अब विवरण-पत्र में सम्बन्धित पंक्ति कृपया इस प्रकार शुद्ध की जाय :—

क्रम सं०	औद्योगिक घराने का नाम	परिसम्पत्तियां (करोड़ रु०)		1972 से 1975 में प्रतिशत वृद्धि
		1972	1975	
41.	मदुरा कोट्स लि०	34.52	56.33	63.2

हैदराबाद तथा सम्भल (मूरादाबाद) की घटनाओं के बारे में
RE : INCIDENTS IN HYDERABAD AND SAMBHAL (MORADABAD)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : मैं हैदराबाद में उत्पन्न स्थिति की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहाँ पर संवैधानिक तरीके से प्रशासन नहीं चलाया जा रहा है। 42 घन्टे का कर्फ्यू लगा दिया गया है...

अध्यक्ष महोदय : आपने कोई नोटिस तो दिया नहीं है... **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : 42 घन्टे का कर्फ्यू लगा दिया गया है। नौ व्यक्ति गोली से मार दिये गये हैं। अनेक महिलाओं के साथ पुलिस द्वारा बलात्कार किया गया। संसद् खामोश रह कर इसे नहीं देख सकती है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रशासनिक तन्त्र के फेल होने के सम्बन्ध में नोटिस दीजिये।

Shri Ugrasen (Deoria): We have given a notice for adjournment motion. **(Interruptions).**

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई व्यक्ति नोटिस देता है तब... **(व्यवधान)**

श्री उग्रसेन : **

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में न रखा जाये। मैं स्थिति की गम्भीरता को समझता हूं। मैं नोटिस की जांच करूंगा और यदि वास्तव में वहाँ ऐसी स्थिति है तो... **(व्यवधान)** ... कृपया एक समय पर एक ही सदस्य बोले।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
**Not recorded.

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, हैदराबाद और सिकन्दराबाद में संवैधानिक रीति से प्रशासन को चलाना असम्भव हो गया है और हैदराबाद में तो असैनिक प्रशासन भी फेल हो गया है। और उपद्रवों को समाप्त करने के लिये सेना को बुलाना पड़ा है। पुलिस ने गोली चलाई जिसमें 9 व्यक्ति मारे गये है और 42 घन्टे का कर्फ्यू लगा दिया गया है। रेले नहीं चल रही हैं। जन सम्पदा का विनाश किया जा रहा है। वहाँ आतंक फैला हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों का क्या हुआ क्योंकि वहाँ महिलाओं के साथ पुलिस ने बलात्कार किया बताते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु, आपका नोटिस मेरे सामने है आप नियम 377 के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग कर रहे है।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : श्री उन्नीकृष्णन ने नियम 193 के अन्तर्गत नोटिस दिया है। हम हैदराबाद और मुरादाबाद दोनों पर बहस चाहते है क्योंकि वहाँ अल्पसंख्यक मारे गये है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में सोचूंगा . . . (**व्यवधान**)

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है महोदय।

अध्यक्ष महोदय : एक ही समय में व्यवस्था के कितने प्रश्न उठाये जायेंगे, श्रीमती शान्ति देवी ने भी व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

Shrimati Shanti Devi (Sambhal) : I want to raise a point of order. This has happened in my area. It is a very grave incident. It has happened twice in two years....

अध्यक्ष महोदय : मेरी कठिनाई यह है . . . (**व्यवधान**) . . . मैं आप सब लोगों की बात एक ही समय में नहीं सुन सकता हूं। श्री कंवर लाल गुप्त, आप का व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री कंवर लाल गुप्त : I have given a calling attention notice. I visited Hyderabad. Army was called to quell the riots there. There has been a constitutional breakdown there. No machinery is working there. It comes under the purview of the House.

वहाँ सेना और सी०आर०पी० को बुलाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : कमजोर आवाज को सुना जाना चाहिय। किन्तु ऐसा नहीं किया जाता है . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री सौगत राय : चाहे यह हैदराबाद हो अथवा मुरादाबाद हो, हमारा कहना तो यह है कि देश के अल्पसंख्यकों की रक्षा करना केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है। इन दोनों स्थानों पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किये गये ह। सदन में इस विषय पर बहस की जानी चाहिये . . . (**व्यवधान**) . . .

अध्यक्ष महोदय : चूंकि सदस्य उत्तेजित हो रहे है अतः हम सदन को 15 मिनट के लिय स्थगित कर देते हैं।

तत्पश्चात् लोक सभा स्थगित हुई।
The Lok Sabha then adjourned.

लोक सभा 12.34 म०प० बजे पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled at Thirty-four minutes past Twelve of the clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शान्ति भूषण) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी (निक्षेप स्वीकृति) संशोधन नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 30 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सं०नि० 200 (ङ) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। एल० टी० संख्या –1984/78]**

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वर्ष 1978-79 के लिए शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या–1985/78]**

(2) वर्ष 1978-79 के लिए संस्कृति विभाग के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या–1986/78]**

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : मैं आयात-निर्यात नीतियों और प्रक्रियाओं सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हुं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या –1987/78]**

पेट्रोलियम और रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : म उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अकार्बनिक

रसायन उद्योग विकास परिषद् वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या–1988/78]**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): मैं वर्ष 1978-79 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या–1989/78]**

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरसिंह यादव) : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० आ० 167 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 8 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा संसदीय तथा विधान सभायी निर्वाचन क्षेत्र परसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची 7 में वर्णित निर्वाचन क्षेत्रों के स्वरूप में कतिपय शुद्धियां की गई हैं, सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या–1990/78]**

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :–

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1967-77 का प्रतिवेदन, संघ सरकार (डाक और तार) **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या–1991/78]**

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1976-77 का प्रतिवदन, संघ सरकार (रेल) **(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या–1992/78)**

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1976-77 का प्रतिवेदन, संघ सरकार (रक्षा सेवायें) **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या–1993/78]**

(चार) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1976-77 का अग्रिम प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल) **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या–1994/78]**

(2) वर्ष 1976-77 के लिए विनियोग लेखे, डाक और तार (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या–1995/78]**

(3) वर्ष 1976-77 के लिए विनियोग लेखे, रेल, भाग 1--समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(4) वर्ष 1976-77 के लिए विनियोग लेखे, रेल भाग 2--विस्तृत विनियोग लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये एल० टी० संख्या-1996/78]

(5) वर्ष 1976-77 के लिए ब्लाक लेखे (ऋण लेखे समेत पूंजी विवरणों सहित), तुलन पत्र और लाभ तथा हानि लेखे, रेल (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये एल० टी० संख्या-1997/78]**

(6) वर्ष 1976-77 के लिए रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे तथा तत्सम्बन्धी वाणिज्यिक परिशिष्ट (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये एल० टी० संख्या-1998/78]**

(7) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 181 (ड) जो दिनांक 22 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 393 जो दिनांक 25 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये एल० टी० संख्या-1999/78]

(8) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 193(ड) (हिन्दी अथवा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति, जो दिनांक 27 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये एल० टी० संख्या-2000/78]**

(9) अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना संबंधी समझौते (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये एल० टी० संख्या-2001/78]**

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

68वां प्रतिवेदन

श्री गौरी शंकर राय (गाजीपुर) : महोदय, मैं संघ उत्पाद शुल्क, 1971-72 से सम्बन्धित लोक लेखा समिति के 177 वे प्रतिवदन (पांचवीं-लोक सभा) में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 68 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

11वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री के० पो० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : मैं प्राक्कलन समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूँ :

(1) स्वास्थ्य और परिवार, कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) अन्धता निवारण तथा नियंत्रण पर ग्यारहवां प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

7वां प्रतिवेदन

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 7 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

नियम 377 के अधीन मामले
MATTERS UNDER RULE 377

(एक) गर्भ निरोधक टीके

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत इस सदन का ध्यान हमारे परिवार नियोजन कार्यक्रम को लगे गहरे धक्के की ओर दिलाना चाहता हूँ । जब से श्री राजनारायण ने स्वास्थ और परिवार नियोजन मन्त्रालय का कार्यभार संभाला है परिवार नियोजन कार्यक्रम ठप्प पड़ गये है ।

हमारे देश में 1973 में दिल्ली में गर्भ निरोधक टीकों का आविष्कार हुआ था । इससे अतिरिक्त बम्बई में टाटा मेमोरियल सेंटर में भी इसका आविष्कार किया गया था । किन्तु अब काफी परीक्षण के बाद पता चला है कि जिन 6 महिलाओं के यह टीके लगाये गये थे उनमें से 5 महिलायें गर्भवती हो गई है । इसके अतिरिक्त टाटा मेमोरियल सेंटर में एक और टीके का आविष्कार हुआ है । यदि उस टीके को चूहे पर लगाया जाय तो उससे उन चूहो पर कैंसर हो जायगा । ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि अब इसमें और खोज न की जाय । अतः स्वास्थ्य मन्त्रालय को गर्भ निरोधक टीकों के इस मामले पर तत्काल ध्यान देना चाहिये और एक समिति का गठन करना चाहिये ताकि इस सम्बन्ध में जो खोज की जाय उसका भली भांति परीक्षण किया जाये ।

(दो) दूर तक मार करने वाले विमानो की खरीद का समाचार

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत इस सभा और सरकार का ध्यान लोक महत्व के मामले की ओर दिलाना चाहता हूँ। सरकार जल्दी ही दूर तक मार करने वाले विमानों को खरीद करने जा रही है और यहाँ एक कारखाने की स्थापना भी की जायेगी जो कि शुरू में आयातित कल पुर्जों से उन विमानों का निर्माण करेगा और फिर धीरे धीरे उनका निर्माण देश में होने लगगा ।

यह सौदा काफी बड़ा होगा। विमान खरीदने तथा कारखाना स्थापित करने पर 1500 करोड़ रुपय होगा ।

सबसे बढ़िया चयन करने के लिये मंत्रिमंडल ने एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की है जोकि इस मामले में विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगा। चूंकि समिति का काम चल रहा है और इसने अभी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है किन्तु कुछ विदेशी समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि सरकार ने पहले ही चयन कर लिया है। यदि प्रतिवेदन प्रस्तुत कर भी दिया जाये तो भी यह बहुत ही खराब बात होती कि इस बारे में विदेशी लोगों को पता चल जाये और हमारे देशवासियों और संसद को इसका पता न चले।

दिल्ली में इस समय कई अफवाहें चल रही है कि इस पक्ष अथवा उस पक्ष से यह सौदा करने के लिय प्रभाव डाला जा रहा है। इन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, मेरा मुख्य उद्देश्य सरकार तथा सभा को इस मामले में पैदा हो रही बातों के प्रति सावधान करने का है ।

प्राय: यह देखा जाता है कि ऐसे सौदों में कमीशन तथा वर्धक व्ययों को कम्पनियाँ अपने सामान्य सौदों का एक अंग समझती हैं। यद्यपि यह गैर-सरकारी एजेन्सी को उपलब्ध हो सकती है जोकि गैर-सरकारी कम्पनी से सौदा करने में मदद करती है किन्तु दोनो देशों के सरकारी उपक्रमों की बीच होने वाली सौदों के बारे में यह स्पष्ट घोषणा हो जाती है कि कोई भी धनराशि ऐसी नहीं दी गई है जिसे रिश्वत का धन कहा जाये ।

श्री सौगत राय : यह बहुत ही गम्भीर मामला है और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। सभा के उपनेता ने यह बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला उठाया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला नियम 377 के अधीन उठाया गया है अत: इस पर बहस नहीं की जा सकती ।

श्री सौगत राय : **

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाये। मुझे उचित नोटिस दीजिये।

श्री सौगत राय : **

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधायी कार्य लेते है ।

एक माननीय सदस्य : महोदय, इस बात पर....

अध्यक्ष महोदय : पूर्व सूचना दीजिए ।

श्री सौगत राय : औपचारिकताओं में मत जाइए। महोदय, यह नहीं है....

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं कीजिए ।

श्री सौगत राय : **

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 पर व्यवस्था के प्रश्न को कोई आवश्यकता नहीं है । आप पूर्व सूचना क्यों नहीं देते ? (**व्यवधान**) । कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं कीजिए ।

कुछ माननीय सदस्य : **

श्री सौगतराय : आप ध्यानाकर्षण सूचना को अनुमति क्यों नहीं देते ?

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये किसी ने नहीं कहा है । मैंने जब एक नियम बनाया है कि विवरण दिया जाए तो कुछ सदस्य देते हैं और कुछ नहीं । इसे पढ़ना भी संभव नहीं होता है मैं तो केवल यह देखता हूं कि विषय वस्तु क्या है । मुझे नहीं मालूम कि सदस्य क्या विवरण देने जा रहे हैं ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 377 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि अध्यक्ष महोदय की अनुमति प्राप्त होने के बाद सदस्य को मामला उठाने दिया जाता है । अब आपने कहा है कि विवरणों को पढ़ना संभव नहीं है । तो फिर आप अपनी सहमति कैसे देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : विषय वस्तु के आधार पर । हमने पूर्व सूचना देने की बात कही है । अनेक सदस्य पूर्व सूचना नहीं देते है फिर भी हम उनको अनुमति देते है, क्योंकि नियमों में इस तरह के विवरण की आवश्यकता नही है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इस तरह आप नियमों का उल्लंघन कर सकते है । इन्होंने जो मामला उठाया है, वह बहुत ही गंभीर है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं नियम का उल्लंघन नही कर रहा हूं

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): Mr. Speaker, under rule 377 you can allow for that matter which is of public importance and this is the practice here that first written statement should be submitted and the Speaker should go through the subject matter and language and then allow. It is your discretion. I think that the action taken on the basis of the subject matter is not proper. It is neither in the interest of the Government nor it is in conformity with the rules.

श्री उन्नीकृष्णन ने जो कुछ कहा उसका मैं समर्थन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुप्ता का बयान सही नहीं है । लिखित पूर्वसूचना देने की परंपरा कतई नहीं थी । इस प्रक्रिया को मैंने ही शुरू किया है । परन्तु सदस्य इसके लिए अभी अभ्यस्त नहीं है । मैं यह भी बता दूं कि मेरे पास विवरण 11 बजने से 5 या 10 मिनट पहले आते हैं । और अनुमति लगभग 11 बजे दी जाती है ।

**कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : प्रश्न यह है कि क्या पूर्वसूचना लिखित होना चाहिए अथवा क्या पूरा विवरण दिया जाना चाहिए या नहीं । जब कोई मामला नियम 377 के अधीन उठाने दिया जाता है तब इस पर निर्णय देने का अधिकार अध्यक्ष को ही होता है कि क्या यह मामला उस नियम के अंतर्गत आता है अथवा किसी अन्य नियम के अन्तर्गत या यह मामला किसी अन्य प्रस्ताव के रूप में उठाया जा सकता है । ऐसे सभी मामलों में हमने सम्बन्धित मंत्री महोदय को यह जानकारी देने की परंपरा अपनायी है कि आज यह मामला आ रहा है और यदि इस बारे में आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते है । सरकार और सम्बन्धित मंत्री के ध्यान में यह मामला आना चाहिए नहीं तो आप कह सकते है कि मैं तब तक इसकी अनुमति नहीं दे सकता जब तक मैं इस ओर सरकार का ध्यान न दिला दूं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : प्रश्न यह नहीं है कि क्या 377 के अधीन मेरे मामले को अनुमति दी जानी चाहिए थी । मैंने नियम का पालन किया है और नियम के मुताबिक विवरण दिया था । यह तो कोई बात नहीं है कि 377 के अधीन इसको अनुमति नहीं दी जा सकती या अध्यक्ष ने इसे नहीं देखा है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अंतिम पैराग्राफ में आरोप लगाए गए हैं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : कोई आरोप नहीं हैं ।

श्री कृष्णकांत (चंडीगढ़) : अध्यक्ष महोदय मैं आपसे सहमत हूं ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : प्रक्रिया सम्बन्धी सामान्य नियमों से सम्बन्धित नियम 373 के अनुसार इस तरह के विवरण में आपत्तिजनक मामला उठाया गया है और इनके लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सहमत हूं । **(व्यवधान)**

श्री कृष्ण कांत : उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कोई आरोप नहीं लगाया है । परन्तु बात यह है कि जब कोई वरिष्ठ सदस्य सरकार को चेतावनी देने के लिए इस तरह की बातें कहता है तो उसे पार्टी से बातचीत कर लेनी चाहिए थी । मेरी समझ में अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि सम्बन्धित मंत्री स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे । सम्बन्धित मंत्री महोदय को सूचित किए बिना इस तरह के वक्तव्य को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

Shri Nathu Singh (Duasa): Mr. Speaker, I rise on a point of orders. **(Interruption).**

अध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री महोदय को सुनिएं । **(व्यवधान)**

निस्सन्देह मुझसे गलती हुई है । मुझे विवरण पढ़ना चाहिए था । इसे पढ़कर भी मैं इसके आखिरी पराग्राफ के लिए अनुमति नहीं देता । अपना विनिर्णय देने से पहले मैं मंत्री की बात सुनना चाहूंगा ।

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : आपने स्वयं ही बता दिया है कि यदि विवरण पढ़ लिया गया होता तो भी इसे इस नियम के अंतर्गत नहीं उठाने दिया जाता । अब इसकी अनुमति दी गयी है उन्होंने लिखित रूप में सूचना दे दी है और समूचा विवरण आपको दे दिया गया है और आपकी अनुमति से उन्होंने

इसे सभा में उठाया है और यह सभा के कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया गया है। मैं सरकार की ओर से इतना और कहना चाहता हूं कि रक्षा मंत्री इस पर एक वक्तव्य देने को तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। अब हम विधायी कार्य को लेते हैं।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : आप यहां नहीं थे। मैंने आपका नाम पुकारा था।

(तीन) सम्भल (मुरादाबाद) में हाल ही में हुए सामुदायिक झगड़े का समाचार

Shri Mohd. Shafi Qureshi (Anantnag): What happened in Sambhal is a serious matter and I think that all the Members will discuss this matter. Riots took place there on a petty matter.

Mr. Speaker, the population of Sambhal is 1,25,000 only. There is no arrangement for fire brigade there. There is Police Post where 60 persons have been posted. Government should have been alert as riots broke out there in 1976.

Shri Vijay Kumar Malhotra (South Delhi) : You had previously said not to allow anything about Sambhal.

अध्यक्ष महोदय : मैं नियम 377 के अधीन इसकी अनुमति दे रहा हूं।

Shri Ram Vilas Paswan (Hajipur) : Here is my point of order. I have been giving call attention notice in regard to Hyderabad case for the last 3 days but those have not been considered as yet. A notice has been given in regard to Sambhal case also. If you allow under rule 377 there will be no importance then how the work will go ?

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : आपने श्री उग्रसेन को भाषण देने के लिए बुलाया था और वह खड़े हो गए। बाद में आपने एक अन्य सदस्य को बुलाया। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति को अनुमति दिए जाने के बाद अन्य सदस्यों को बुलाया जा सकता है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन वक्तव्य देने के लिए श्री कुरेशी को अनुमति दी गई थी। परन्तु श्री कुरेशी उस समय यहां नहीं थे। इस बीच मैंने श्री उग्रसेन को बुलाया। इससे पहले कि श्री उग्रसेन भाषण शुरू करते, श्री कुरेशी आ गए और मैंने उन्हें अवसर देना अच्छा समझा।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हो गए (व्यवधान)

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Mr. Speaker, what happened in Sambhal on 28th March is very serious thing, and if Government would have inquired it at that time it could not be repeated on 29th March and thereafter.

I do not want to accuse anybody but people of a particular party are bent upon to see that communal riots are broken out in the country.

There was no fire brigade there on 29th March. This was in Moradabad. Riots broke out there at 9-30 and continued upto 4 o'clock.

[Shri Mohd. Shafi Qureshi]

I would like to say that law and order machinery had paralysed there. Government have said that 17 persons have died but an irresponsible newspaper of Delhi has said that 100 dead bodies have been recovered and 300 persons have died.

I want to tell the Home Minister of the Government of India that they should check such irresponsible statements. I want to say that incidents in Sambhal were very shameful. A judicial enquiry should be ordered.

श्री कंवर लाल गुप्त : हम इस बात से सहमत हैं ।

Shri Mohd. Shafi Qureshi : I want to say that the arms licences given in the adjoining areas such as Moradabad, Amroha etc. should be cancelled and the non-licensed arms should be confiscated. Law and order machinery should be strengthened throughout the area and if any person, however highly he may be placed, tries to instigate communal trouble, should be punished by Government.

श्री कंवर लाल गुप्त : न्यायिक जांच की आपकी मांग का हम समर्थन करते हैं ।

Shri Yuvraj (Katihar) : I have a point of order. Qureshi Sahib was indicating that some party wants to create riots. I think that it will be better if it is expunged from the proceedings. **(Interruptions).**

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री **(व्यवधान)** ** कुछ भी सम्मिलित न किया जाये । मन्त्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०डी० पाटिल) : यह मामला राज्य सरकार से सम्बन्धित मामला है ।. . . **(व्यवधान)** . . .

श्री के० लक्प्पा : इस मामले को क्यों उठाया जा रहा है ?

श्री एस० डी० पाटिल : यदि इस सम्बन्ध में हम पहले नोटिस दिया जाता तो हम कुछ सूचना एकत्रित कर लेते । अत: अब हमारे लिये यह सम्भव नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह नियम 377 के अन्तर्गत है ।

श्री एल० के० अडवाणी : यदि अध्यक्ष महोदय नियम 377 के अन्तर्गत मामला उठाने की अनुमति देते हैं और सरकार को इसकी सूचना हो तो इसके बारे में वह चाहे तो सदन को कुछ बता सकती है । किन्तु सरकार उसके लिये उत्तर देने के लिये बाध्य नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : हम संसदीय कार्य मन्त्री महोदय को सूचित कर देते हैं किन्तु हो सकता है कि सूचना एकत्रित करने के लिये उनके पास समय न होता हो क्योंकि हमें यह सुबह 11 बजे से थोड़ा समय पहले प्राप्त होता है और तभी हम उसे संसदीय कार्य मन्त्री को भेज देते हैं . . .

Shri Vijay Kumar Malhotra (South Delhi) : The honourable member has tried to prove that as if atrocities are being perpetrated on minority community in U. P. whereas not a single person of minorities have been killed there... **(Interruptions)****

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

Shri Ugrasen (Deoria) : Mr. Speaker, Sir, I want to support the demands for grants in respect of the Ministry of Information and Broadcasting.

श्री जी० एम० बनतवाला : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह मामला नियम 377 के अधीन उठाया गया है और अब इस सम्बन्ध में एक पूर्ण उत्तर दिया जाना चाहिये ।

Shri Vijay Kumar Malhotra : I support him. A complete reply should be given to the matter under rule 377.

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 की एक प्रति मन्त्री महोदय को भेजा जायेगा । यह उन पर है कि वह एक पूर्ण उत्तर दे दें । मैं इस सम्बन्ध में निदेश नहीं दे रहा हूँ । (**व्यवधान**)

अनुदानों की मांगे, 1978-79
DEMANDS FOR GRANTS, 1978-79

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

Shri Ugrasen (Deoria) : I stand up to support the demands for the Ministry and want to make certain suggestions. Akashvani and Doordarshan were indulging in propaganda in favour of a certain family in furtherance of their personal interests and it had lost its creditibility. I want to thank the Honourable Minister that during the rule of Janata Party, their creditibility is again taking roots among the people. In the Verghese report, it has been suggested that both should be merged and a Akashbharati Corporation should be set up. Creating an autonomous organisation for Akashvani and Doordarshan is not a new suggestion. Even, this was the suggestion which was made by the Chande Committee which was constituted in 1966. In many countries of the world, particularly in the Western European Countries, autonomous corporations have been set up. I would request that we should also set up an autonomous corporation for the purpose.

Broadcasting is not mere means of entertainment and it aims at increasing knowledge also. I want to say that number of broadcasting centres are very low in our country. We should open more Akashvani and Television centres in the country. I am happy that T.V. centres are being opened in Jaipur and at some other place also. Moreover, you are going to inaugurate a centre in Muzaffarnagar in Bihar. If my suggestion is taken into account by installing two more necessary components, areas of Gorakhpur and Deoria and all other western areas could also be covered by the broadcast.

Radio licence fee should be abolished so that the poor villagers were relieved of this economic burden.

Service conditions of casual artists should be improved. The artists having missionary spirit should be given encouragement in different ways which would result in production and broadcasting of programmes more beneficial to the people. The prices of different kinds of batteries should be reduced. Attempts

[Shri Ugrasen]

should be made to develop cheap solar energy radios. Programmes for villages should be increased and the regional languages and local dialects should be used in them.

It is a welcome step that 'Samacher' has been divided into four units. But it should also be ensured that the employees sent to these units are governed by those very service conditions which were applicable to them in 'Samachar'.

While broadcasting rural programmes, the languages of the concerned areas are used. It is only then the people in the rural areas can understand the policies of the Janata Party. Janata Party wants to undertake programmes under which it will provide employment to the people belonging to the backward classes. There is a programme of decentralisation of power. It wants to encourage a politics of equality and prosperity. So dialects should be used in the rural programmes broadcast from AIR centres.

Outsiders should not be brought in the Central Information Service. Its heads should be only such a person who is well aware of the technicalities of AIR and Television.

I fail to understand why kissing has been introduced on films. Our films should be free from obscenity and scenes of violence. Encouragement should be given to the films which depict a true picture of our social and economic problems.

All India Radio, Television centres and news agencies should be got relieved from the clutches of bureaucracy.

With these words, I support the demands for grants pertaining to the Ministry of the Honourable Minister of Information and Broadcasting.

Shri Ram Awadhesh Singh (Bikramganj): Mr. Speaker, Sir, the role of the Ministry of Information and Broadcasting is very important from the point of view that it can project the image of the country and the society. During the regime of the former Government, our Radio had failed to help in removing bad traditions prevalent among the people of the country. The Janata Government should now pay attention to this.

The films being produced in the country are spreading conservative ideas among the people which is creating obstacles in the way of ushering in way of social revolution. Moreover, the scenes of violence and sexy scenes and obscenity being depicted in films arouse violent tendencies and deep feeling of sex among the youth of the country and thus are causing great damage to the country. Moreover, films are being created of such type which depict man as a helpless creature in the universe. A film "Santoshi Maa" was created and in it, it has been depicted that a 'mother' has taken birth who can decide the destiny of mankind. I want to say that this type of films will have damaging effect on the country. Attempts should be made to raise the standards of the films and to produce such films on our social and economic problems which suggest good ways and means to solve them so that they can help in social and economic reconstruction of the country.

Efforts should be made to remove the control of capitalists from the world. Public sector companies should be floated to take up the work of making films so that suitable films can play a good role in bringing a social change in the social set-up of the country.

The freedom granted to the press is being misutilised by the capitalists to meet their own ends. Checks should be exercised to control this. Moreover, public sector companies can be floated for this purpose also, which may bring out newspapers to present true picture to everything before the people, without any vested interest.

Use of Hindi is being discouraged in All India Radio through various ways. Immediate steps should be taken to prevent it.

उपाध्यक्ष महोदय : आपने 12 मिनट से अधिक समय ले लिया है। अब समाप्त करें।

श्री राम अवधेश सिंह : केवल दो मिनट और।

I have come to know that a person from outside is being appointed as chief of the Central Information Service.

I congratulate the Minister for the good work done in the Information and Broadcasting Ministry.

Two news bulletins should be broadcast from Patna Station of All India Radio one in the morning and one in the evening and also the officers who have been working in Patna Station of All India Radio for a long time, should be transferred.

With these words I support the demands and I would like to get a categorical reply from the Minister about Patna Station of All India Radio.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the chair]

श्री वसन्त साठे (अकोला) : यद्यपि मैं श्री अडवाणी की उनके गुणों के लिए बहुत प्रशंसा करता हूं परन्तु ऐसा लगता है कि सारा प्रचार माध्यम एवं प्रसारण माध्यम बदले की भावना से ओतप्रोत है। आज भी वैसा ही कार्य हो रहा है जैसा आपात स्थिति के 19 महीनों में हो रहा था और इस कार्य को पूरी तरह बदलने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यकरण को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है।

माननीय मंत्री जी का यह कहना सही नहीं है कि अब प्रेस स्वतंत्र है, आकाशवाणी अधिक संतुलित ढँग से कार्य कर रहा है। नागपुर से प्रकाशित लोकमत की परिचालन संख्या 40 हजार है। श्रीमती इन्दिरा गांधी की यात्रा का व्यापक प्रचार करने के कारण इसे संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन नहीं मिलते हैं जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समाचारपत्र "योगधर्म" को पूरे पृष्ठ के विज्ञापन मिलते हैं यद्यपि इसकी केवल 7,000 प्रतियां बिकती हैं। क्या यही निष्पक्षता की बात है?

सभी प्रचार माध्यमों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ घुसा हुआ है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। समाचार भारती को हिन्दुस्तान समाचारसे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा निमंत्रित है, मिलाने की सलाह दी गयी है जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा नियंत्रित है। हिन्दुस्तान समाचार को अधिक वित्तीय सहायता दी गयी है और पी०टी० आई० भवन में उसके कार्यालय को अनुमति दी गई और उसे वहां सभी प्रकार की सहायता भी मिली। यह सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पी०टी०आई० में घुसपैठ करने के लिए किया गया। मैं चाहता हूं कि सभा इस पर

10—123 LSS (ND)/78

[श्री वसंत साठे]

गौर करे। एक संगठन, जो एक सांस्कृतिक संगठन होने का दावा करता है, और मनमाने ढँग से इस तरह के प्रचार-माध्यम में घुसने की कोशिश करता है तो प्रचार माध्यम कैसे स्वतंत्र रह सकेगा ?

हिन्दुस्थान समाचार लेखापरीक्षित प्रतिवेदन में कहा गया है कि दो व्यक्तियों को, जो प्रबन्ध समिति के निर्वाचित सदस्य भी नहीं हैं, सचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हिन्दुस्तान समाचार के लेखा में भी अनियमितायें है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को आकाशवाणी तथा अन्य प्रचार माध्यमों में रखा जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह मुझे गत वर्ष इन में नियुक्त किए गए व्यक्तियों को एक सूचि मुझे दे जिससे इस बात को पुष्टि की जा सके।

केन्द्रीय सूचना सेवा में बाहर के लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। इसमें इस क्षेत्र में विशेषज्ञ अधिकारी निरुत्साहित हो जायेंगे, क्योंकि उनकी पदोन्नति के अवसर कम मिल सकेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

मेरे मित्र का कहना है कि सभी के समाचार दिए जाते हैं। परन्तु यदि शाह आयोग को रिपोर्ट और श्रीमती गांधी तथा उनके बेटे की आलोचना को देखा जाए तो ये दावे झूठे हो जायेंगे।

फिल्मों के बारे में मेरा एक सुझाव है। फिल्म वितरण का कार्य सरकार को अपने हाथ में लेने पर विचार करना चाहिए तभी अच्छी फिल्मों के निर्माण और वितरण का कार्य ठीक ढंग से हो पाएगा। महान कलाकारों पर फिल्मों का काफी समय से अभाव चला आ रहा है। हम चाहते हैं कि कला और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में महान व्यक्तियों पर फिल्में बनाकर लोगों को दिखायीं जायें।

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur): Mr. Deputy Speaker, I feel that the Ministry of Information and Broadcasting has been getting less grant as compared to its importance. More funds should be provided to this Ministry so that it can play its role in the development of nation in a better way.

During the one year of Janata Government's rule the performance of the Ministry has been very good. Censorship has been removed from the press and full freedom has been granted to it. Steps have been taken to reorganise the news agencies. Misuse of mass media, which was at its extreme during the emergency has been prevented. Steps have also been taken to grant antonomy to the Rodio and Television and Verghese Committee has submitted its report in this regard.

No national policy on information and broadcasting has been formulated so far after the attainment of independence. I would like to say to the Ministry to take steps in this direction. I am giving a few suggestion in this regard. Firstly it should be ensured that our mass media always work with full freedom and full autonomy. It is not desirable that it works in one direction only. Secondly, it should be ensured that whatever is broadcast is completely authentic and credible and free from all sorts of prejudices. Thirdly, it should be seen that the programmes broadcast are peoples welfare oriented and undue importance is not given to the political field. Fourthly, the programmes, which are broadcast

should be in a very simple and easy language in common language of the people as was used by Munshi Premchand in his writings. Fifthly, it should also be seen that our Indian classical music and Indian culture no more remain neglected.

Obscenity and scenes of violence should not be allowed in films and such films should be produced which all members of a family can enjoy sitting together. Moreover, mass media should be utilised to educate people on a larger scale to bring social changes in the country.

As regards advertising policy, the recommendations made by Dinbar Committee in this regard should be implemented and medium and small newspapers be given encouragement.

Attempts should be made to become self-relient in the case of newsprint.

Service conditions of working journalists should be improved further.

श्री पूर्ण सिन्हा : (तेजपूर) उपाध्यक्ष महोदय, वाणिज्यिक गृहो द्वारा विज्ञापनों पर व्यय को अनुमति न देना उचित नहीं है इसका छोटे तथा मध्यम समाचार पत्रों पर बूरा प्रभाव पड़ेगा । छोटे समाचार पत्र मूख्यत: विज्ञापनों के माध्यम से चलते हैं न कि पत्र की बिक्री पर चलते हैं । बड़ समाचार पत्र भी विज्ञापनों के आधार पर चलते है किन्तु छोटे समाचार पत्रो को तो काफी सीमा तक विज्ञापनो पर निर्भर रहना पड़ता है । अत: छोटे समाचार पत्र, जिन्हें अखबारी कागज 2700 रुपये प्रति मीटरी टन तथा आयातित अखबारी कागज 4000 रुपये प्रति मीटरी टन के हिसाब से खरीदना पड़ता है, प्रकाशित नहीं हो सकते यदि वह विज्ञापनों पर निर्भर न करे । अत: बजट में प्रस्तुत इन प्रस्तावों के फलस्वरूप छोटे समाचार-पत्र अपना कारोबार चलाने ने में समर्थ नहीं होंगे। 40,000 से अधिक लोग विज्ञापन एजन्सियो में काम कर रहे हैं और छोटे समाचार-पत्रो में 2 लाख लोग काम करत हैं । इस उपाय के फलस्वरूप ये सभी लोग बेकार हो जायेंगे । केवल वहीं बड़े समाचार पत्र, जिनके सरकुलशन की संख्या 50,000 से अधिक है, बने रह सकेंगे । मंत्री को वित्त मंत्रालय से इस विषय पर बात करनी चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि विज्ञापन पर कम्पनियों द्वारा किये गये व्यय के कुछ भाग की अनुमति न देने सम्बन्धी मामला समाप्त कर दिया जाना चाहिये । समूचे प्रस्ताव को समाप्त कर दिया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में आकाशवाणी और दूरदर्शन की स्वायतता पर कार्य-कारी दल की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि विज्ञापन की विपणन कार्यो में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है ।

इससे न केवल छोटे समाचार-पत्रों पर ही प्रभाव पड़ेगा, बल्कि आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी बूरा प्रभाव पड़ेगा क्योकि विज्ञापनकर्ता अपना व्यय अवश्य कम कर देंगे । अब अगर दूरदर्शन विज्ञापनो से 10 करोड़ रूपये कमा रहा है तो यह कम हो कर 2 या 3 करोड़ रह जायेगा। सरकार के यह आवश्यक भाग हैं इन पर भी इसका असर पड़ेगा ।

कल एक सुझाव दिया गया था कि समाचार-पत्रो को विज्ञापन के लिये 40 प्रतिशत से अधिक के स्थान को ही अनुमति होनी चाहिये । यह बात गलत होगी । सरकार को

[श्री पूर्ण सिन्हा]

ऐसी नीति नहीं अपनानी चाहिये जिससे समाचार-पत्र विज्ञापन के अधिकार या विज्ञापन स्थान से वंचित हो जायेंगे । उन्हें छोटे समाचार-पत्रों को दिये जाने वाले विज्ञापनों की संख्या बढ़ानी चाहिये । छोटे और मध्यम समाचार-पत्रों के हितों को किसी प्रकार की हानि न हो । ग्रामीण लोगों को शिक्षित करने के लिये अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री के० लक्कप्पा (तुमकर) : सरकार ने समस्त विश्व के समूख यह घोषणा कर रखी है कि वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय में मूलभूत परिवर्तन लायेंगे और वह संगठनात्मक परिवर्तन भी लायेंगे । उन्हें सत्ता सँभाले एक साल हो गया किन्तु सरकार ने निर्दोषों को सताने के सिवा कुछ नहीं किया है । उन्होंने कोई भी प्रगतिशील रवैया नहीं अपनाया है । केवल यह मंत्रालय उन लोगों के विरूद्ध बदला लेने की कार्यवाही में लगा रहा है जो पिछली सरकार में सत्तारूढ थे ।

वाक् स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर 'समाचार' को भंग करने का निर्णय लिया गया है । परन्तु ऐसा इसलिये किया गया है ताकि जनता सरकार इन संगठनों में अपनी स्वयं की विचारधारा पैदा कर सके । चार यूनिट बनाना उन बड व्यापार गृहों को बढ़ावा देने के अलावा कुछ नहीं है जिनका समाचार एजेन्सियों पर एकाधिकार है और जो इन विज्ञापनों को हड़प रहे हैं ।

दूरदर्शन, आकाशवाणी और अन्य माध्यमों में सरकार का रवैया स्पष्टता पक्षपातपूर्ण रहा है । यहां तक की इस सदन की कार्यवाही के बारे में भी दूरदर्शन और आकाशवाणी से उचित रूप से समाचार नहीं दिया गया । इस पर नियंत्रण है और इन पर सैंसर है । महत्वपूर्ण आर्थिक तथा राजनीतिक मामलों और लोगों की आकांक्षाओं सम्बन्धी प्रगतिशील विचारों की उपेक्षा की गई है जबकि दूसरी ओर शाह आयोग की कार्यवाही को हिन्दी तथा अंग्रजी दोनों को काफी देर तक सुनाया जाता है ।

मैंने मंत्रीजी को कई बार लिखा है कि कर्नाटक राज्य में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किया जाये परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है । दक्षिणी राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं को कोई भी स्थान नहीं दिया जाता है । संसद की कार्यवाही का प्रसरण यथावत होना चाहिये ।

प्रचार साधनों का दूरुपयोग पक्षपात और राजनैतिक प्रचार के लिये किया जाता है । भारतीय संगीत, संस्कृति और अन्य गतिविधियों का प्रचार विदेश स्थित भारतवासियों के दिल में भी किया जाना चाहिये ।

श्री के० मायातेवर (डिंडीगुल) : सूचना और प्रसारण महत्वपूर्ण प्रचार साधन है । लेकिन इस माध्यम के द्वारा सही सूचना मिलनी चाहिये । इसके द्वारा देशवासियों को गुमराह करने वाले समाचार नहीं मिलने चाहिये । सरकार को संचार साधन द्वारा सूचना और प्रकाशन की त्रुटियों को दूर करना चाहिये ।

हाल के वर्षों में इस विषय के सम्बन्ध में चर्चा ने बहुत जोर पकड़ा है कि फिल्मों में चुंबन को अनुमति मिलनी चाहिये अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में हमें पाश्चात्य सभ्यता की नकल इस देश में नहीं करनी चाहिये। यदि सरकार के पास फिल्मों में चुम्बन सम्बन्धी कोई प्रस्ताव आता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। मद्रास शहर में दूरदर्शन उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। मध्यम वर्ग के लोग तथा गरीब लोग महंगे टेलीविजन सेट नहीं खरीद सकते।

अध्यक्ष महोदय : पिछली सरकार ने चन्दा समिति का गठन किया था और उसने यह सिफारिश की थी कि आल इंडिया रेडियो को एक स्वायतशासी बनाया जाये। यद्यपि यह प्रतिवेदन बहुत वर्ष पहले प्रस्तुत किया गया था कि इस सिफारिश पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। मुझे यह जान कर हर्ष हुआ है कि वर्तमान सरकार अब रेडियो और टेलीविजन की स्वायतशासी संस्था बनाने पर विचार कर रही है। वर्गीज समिति ने रेडियो को भी बी० बी० सी० लण्दन की तरह संसद द्वारा नियन्त्रित होना चाहिये। इस पर सरकार का भी नियन्त्रण होना चाहिये चाहे रेडियो स्वायतशासी हो अथवा सरकारी एजेंसी।

यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश स्वायतशासी निकाय के ट्रस्ट बोर्ड के ट्रस्टी होने चाहिये। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को तो अपने निर्णय लिखने का समय भी नहीं मिलता है। अतः मेरा सुझाव यह है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं तथा अधिकारियों और न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाये और राजनीतिक दलों के नेताओं को यह उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिये क्योंकि वह जनता की भावनाओं से परिचित रहते हैं।

संसद सदस्यों के नामों और भाषणों को उचित ढंग से प्रसारित नहीं किया जाता है। अतः रेडियो प्रसारणों में संसद की कार्यवाही को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिये। मंत्री महोदय को आकाशवाणी मद्रास में अवश्य कुछ सुधार करना चाहिये। जब भी हम संगीत अथवा गीत सुनना चाहते हैं हमें वही पुराना कर्नाटक संगीत सुनने को मिलता है अतः मद्रास आकाशवाणी में सुधार करना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिये। आपने पहले ही पर्याप्त समय ले लिया है।

श्री के० मायातेवर : महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूँ। आज सभी प्रकार के चित्र प्रकाशित किये जा रहे हैं और सभी प्रकार की अश्लील फिल्मों का निर्माण किया जा रहा है जिसे देखकर बच्चों का चरित्र गिरता है। अतः कामोत्तेजक फिल्मों को रिलीज नहीं होने देना चाहिये। बलात्कार, हत्या आदि दृश्यों वाली फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

Shri Nawab Singh Chauhan (Aligarh): The bureaucracy is still prevailing in the All India Radio as it was prevailing during the regime of previous Government. It is regrettable that Janata Government still allowed it to continue and no change has so far been introduced in the structure of the organisation. During the period of emergency, undesirable persons were posted in the department. Therefore, a probe should be instituted and they should be referred to U.P.S.C.

The rules are the same and no change has been made in them. We have said that all the *ad hoc* appointments should now be regularised through U.P.S.C. It is necessary that a change must be made in the persons responsible for implementation. It has been stated that Varghese Committee Report is awaited but on the other hand appointments are being made and it has been pleaded that these appointments cannot wait. Bureaucracy is again prevailing.

[Shri Nawab Singh Chauhan]

The managerial staff does not want that the production staff should come up. All India Radio has the same set up. The only change that has come in the change in the Ministers.

I had made a suggestion that recruitment rules should be changed. The selection committee should be formed through U.P.S.C.

There is great bungling in the preparation of small films. A rule should be laid down that the retired persons should not be appointed in Film Companies because before retirement the officials start showing favour to these companies with the result that there is wastage of money to the time of lakhs of rupees.

The contract for preparing Indus to Indira film was awarded without scrutiny. An amount of Rs. 12 lakhs was paid and when information in this regard was asked for there was no reply to that. There should be set rules in this regard. The whole set up should be changed. The set up should be Indian culture oriented. Unless a change is made no progress can be expected from the present set up.

The capacity of Brij Radio Station should be raised to at least 10 kilwatt because its programmes are popular all over the country. There should be more programmes on Brij Culture.

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो और प्रेस की स्वतन्त्रता हो । यही लोकतंत्र की सफलता का माप है । तानाशाही और लोकतंत्र में अंतर इतना है कि विपक्ष को सरकार की आलोचना करने की कहां तक अनुमति दी जाती है और इस आलोचना का कहां तक प्रचार किया जाता है । यदि किसी सरकार को विपक्ष की विचारधारा से डर है तो उसे लोकतंत्र की बात नहीं करनी चाहिए । किन्तु हम प्रैस की स्वतंत्रता के बारे में कितना ही क्यों न कहें, हमारे संविधान में इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं है । आयर बैंड के संविधान में ऐसी व्यवस्था है, जपान, वेलजियम आदि के देशों संविधान में भी ऐसी व्यवस्था है हमारे संविधान में अनुच्छेद 19(i) (क) और खण्ड (2) के अन्तर्गत प्रैस की स्वतंत्रता के संचालन का उल्लेख है । हमने देखा है कि आपत स्थिति में प्रैस की स्वतंत्रता को कैसे कुचला गया । अत: हमारा पहला कर्तव्य यह हो जाता है कि संविधान में इसका उपबंध हो । इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए ।

जनता सरकार ने इस आशय के परिवर्तन करने के बारे में बहुत कुछ कहा है किन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है । श्रमजीवी पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए भी कुछ नहीं किया गया है । छोटे तथा मध्यम वर्ग के समाचार पत्रो की रक्षा के लिए भी वास्तव में कोई प्रयत्न नहीं किये गये है ।

विज्ञापनों को देने के बारे में सरकार ने नई नीति की घोषणा की है किन्तु जिन वर्गों का इस बारे में विशेष ध्यान देने की बात कही है उसे तदनुसार क्रियान्वित नहीं किया गया है ।

पश्चिम बंगाल के 'नार्दन रिव्यू' ,'जनमत' और 'महाकाल' में विज्ञापनों के लिए प्रार्थनापत्र दिये किन्तु उन्हें नहीं दिये । इसी प्रकार कई समाचारपत्रों की अवहेलना की गई । अत: मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में नियमों में परिवर्तन किया जाये । समाचार पत्र वाले बड़ी कठिनाई से इनका प्रकाशन करते है । और ऐसी शर्तें रखी गई है कि वे इन शर्तों को पूरा करने में असमर्थ होते है और

उन्हें समाचार-पत्र बन्द करने पड़ते है । मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है इस बात की बारीकी से जांच की जाये कि इस विभाग में विज्ञापन देने के मामले में किस प्रकार भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाय और रिश्वत बन्द की जाये ।

श्री चित्ति बसू : संसद सदस्य ने निदेशक, दृष्य श्रव्य प्रचार को एक पत्र लिखा किन्तु उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

सिलिगुड़ी रेडियो स्टेशन से जो कि 1964 में स्थापित हुआ था, केवल आधे घंटे का ही कार्यक्रम चलता है और बाकी समय कलकत्ता स्टेशन के कार्यक्रम प्रसारित होते है । इस स्टेशन का दर्जा बढ़ाया जाना आवश्यक है । वर्तमान ट्रांसमीटर 20 कि० वा० का है और इससे 40 मील से बाहर नहीं सुना जा सकता है । इसके अतिरिक्त रंगपुर, राजसाही और ढाका में बड़े शक्तिशाली ट्रान्समीटर है । अतः मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि कम से कम 200 कि० वा० की ट्रान्समीटर सिलीगुढ़ी स्टेशन पर लगाया जाये । साथ ही यह भी निवेदन है कि इस स्टेशन में भी एक सलाहकार समिति बनाई जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री राघवजी को भाषण के लिए कहूंगा । मेरा वक्ताओं से निवेदन है कि प्रत्यक व्यक्ति पांच मिनट का समय लें ।

Shri Raghavji (Vidisha): Mr. Deputy Speaker, Sir, the Ministry has done very useful work after the formation of Janata Government. During emergency the mass media lost the credibility. People liked to listen to B.B.C. and the Voice of America. During the 19th months All India Radio and Television were misused.

During the pre-emergency period also All India Radio and T. V. had also not earned that much credibility that should had been earned because it was mostly used for a particular party. But fortunately now the position has changed. The mass media has started working impartially. I have also a complaint that the opposition should not be given to much time. There is no necessity to be so much liberal.

Song and Drama Division was misused during elections. Several performances were made by this Division in the constituency of Smt. Indira Gandhi, Shri Sanjay Gandhi, Shri Vidyacharan Shukla. The expenditure incurred on these performances should be recovered. Strict watch should also be kept on the officials in All India Radio and T. V. and proper action should be taken against the defaulters.

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : यह प्रसन्नता की बात है कि जनता सरकार इस बात का पूरा प्रयत्न कर रही है कि पहले जो भी अनियमितताएं हुई हैं वे ठीक हों । मेरे विचार से लोकतंत्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि ऐसे मंत्रालय के होने से सरकार को इसका दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति हो जाती है जिसे रोकना कठिन हो जाता है । मुझे इस बात की प्रसन्नता होगी कि श्री अडवानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय को समाप्त करने के लिए कहेंगे ।

लोकतंत्र में स्वतंत्रता, गुण और प्रचार माध्यम का उत्तरदायित्व बहुत महत्वपूर्ण हैं और यह आवश्यक नहीं है कि ये स्वतः प्रतिष्ठान से ही आयें । ये जाग्रत नागरिकों से भी आ सकते हैं ।

[प्रो० पी० जी० मावलंकर]

सरकार स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए बधाई की पात्र है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि इसके बाद और कुछ करने के लिए नहीं है । अभी बहुत कुछ करने के लिए है ।

मेरे विचार से सरकार आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तता प्रदान करने का प्रयत्न करें और इस सम्बन्ध में शीघ्र एक विधेयक लायें ।

मुझे आशा है कि अहमदाबाद में, जो काफी प्रमुख शहर है, एक दूरदर्शन केन्द्र खोला जायेगा ।

आकाशवाणी को स्थापित हुए 50 वर्ष हो चुके हैं किन्तु आज इस बात पर विचार करना है कि क्या वास्तव में आकाशवाणी के कार्यक्रमों की विषयवस्तु और किस्म में प्रगति हुई है । जहां तक निष्पक्षता का प्रश्न है यह ठीक है किन्तु श्रीमती इन्दिरा गांधी को आज भी इतना महत्व देना उचित नहीं है ।

समाचार को पुन: पूर्व एजन्सियों में विभाजित करने के बारे में मेरा यह निवेदन है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि इसमें ऐसा सन्देह उत्पन्न न हो कि किसी दल विशेष का इसमें निहित स्वार्थ है ।

प्रैस परिषद की स्थापना सराहनीय है । तथा प्रैस आयोग की नियुक्ति भी बहुत अच्छी बात है ।

पूना फिल्म संस्थान का काम ठीक ढंग से नहीं चल रहा है और इसके बारे में विस्तार से जांच की जानी चाहिए ।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि छपाई के काम में सुधार हो और इस पर ध्यान दिया जाये ।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 'इंडिया एनुअल रजिस्टर' प्रकाशित होता था । जिसमें क्रमवार सभी घटनाओं का उल्लेख होता था । किन्तु इसका प्रकाशन बन्द हो गया । मेरा निवेदन है इस काम को आगे बढ़ाया जाये । इसमें जन संचार संस्थान भी सहयोग दे सकता है ।

Shri B. P. Mandal (Madhepura) : The Hon'ble Minister and the Government are worthy of congratulations for reinstating the freedom of Press and news media. During emergency there were one sided reports. The way the newspapers surrendered themselves to the dictatorship of Smt. Indira Gandhi, is unprecedented. It was also not witnessed during the emergency. The right to publish the proceedings of Parliament was also taken away. I have one complaint to make. It is about reporting the parliamentary proceedings. There are several instances that the proceedings have not been correctly reported and it amounts to breach of privilege. It is not for their to decide as to what should be reported. They should only report faithfully.

I am surprised to note that how kissing has been allowed in films. I think public opinion is also against it. Lastly I would request that every state capital should have a Television Centre.

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): Mr. Chairman, Sir, whatever assurances we gave to the people in regard to mass media have been fulfilled by us. It has been appreciated from all sections of the House that Government have done a good thing in lifting all the restrictions

imposed during the emergency and freedom has been given to it. Even the Congress members are personally happy at this. The work of reporter is quite responsible but I agree that if there is some mistake in it, it should be liable to be hauled up for breach of privilege and it should amount to contempt of the House. But I am not prepared to accept the types of allegations levelled against All India Radio. There has been a convention that when there is walk out or any other episode in any of the Houses, it is reported and the speeches are not reported. In fact there is great responsibility in reporting. Some time there is not full information in the news papers and it creates an ambiguity. In such a situation the reporter prefers ommission to misreporting. I can assure the Members that there will never be favouritism in the reporting and action will be taken against the defaulters.

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडगारा) : मेरा एक विशिष्ट प्रश्न है । 31 मार्च को मध्यान पश्चात् एक गैर-सरकारी सदस्य, श्री सोमासुन्दरम का संकल्प था । रिकार्ड के अनुसार, जिन सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया उनमें से अधिकांश ने अंग्रेजी को सम्पर्क भाषा के रूप में चलने देने के बारे में कहा ।

Shri L. K. Advani: I shall give an assurance that there will be no favouritism or prejudice in the reporting of the Parliament proceedings. Government have never given any instructions in regard to the coverage of proceedings according to party affiliations. They have been instructed to give coverage on the basis of news-worthiness.

As regards follow-up action on the white paper regarding misuse of mass media, the position is that this action was initiated. At that time Shah Commission proceedings started and the commission directed us to send the white paper, basic documents and relevant files. So the follow-up action that was initiated was held up and after the receipt of the Shah Commission report it will be possible to take action in a better way. I would like to assure the House that suitable action will be taken against those who committed wrong during the emergency. It will be our policy to ensure that misuse of mass media as was done during the emergency is not repeated in future.

We are laying certain traditions. This Government have started giving an opportunity to the opposition to use the All India Radio. The Radio is neither the property of the Central Government nor that of any State Government. The Government are of the view that radio broadcasting should continue to be a central subject. We are committed to making broadcasting autonomous. It is not a mere slogan. We have taken steps in this direction. The Verghese Committee report has been submitted and its main recommendations have been welcomed. I hope that discussion thereon will be taken up in this very session.

It is said that there is a feeling that Government are controlling the media. It is not so. Now I am coming to "Lokmath".

Shri G. M. Banatwalla (Ponnani): There is discrimination. Why "Chandrika" has been refused advertisements.

Shri L. K. Advani: Shri Sathe has said about "Lokmath".

श्री जी० एम० बनातवाला : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मंत्री जी सभा को गुमराह कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे सामने कोई सामग्री नहीं है ।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं आपके समक्ष एक विशेष मामला रख रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह इसकी छानबीन करेंगे ।

श्री एल० के० अडवाणी : मैं केवल छानबीन ही नहीं करूंगा परन्तु मैं यह भी देखूंगा कि यदि कोई भेदभाव हुआ है, तो मैं इसे दूर करूंगा ।

Shri Sathe referred to "Lokmath" and said that Lokmath had been refused advertisements by U.P.S.C. I know that during the emergency a very arbitrary policy was pursued so far as U.P.S.C. advertisements are concerned. Advertisements were stopped to certain important newspapers like the Tribune, Chandigarh, The Assam Tribune, Gauhati, The Indian Express, Bombay and a number of other papers. After this Government came into power we asked the U.P.S.C. and D.A.V.P. to formulate criteria for giving advertisements. They have been told that the advertisements should not be given on optional considerations but should be given on the basis of circulation. In this matter there is no question of any discretion. I have received figures in respect of 'Chandrika'. चन्द्रिका की परिचालन संख्या 23107 है । यह संख्या कम होने के कारण इसे संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन देना बंद कर दिया गया । मलायलम 'मनोरमा' की परिचालन संख्या 3,36,000, मातृभूमि की परिचालन संख्या 2,49,000 और केरल कौमुदी की संख्या 1,18,000 है । इन पत्रों को संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन दिए गए हैं । (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : श्री साठे, आपने अपनी बात कह ली है । कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये ।

Shri G. M. Banatwalla : Chandrika from Calicut, has a circulation of 25,000. It has been refused advertisements. (*Interruptions*).

Shri L. K. Advani : I do not deny. I have stopped the practice of favouritism.

The basis of new advertisement policy is that favouritism and discrimination should not be shown on political grounds. We also want that some facilities should be given to small and medium papers in the matter of advertisement rate.

श्री वसन्त साठे खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । आप कितनी बार खड़े हो जाते हैं ? बात समाप्त हो गई है आप उनसे जिरह नहीं कर सकते । कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये । आपको नियम का पालन करना होगा ।

श्री एल० के० अडवाणी : गत वर्ष दृश्य श्रव्य प्रचार निदेशालय ने विज्ञापन पर जितना पैसा खर्च किया है उसका 50 प्रतिशत बड़े पत्रों का और शेष 50 प्रतिशत छोटे और मध्यम श्रेणी के पत्रों

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।
**Not recorded.

को दिया गया है । परन्तु स्थान के मुताबिक 77.61 प्रतिशत विज्ञापन छोटे और मध्यम श्रणी के पत्रों को दिए गए हैं । जबकि 22.39 प्रतिशत बड़े पत्रों को दिए गए है ।

There is no doubt that the situation in the field of cinema is chaotic and there is too much of commercialism. It is gratifying to note that during the last few years there have come up films producers in Hindi, Kannada and Malayalam who wanted to produce films with a social purpose and having aesthetic content. The policy of the Government will be to encourage this trend. It is said that no attention has been paid to the South in this respect. It is for the first time during the last 30 years that an international film festival was held in the South. In this festival Indian films having social purpose and aesthetic content were exhibited. The foreign delegates were very much impressed by these films.

There are certain misunderstandings so far as censorship policy is concerned. The real important things are obscenity and vulgarity. It appears that many people think that vulgarity and obscenity can be permitted but kissing cannot be permitted. We want that neat and clean pictures should be produced. There should be no violence and obscenity. The job of censorship is a very difficult one. We have reconstituted the Censor Board and have included very eminent and good people in it. We want to encourage pictures with social purpose. We have helped in the release of pictures like "Shatranj ke Khilari". The previous Government had not allowed release of certain pictures which had not been allowed. We have a liberal approach and do not want to stifle dissent.

During the regime of the previous Government a documentary was prepared on the condition of Harijans in the Basti District. That Government did not allow this documentary to be shown. We have now permitted it.

The Government restrictions on the Press have been removed. But there are certain other restrictions. There is the question of ownership pattern. Reference was made to diffusion of ownership and delinking of the Press. The difficulty in this matter is that no viable alternative has been suggested. The Press Commission is being constituted to go into these matters and will be given a year's time to provide guidelines for future.

The Press Commission was constituted to go into all these aspects. The first Press Commission was set up in 1952 and its findings were based on the working of the Indian Press before Independence. On the basis of experience of 28 years and particularly the 19 months of emergency, it has been said that press had surrendered but there were a number of journalists who did not surrender during emergency but faced all the consequences. Many journalists have gone to jails and there were many persons among them who did not agree with the J.P. movement. Shri Malkani and Shri Kuldip Nayar went to Jails. Many persons protected the press. But the Press Commission will have to go into the fact that what happened to the Press was a professional failure or institutional failure. The Press Commission will have to study all the aspects of this and find out some solutions. ...

श्री कंवरलाल गुप्त : उन अधिकारियों को, जो श्रीमती इन्दिरा गांधी के एजेन्ट हैं को दण्ड़ित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री वसन्त साठे : इसका अर्थ यह हुआ कि आप स्वयं को दण्ड़ित करेंगे क्योंकि श्री गुप्त ने आपको श्रीमती गांधी का एजेन्ट कहा है ।

Shri Kacharulal Hemraj (Balaghat): The honourable Minister has said that he was also a journalist. But now, he is a Minister.... **(Interruptions)**

Mr. Speaker Sir, the film 'Kissa Kursi Ka' was exempted from tax but another film "Mazdoor Zindabad" released in 1976—was not given tax exemption though the latter depicted a real situation. ...

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन : मैंने अपने कुछ प्रश्नों का उत्तर मांगा था । व्यापारिक प्रसारणों का आल इन्डिया रेडियो पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इससे 7 हजार पत्रिकाओं पर प्रभाव पड़ेगा । क्योंकि विज्ञापन एजन्सियों अपना व्यय कम करेंगी और इससे छोटे समाचार-पत्रों की अर्थ-व्यवस्था को नष्ट कर देगा । दूसरा प्रश्न वेतन बोर्ड के बारे में है और यह श्रमजीवी पत्रकारों और प्रैस के कर्मचारियों से सम्बद्ध एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । उन्होंने एक भी शब्द इस बारे में नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपना उत्तर समाप्त नहीं किया है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : केन्द्रीय सूचना सेवा में असन्तोष व्याप्त है । इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है ।

श्री वसन्त साठे : मैंने भी दो प्रश्न उठाये हैं । उन्होंने यह उत्तर दिया है कि क्योंकि 'युगधर्म' एक हिन्दी का पत्र है उसे विज्ञापन दिये गये और मराठी पत्र को विज्ञापन नहीं दिये गये । वह कुछ पत्रों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं ।

श्री सौगत राय : मैंने श्री अडवाणी के भाषण को सुना है । किन्तु मैं अभी तक यह नहीं समझ पाया हूं कि सूचना और प्रसारण के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है । यह इसलिये है कि उन्होंने समितियों और आयोगों को भी नियुक्ति की बात कही है । पहले यहां समाचार के सम्बन्ध में एक आयोग है ; इसके बाद एक अन्य आयोग स्थापित किया गया है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री साठे के मुंह से शोषण की बात सुनना मजाक-सा लगता है । आपात स्थिति के दौरान श्री अलोक मुकर्जी जो रेडियो के संवाददाता थे, को पीड़ित किया गया था क्योंकि उन दिनों में सरकार का रवैया बड़ा ही अत्याचारपूर्ण था । मैं श्री अडवाणी जी से अनुरोध करूंगा कि वह उन्हें पुनः नौकरी में ले ले ।

Shri Baldev Singh Jasrotia : Mr. Speaker Sir, Kashmir Radio is not using the name of All India Radio. Is it separate from other radio stations of the country. The Minister should see to it that Radio Kashmir also uses the name of All India Radio as is being done in the case of other radio stations throughout the country.

Shri L. K. Advani : Many suggestions have been given and apprehensions have been expressed about the budget proposals in this regard. Many memoranda have also been received by the ministry on this subject. I want to tell the House that it is the Finance Ministry which will have to form a final view on it and then, the same will be presented in the House.

श्री पूर्ण सिन्हा : आप वित्त मन्त्रालय पर प्रभाव डालिये कि वह उस प्रस्ताव को बजट में से वापिस ले ले ।

Shri L. K. Advani: As regards the question of Wage Board, he has been in touch with the Labour Minister. There is divergence of views between Journalists and the owners and Government have brought them together for a discussion. There are certain difficulties but it is hoped that some solution will be found out.

The post of Principal Information Officer has been vacant for quite some time Ordinarily, the convention is that. This post is filled up by a person from among the C.I.S. But it has not been possible due to certain reasons. Some senior persons were going to retire shortly. A proper person should be appointed. If any person is appointed out of cadre, it will only be an exception and that too on a temporary basis. If my figures are incorrect, I am prepared to correct them. This much I would say that no favouritism would be shown on political grounds.

A reference has been made of Hindustan Samachar. It has been stated that Hindustan Samachar and Samachar Bharati have been compelled to merge. In fact, on behalf of both these agencies, we were requested to use our good officers for the manager of both the agencies. I have only told them it would be better if both merge together. I would suggest that the Hon'ble Members should better know in detail by Dr. Sindhwi.

The second point is about Hindustan Samachar being given accommodation in the P.T.I. building. In fact only a month ago I came to know that P.T.I. were perhaps giving accommodation to Hindustan Samachar. In the mean time persons from Hindustan Samachar and Samachar Bharati came to me and asked me for providing accommodation from the Ministry. I wrote to the Works and Housing Ministry which replied that there was shortage of accommodation and they were not in a position to provide it. When I knew that P.T.I. was providing accommodation to Hindustan Samachar, I asked its Chairman to provide accommodation to Samachar Bharati also. I again wrote to the Minister of Works and Housing that they should try to assist news agencies as we have given an assurance to this effect. On reconsideration that Ministry communicated that they were providing accommodations to them. In the mean time P.T.I. has agreed to provide accommodation to Hindustan Samachar. I feel that Hindustan Samachar and Samachar Bharati both should cooperate each other. We will always be giving incentive to regional language papers and news agencies. In fact the major financial assistance has been given to U.N.I. The decision in this regard was taken taking into consideration the position of each of these agencies at the time of their merger. The charges made now are the same which were made before our taking over power. Now we are trying to decentralise the power and this has been taken into consideration in taking decision in the cases of Hindustan Samachar and Samachar Bharati.

I admit that there is serious erosion of radio stations because there are powerful transmittors on the other side. Government have considered the question and have formulated an ambitious scheme in this regard. We have 85 Radio Stations in the country. These stations not only broadcast music programme but also give some educative programmes. In Bangalore a new programme 'Farm school on the air' has been started. Twelve hundred farmers have registered therefor. For improvement in paddy cultivation we arranged 50-55 lectures and courses. Thereafter they appeared for a test. Twenty persons

[Shri L. K. Advani]

out of them were also given prizes. The people there have great interest in Radio and Government will continue to encourage such programmes.

जहां तक प्रैस आयोग का प्रश्न है एक विधेयक इस सम्बन्ध में दूसरे सदन में पेश किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय :

द्वारा श्री पूर्ण सिन्हा का कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

The cut motion was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगे मतदान के लिए रखी गई और स्वीकृत हुई ।

निर्माण और आवास मंत्रालय तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय
MINISTRY OF WORKS & HOUSING AND MINISTRY OF SUPPLY & REHABILATION

अध्यक्ष महोदय : सभा अब निर्माण और आवास मंत्रालय की मांग संख्या 89 से 93 और पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय की मांग संख्या 82 से 84 लेगी इसके लिए 4 घंटे का समय अलाट किया गया है । जो सदस्य कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते है वे 15 मिनिट में पर्ची भेजें और उनके कटौती प्रस्ताव पेश किये समझे जायेंगे ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे इन मंत्रालयों को मांगों पर चर्चा आरम्भ करने का अवसर दिया गया है । लोक तंत्र में इन मंत्रालयों का बड़ा महत्व है। इनका सम्बन्ध आवास, नगर विकास सड़कों, पुनर्वास आदि से है और समाजवादी समाज में इनका बहुत महत्व है ।

हमारे देश में मकानों की आज भी बहुत कमी है । आवास समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है । इस समय लगभग 45 लाख मकानों की कमी है । जिनमें से 12 लाख मकानों की नगरीय क्षेत्र में और 33 लाख मकानों की ग्रामीण क्षेत्रों में जरुरत है । इस सम्पूर्ण योजना को पूर्ण करने में हमें छटी पंचवर्षीय योजना में 2,790 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। दुर्भाग्यवश अतीत में जो प्रयास किये गए थे वे पर्याप्त नहीं थे । समुचे देश में आवास कार्य के लिए लगभग 950 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किया गया है । पांचवीं योजनावधि में इस बड़े काम को पूरा करने का कोई अवसर नहीं था । अभी हमें इस समस्या को सुलझाना है ।

जहां तक ग्रामीण आवास का सम्बन्ध है, पिछली सरकार ने कुछ कमियों के बावजूद, गरीबों को मकान बनाने के लिए स्थान देने सम्बन्धी महत्वकांक्षी कार्यक्रम आरम्भ किये थे । पर वर्तमान सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई विशष महत्व नहीं दिखाई है । अतः मेरा सुझाव है कि ग्रामीण विद्युतीकरण की भांति एक ग्रामीण आवास निगम स्थापित किया जाना चाहिए । इस निगम को ग्रामीण निर्धनों के लिए मकानों की व्यवस्था करने हेतु राज्यवित्तीय सहायता प्रदान करेंगे ।

देश में जहां तक औद्योगिक आवास का सम्बन्ध है, यह बहुत ही पीछे है। मेरे चुनावक्षेत्र बैरकपुर में जूट मिल मजदूर उन मकानों में रहते हैं जो उनके लिए 19वीं सदी में बनाए गए थे और अधिकांश मजदूर तो स्तम या गन्दी बस्तियों में ही रहते हैं। इस दिशा में सरकार ने आजतक कुछ नहीं किया। इसे यह परिणाम हुआ कि बम्बई, कानपुर, कलकत्ता, इलाहाबाद तथा अनेक उपनगरों में गन्दी बस्तीयों का संकेन्द्रण हो गया। इससे न केवल आवास समस्या बढ़ रही है अपितु सामाजिक समस्याएं और बुराइयाँ भी बढ़ रहा है। आवास मंत्री को चाहिए कि वह औद्योगिक आवास समस्याएं के बारे में वाणिज्य मण्डलों का एक सम्मेलन बुलाएं जिससे यह पता चल सकेगा कि औद्योगिक आवास के लिए वह आगामी पांच वर्षो में क्या करना चाहते हैं।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : ग्रामीण आवास के बारे में भी।

श्री सौगत राय : आपका मंत्रालय पर्यावरण के लिए भी जिम्मेदार है। 1974 में एक पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड स्थापित किया गया था। इस बारे में एक विधेयक भी पिछले वर्ष लाया गया था। जो उद्योग उसके उपबंधों को अमल में नहीं ला रहे हैं उनके खिलाफ क्या कायवाही कर रहे है। हमारा देश अभी औद्योगिक दृष्टि से इतना विकसित नहीं है पर हमें इस समस्या का आरम्भ में हीं समाधान ढूंढ़ लेना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए। मुझ यह पता नहीं कि जनता सरकार इस सम्बन्ध में कोई विधेयक लाएगी। लेकिन हम यह आश्वासन अवश्य दे सकते हैं कि यदि मंत्री महोदय इस प्रकार का कोई विधेयक लाएं तो हम उसका समर्थन करेंगे।

कांग्रेस शासन के दौरान सभी बड़े शहरों में नगर विकास परियोजनाएं आरम्भ की गई थी। पर वर्तमान योजनाओं को चालू रखना मात्र ही पर्याप्त नहीं होगा। जिस हिसाब से नगरीय समस्या बढ़ रही है उसे देखते हुए नई योजनाएं आरम्भ करना जरूरी है।

कांग्रेस सरकार ने कुछ वचन दिए थे पर उन्हें पूरा नहीं किया। 1972 में आजादी की रजत जयन्ती के अवसर पर यह आश्वासन दिया गया था कि अब देश में सफाई कर्मचारी अपने सिर पर मल नहीं उठाएंगे। पर आज भी यह घृणित प्रथा जारी है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार के पास कोई कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत नगरों में दस वर्ष के भीतर हीं सभी गन्दे शौचालयों को साफ या फ्लश वाले शौचालयों में परिवर्तन किया जा सके ताकि इन सफाई कर्म चारियों को यह घृणित काम न करना पड़े।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में अत्यधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसके प्रबन्ध निदेशक-सह-चैयरमन के विरुद्ध अनेक आरोप हैं। शायद मंत्री जी को इस बारे में कर्मच री संघ से कोई ज्ञापन भी प्राप्त हुआ है। इन आरोंपों की जांच की जानी चाहिए।

बड़े दुःख की बात है कि आजादी के 30 वर्षों बाद भी बंगाल से आए हुए शरणार्थियों को पूरी तरह नहीं बसाया गया है। उनकी अनेक प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं। पुनर्वास के सम्बन्ध में भेदभाव बरता गया है। 1964 तक सरकार ने पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों में से 2.5 लाख को रोजगार दिया जबकि पूर्वी बंगाल से आये हुए शरणार्थिकां में से केवल 400 को काम दिया गया। पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों पर 400 करोड़ रुपया खर्च किया गया जबकि पूर्वी पाकिस्तान

[श्री सोगत राय]

से आये लोगों पर 200 करोड़ रुपया। पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों में से पचास प्रतिशत ने मुआवजा नहीं मांगा। व स्वयं ही बसे, अपने रिश्तेदारों के यहां रहे। मंत्री महोदय अपने मंत्रालय से पूछें कि क्या पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को दिये गये ऋण का एक रुपया भी वापस किया गया। पर जब पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को ऋण दिया गया तो उन्हें वह वापस करना पड़ा। ऋण को बट्टे खाते नहीं डाला गया। आज भी काफी ऋण शेष है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने लगभग 3 वर्ष पहले पूर्वी बंगाल के सभी शरणार्थियों को बसाने के लिए 150 करोड़ रुपये का एक मास्टर प्लान भेजा था। इसमें से केन्द्र सरकार और योजना आयोग ने केवल 36 करोड़ रुपया देने की स्वीकृति दी है। शेष राशि की स्वीकृति नहीं दी गई। अतः उनकी समस्या अभी ज्यों की त्यों बनी हुई है।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल से बाहर बसाने के लिए सम्बद्धी अन्य राज्य सरकारों को उस भूमि का पैसा नहीं दिया गया जिसमें उनको बसाया गया। स्वाभाविक है कि इन सरकारों ने उनके पुनर्वास में कोई रुचि नहीं ली। इसका परिणाम यह है कि आम शरणार्थी दण्डकारण्य से वापस जा रहे हैं। दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार ने उनके प्रति बड़ा ही अमानवीय रूख अपनाया है। उन्हें वापस भेजा जा रहा है। उन पर निर्दयता से लाठी चार्ज किया गया है। केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर रही है।

राज्य सरकार ने इन शरणार्थियों को अन्दमान में बसाने को अनुरोध किया था पर 1951 से एक भी शरणार्थी वहां नहीं बसाया गया। हम चाहते है कि जो शरणार्थी दण्डकारण्य वापस नहीं जाना चाहते उन्हें अन्दमान में बसाने का इन्तजाम किया जाए। समझ में नहीं आता कि सरकार इन्हें अन्दमान में क्यों नहीं बसाना चाहतीं।

बर्मा और तिब्बत से आए शरणार्थियों के सम्बन्ध में ऐसी कोई समस्या नहीं है, जो बंगाली शरणार्थी अन्दमान चले गए है उनकी भी कोई समस्या शेष नहीं है। समस्या है दण्डकारण्य, और बस्तर तथा कोरापुट जिलों के शरणार्थियों की। कुछ हद तक चांद जिले की भी समस्या है। मंत्री महोदय उनकी समस्याओं की ओर ध्यान दें। क्या कारण है कि तीस वर्ष बिताने के बाद से लोग अपना सब कुछ बेच कर वापस जा रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई राजनतिक कारण है? यह एक मानवीय समस्या है। इस समस्या का मानवीय हल निकाला जाना चाहिए।

पुनर्वास उद्योग आयोग किन्हीं कारणों से अपने उद्देश्य को पूर्ति नहीं कर पया है। वह घाटे में चल रहा है। इसे बन्द किये जाने की चर्चा है। पर बन्द किये जाने का हम विरोध किया जाएगा। यह आयोग शरणार्थियों को रोजगार देने में सहायता कर रहा है। आशा है मंत्री जी इन सब बातों पर में ध्यान देंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

Shri Brahma Prakash Choudhary (Outer Delhi): According to the policy already laid down, the Minister should made it clear that master plan or town country planning is not applicable to Delhi only, but it would be applicable to all the cities and towns of the country. It is observed that during the last 5-6 years not much has been done for town-planning and planned development of

housing. On the contrary, the work done during the previous 15-20 years had been negatived during these 5-6 years and rather counter productive work has been started.

A Central Capital Region plan, covering an area of about 5,000 square miles within a radious of about 100 miles from Delhi was formulated for Delhi. But today different statements are being made by different authorities regarding this plan. This plan cannot be implemented by Delhi alone, as many other states are also involved in it. I would, therefore, request you that its administrative control should be taken over by the centre to ensure coordinated implementation of this plan early.

During the past six years, almost every provision of the Master Plan has been violated and during two years of the emergency, thousands of people have been shifted to such places where they are living like cattles due to lack of essential amenities. Coordinated and concerted efforts should be made to provide necessary amenities to those people for their better living.

The Delhi Development Authority has not been able to show good performance during the last one year. It appears that there was some confusion as different statement are being made by different authorities regarding the future housing policy. I will suggest that a meeting should be held at least once a month in which Lt. Governor of Delhi, Vice Chairman, D.D.A., President of the N.D.M.C. senior officers of other concerned departments should participate to discuss various points in order to avoid any chance of confusion. Steps should be taken to make early payment of the outstanding compensation for lands acquired by D.D.A.

During the General Elections, a promise was made by the Janata Party that all land would be free-hold. But nothing has been done in this regard. Early steps should be taken to fulfil this promise.

There is a shortage of land in Delhi. Allotment of land through auction should be stopped at once. Land now should be allotted through having co-operative societies only. These societies have been waiting for the allotment of land for several years. They are prepared to take up construction work immediately. Loan should also be made available to them on easy terms.

Shri Yuvraj (Katihar) : A large number of refugees from East Bengal were settled in Sundarvan, Mana and Dandakarnya but it has been found that arrangements made for their resettlement are far from satisfactory. This has also been confirmed by the present conditions of resettlement colonies in Katihar, Bhagalpur and Purnea districts of Bihar. Refugees from Bangladesh were settled in wasteland of big landlords after paying high compensation. A large number of them have been settled on sandy land along river banks. These lands are eroded during floods causing great difficulty to the persons living in refugees camps as a result of which they have to go back. The problem of resettlement of these refugees is a national problem and should therefore be dealt with by formulating a phased and time bound programme.

Drinking water facilities are available only to 10 per cent of the rural population. Concerted efforts should be made to provide drinking water to the rural population within two-three years through a phased time-bound programme.

[Shri Yuvraj]

Even after 30 years of independence, the problem of supply of drinking water has not been solved so far. It is a matter of shame for us.

Housing problem is also a very serious problem. In the villages, people have been allotted plots but they have not been given possession thereof. Lakhs of people do not have land for houses. Even after 30 years of India's independence, the landless labourers, harijans and adivasis and people belonging to backward classes are oppressed. They do not have land for building houses. We should take measure to see that people living below the poverty line get houses.

अध्यक्ष महोदय : श्री यूवरज आप अपना भाषण कल जारी रखे। अब हम हरिजनों पर अत्याचार सम्बंधी प्रस्ताव को लेते है।

हरिजनों पर अत्याचारों के बारे में प्रस्ताव
MOTION RE: ATROCITIES ON HARIJANS

Shri Ram Vilas Paswan (Hajipur): Mr. Speaker Sir, I move:

"This House expresses its concern over the atrocities being perpetrated on Harijans in Bihar, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka and in other parts of the country."

अध्यक्ष महोदय : किसी भी सदस्य को 10 मिनट से अधिक समय नहीं दिया जायेगा।

Shri Ram Vilas Paswan: The atrocities on Harijans are continuing unabated. Everyday we read about these cases in one part or the other part of our country. It is a national problem and it should not be politicalised. If we politicalise it, it will be unfortunate for the country. The subject of scheduled castes and scheduled tribes should be included in the concurrent list in our constitution so that the Central Government can take effective steps to tackle the problems of these people.

Article 46 of the constitution provides that the state will promote with special care the educational and economic interests of weaker sections and in particular of the scheduled castes and scheduled tribes. It also enjoins on the Government to protect them from social injustice and all types of exploitation. Have any steps been taken to implement this provision all these years?

In the budget, only, 1 per cent has been earmarked for the welfare of harijans, adivasis and backward classes. This allocation is very inadequate for this colossal work.

Harijans have not got their due share in services, steps should be taken to give them adequate representation in services. In Andhra Pradesh, Gujarat, Mysore and Himachal Pradesh, harijans are not allowed to take water from public wells. This is really a matter of shame for all of us.

As present, certain heads of temples or monasteries are preaching hatred and encouraging casteism. The Government should open religious institutions for educating people to become "pujaris" in temples and other religious places.

In Bihar, atrocities are being continuously committed on harijans. At a number of places, harijans have been murdered and victimised. In U.P. and other places, there have been cases of atrocities on harijans. Such incidents are still continuing.

Justice should be done to Harijans. Steps should be taken to put an end to these atrocities on them. Concrete action should be initiated to uplift the harijans who had been oppressed for centuries. If this is not done, these people will revolt and shake up the entire country.

Shri Ram Awadhesh Singh (Bikramganj): The main reason for atrocities against Harijans, Adivasis and other weaker sections of the community is that those who commit them are no more afraid of any punishment from Government. They have become fearless due to inefficient functioning of the Government machinery. There is a spate of incidents in which atrocities have been perpetrated on harijans in the various parts of the country because no action was taken against the culprits and the officials only shed crocodile tears over the whole affair.

In so far as the incidents in my area Vishrampur are concerned, these are continuing since 2nd/3rd November. On 13th, 14th in Kapasia Village fire was opened on the people belonging to Kurmi Caste. It was investigated but it apears that there was a conspiracy of Caste Hindus. Similarly in Rahtas district two Harijan women were shot dead and in Rupahalha village of the same district one Harijan was attacked and burnt alive in broad day light. It was followed by an incident in Vishrampur. In regard to this incident Government made a statement that this was a fight between two goondas. This is altogether a false statement. In fact the deceased was a criminal and the Caste Hindus wanted to kill him. He was killed on Holi day. Detailed information in this regard was given to him by a boy of 'Chamar' community. There is another reason also for this. Dr. R. B. P. Sinha the brother of a former I. G. of Bihar, Shri R. P. A. Sinha, named has about 110 'bigha' land in Vishrampur. This land was intended to be grapped by the people of 'Kurmi' people and therefore these people were fired by them. In this incident an old woman aged 70 and a boy aged 12-13 years were killed. I have also brought a piece of bone of the old woman and I want to show it.

अध्यक्ष महोदय : नियमानुसार आप यह नहीं कर सकते आप हड्डी को पुलिस को दे दीजिए ।

Shriram Awadesh Singh : Sir, Indira Congress has a hand behind these incidents. One Shri Girish Narayan Mishra is the only influencial Indira Congress leader there. He dictates the administration. When I launched the 26 per cent reservation agitation. The Congress (I) tried to instigate backward classes and Harijan people and made them fight among themselves. They did it in a planned manner. These incidents took place due to inaction on the part of Police. I was told that the in-Charge of Police Station was given a huge amount. The newly posted Collector is a corrupt person. I have also drawn the attention of the Chief Minister to these incidents. The Superintendent of Police there also belongs to the caste to which the Collector belongs. **(Interruption).**

In this connection I would suggest that there should be 50 per cent Schedule Caste people in Police in villages. The Police set up should be thoroghly

[Shriram Avadesh Singh]

overhauled. Unless this is done, such atrocities on Harijans would not stop. In my district Police Officers are aged over 50 years and they are not so active. Therefore necessary changes should be made in the rules.

अध्यक्ष महोदय : आपने 20 मिनट से अधिक ले लिये हैं । आप जो कुछ कहगे वह रिकार्ड में नहीं जायेगा । श्री वेंकटासुबैया ।

श्री पी० वेंकटासुबैया : यह प्रस्ताव अच्छे मौके पर आया जब कि देश में हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं । यह केवल एक सामाजिक अ थिक समस्या है । ऐसे अत्याचार सदियों से चल रहे हैं किन्तु पहले इन्हें प्रकाश में नहीं लाया जाता था । राष्ट्रपिता सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराया और समाज के इन वर्गों के लिए अपना जीवन समर्पित किया । सरकार तथा समाज सुधारक धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस दिशा में सामाजिक सुधार किया हैं और इनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाई है । परिणामस्वरूप यह महसूस किया जाने लगा कि ये भी प्राणी हैं और इन्हें भी समाज में प्रतिष्ठापूर्वक जीवन-निर्वाह करना है ।

मैं गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे आंकड़ों में न जायें किन्तु इस समस्या की गहराई में जायें । वास्तव में इस समस्या में प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग एवं योगदान होना चाहिए । यह प्रसन्नता की बात है कि आज देश में एक मुख्यमंत्री इस समुदाय के हैं । फिर भी क्या कारण है कि यह समस्या बनी हुई है । इस का कारण यह है कि इन वर्गों में चेतना नहीं आई है । चुनावों में भी इन लोगों को मतदान करने से रोका जाता है । वास्तव में ये घटनाएं वहां होती हैं जहां पिछड़ापन है, गरीबी है, उपेक्षा होती है तथा अशिक्षा है । प्रश्न यह है कि संसद और राज्य सरकारों का क्या कर्तव्य है । पं० जवाहरलाल नेहरू ने जब वे प्रधान मंत्री थे, सभी मुख्य मंत्रियों को इस बारे में लिखा था और कहा था कि वे हरिजन विभाग बनाएं । आज मुख्य मंत्री क्या कर रहे हैं । आज इसकी उपेक्षा की जा रही है । इनके लिए नियत किये गये करोड़ों रुपय हर साल व्यपगन हो रहे हैं ।

आज यह प्रयत्न किये जा रहे कि इन वर्गों को अलग-अलग किया जाये और उन्हें आपस में लड़ाया जाये । इस समस्या को राजनीतिक से अलग रखा जाये । सब राजनीतिक दलो को एक सर्व सम्मत कार्यक्रम बनाना चाहिए और इस समस्या का राजनीतिक लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए । यह राष्ट्रीय समस्या है । हमारे लिए यह शर्म की बात है कि 30 वर्षों के बाद भी आज ऐसी घटनाएं देश में हो रही हैं ।

आज भी ऐसे स्थान हैं जहा हरीजनों को सार्वजनिकनों कुवों से पानी भरने नहीं दिया जाता है । आज हमें गहराई से इस समस्या पर सोचना है कि कैसे इन अत्याचारों को समाप्त किया जाये । बहुत सीं समितियां इसके कल्याण के लिए बनीं हुई हैं । इस सभा को भी एक समिति है किन्तु इन समितियों ने विस्तृत प्रतिवेदन लिखने के अतिरीक्त क्या किया है । आज एक दूसरे पर आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं है । हम सभीं को एक साथ बैठकर इसका समाधान निकालना चाहिए और इन लोगों को जिनकी सदियों तक उपेक्षा कीं गई समाज के अन्य वर्गों की बराबरी पर लाया जाये ।

Smt. Mrinal Gore (Bombay North): We see that every day such incidents are taking place and the number thereof is increasing. I would only mention a

earlier. The only difference is that their number has increased now. The newspapers are also worthy to be thanked for their reporting these incidents. The people of backward classes have formed a opinion that they are not being given protection and if after 30 years such an opinion is formed, its responsibility lies on the House. We have to take some concrete measures. Mere issuing of circulars will not solve the purpose. Political advantage of the problem should not be taken. False charges are deliberately being levelled against Janata Party. No body is prepared to come forward to work in this direction. There are still several villages in the country where untouchables are being prevented from fetching water from wells.

In 1969, on the occasion of Gandhi birth anniversary the Socialist Party had chalked out a programme of going from village to village and make provision for a common drinking water well for all the sections of the villages, unfortunately the Congressmen opposed this move. Now the Prime Minister have given clear instructions to the Chief Ministers for fixing the responsibility on the Superintendents of Police and District Magistrates in this regard. In fact to put to an end to these atrocities and resolve this problem once for all the society as a whole has to change the mentality and have a determination to do something in this regard.

Today the dictatorial forces in the country have again started raising their head and are making use of these weaker sections of the society. The question of social and political freedom is interconnected and this problem should be solved keeping this in view.

श्री के० लक्कप्पा (तुमकुर) : हरिजनों पर अत्याचारों की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है और इसी दृष्टि से इस पर विचार किया जाना चाहिए। पिछले दिन इसपर सभा में चर्चा हुई थी किन्तु इसे राजनीतिक दृष्टि से लिया गया। श्रीमती गोरे ने उन राज्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया है जहां कांग्रेस सरकारें हैं। किन्तु हम इस समस्या पर राजनीतिक दृष्टि से नहीं विचार कर रहे हैं।

जब हमने इस सम्बन्ध में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा तो गृह मंत्री ने जिस प्रकार उसका उत्तर दिया वह संतोषप्रद नहीं था। संविधान के अनुच्छेद 17 और 46 के अन्तर्गत हरिजनों को संरक्षण प्राप्त है तो फिर ऐसा क्यों है। सरकार क्यों इन्हें संरक्षण प्रदान नहीं करतीं और उनके दुख दूर नहीं करती है।

बिहार में अपराध हो रहे हैं और वहां जातिवाद का बोलबाला है और इस संकल्प में बिहार को छोड़ दिया गया है क्योंकि बिहार में जनता पार्टी का शासन है। परन्तु वास्तव में प्रश्न सामाजिक आर्थिक समस्याओं से उत्पन्न हो रहा है। जनता सरकार ने कोई विशेष कार्यक्रम और नीतियां निर्धारित नहीं की है। हरिजनों पर अत्याचार चरम सीमा पर हैं। सरकार कमजोर वर्गों के लोगों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। बेलछी, धनबाद, रांची, बढ़या, जमातरा और रुपेठा में हरिजनों पर घोर अत्याचार हुए हैं।

मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने बताया है कि 9 महीनों में मध्य प्रदेश में 105 हरिजनों की हत्या की गई है। मैं इसे एक दलगत मामला नहीं मानता हूं। 95 प्रतिशत अत्याचार भूमि सम्बन्धी

[श्री के० लक्कप्पा]

विवादों के कारण हुए हैं। आपका भूमि सम्बन्धी सुधारों में कोई विश्वास नहीं है। जहां भी भूमि सुधार हुए हैं, वहां कमजोर वर्गों पर अत्याचार कम हुए हैं जैसा कि कर्नाटक में। जनता पार्टी पांच घटकों से बनी है। इससे कोई ठोस कार्यक्रम कैसे बन सकता है? इसीलिए अपराध बढ़ गए हैं। हरिजनों की सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं। जमीदारों का शासन अभी भी चल रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि एक भी एकाधिकारी संस्था को भंग नहीं किया गया है। आदिवासियों और हरिजनों को ऋण की अल्पराशि भी वितरित नहीं की गई है। वर्तमान सरकार ने विकास सम्बन्धी कार्यों और समाजवादी उपायों की पूर्ण उपेक्षा की है।

यह छोटी समस्या नहीं है। सरकार केवल आंकड़े बताकर हमारी दलीलों को रद्द कर रही है। इसके लिए तो मौलिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। हरिजन कर्मचारियों में घोर असंतोष व्याप्त है। एक हरिजन अधिकारी की पदोन्नति रोकी गयी।

प्रधानमंत्री ने बताया है कि विभिन्न राज्यों को निदेश दिए गए हैं कि जहां कहीं भी अत्याचार हों, इसके लिए जिम्मेदारी शीघ्र निर्धारित की जानी चाहिए और तदनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए। गत वर्ष के दौरान हरिजनों पर अत्याचार होने के कारण एक भी पुलिस अधीक्षक को निलंबित नहीं किया गया है। हो सकता है कि कोई पुलिस कांस्टेबिल निलंबित किया गया हो। जब कभी इस ओर केन्द्र का ध्यान दिलाया जाता है तो यह कहा जाता है कि इसका सम्बन्ध राज्यों से है। इस सम्बन्ध में यदि संविधान के अनुच्छेद 17 को देखा जाए तो जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है अतः राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या का समाधान ढूंढ़ निकाला जाना चाहिए। समाज के सभी वर्गों में समानता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

Shri Sharad Yadav (Jabalpur): Mr. Speaker, the Congress people claim that atrocities were not committed on Harijans during the congress regime of 30 years. But this claim is totally wrong and baseless. In fact such atrocities on Harijans, etc., were being committed for the last thousands of years since the inception of caste system in the country. I will rather say that it is the result of caste system that this country remained under the yoke of foreign rule for centuries together and also led to family rule in the country and ultimately dictatorship also during the past few years.

It is not a sin committed by the Janata Party during the past one year, but it is the result of long long back founded caste system which turned large number of them into slaves and cowards. It is a very old social evil which has left its bad impact in various ways.

I feel that liberation of women is a must for bringing a social revolution in the country to eradicate this social evil.

I also suggest that the Chief Minister of a State in which five Harijans are killed as a result of atrocities committed on them should resign. I shall further suggest that the persons, who committed atrocities on Harijans, should be deprived of their citizenship rights. Amendments should also be made in the Criminal Procedure Code to provide more security to Harijans.

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । बोलने वालों की संख्या बहुत है । प्रत्येक सदस्य इस विषय पर बोलना चाहता है ।

Shri Sharad Yadav : I sit, down, Sir.

Shri Ram Dhan (Lalganj) : Mr. Speaker, the question of atrocities on Harijans is a very serious matter. The Ministry of Home Affairs has given certain statistics. According to that information in 1975 there were 7,781 cases of atrocities, in 1976 there were 5,968 and in 1977 upto September there were 9,225 cases. According to the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes there were 10,282 cases of atrocities in 1977. This figure is incomplete, because information for months of October, November and December have not been supplied by some states. If these figures are added then the total number of cases for 1977 might reach 11 to 12 thousands. It is being said that there has been a decline in the number of atrocities. This is how the people are being misled.

In Belchi Harijans had protested against injustice being done to them. So 8 Harijans and 3 goldsmiths were burnt alive. This is the finding of the team of Members of Parliament which went there. However this team wanted a judicial inquiry into this incident. But this demand was not accepted. It is said that in Belchi there was a clash between two criminal gangs. The same thing is being said about the Vishrampur incident. In the past whenever there was victimisation of weaker sections they were held guilty. Same thing is happening today.

We are always talking about Indian culture and civilisation. We are also shedding crocodile tears for black people in South Africa and Rhodesia but we are not bothering about the victimisation of Harijans in our country.

Land disputes and caste problems are the root cause of atrocities on Harijans. The Government should appoint either a Parliamentary Committee or a Commission for going into this problem. We should tackle the basic issues. Unless land reforms are undertaken, the problem of Harijans will not be solved.

Injustice is also being done to Harijans in the matter of services. The constitutional safeguards for these people are not being implemented.

It is said that District Magistrate or Superintendent of Police will be held responsible for any atrocities on Harijans. Has any action been taken against any officer so far ?

Today people belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe are awakened to their rights. If their problems are not solved and atrocities continue unabated this issue will be taken up before an international forum. We

[Shri Ram Dhan]

are fully aware of our problems. If they are not tackled speedily, we shall take the next step.

अध्यक्ष महोदय : इस पर आगे वादविवाद परसों 6.00 बजे जारी रहेगा ।

तत्पश्चात् लोकसभा बुधवार, 5 अप्रैल, 1978/15 चैत्र, 1900 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April 5, 1978/Chaitra 15, 1900 (Saka).

मा०स०मु०ना०—वि० 7—123 लोक सभा/78—3-8-78—210